मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

उन्नीसवां प्रतिवेदन

(जुलाई, 2015 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 28 जुलाई, 2016 को सदन में प्रस्तुत.)

<u>विषय सूची</u>

क्रमांक (1)	**विषय (2)**	**पृष्ठ संख्या (3)**
1.	**समिति का गठन**	एक
2.	**प्रस्तावना**	दो
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	तीन-चार
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	1
	(2) नगरीय विकास एवं पर्यावरण	11
	(3) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19
	(4) स्कूल शिक्षा	27
	(5) राजस्व	39
	(6) लोक निर्माण	44
	(7) सहकारिता	51
	(8) जल संसाधन	57
	(9) गृह (पुलिस)	59
	(10) आदिम जाति कल्याण	68
	(11) किसान कल्याण तथा कृषि विकास	72
	(12) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	78
	(13) वन	82
	(14) उच्च शिक्षा	86
	(15)महिला एवं बाल विकास	90
	(16) सामान्य प्रशासन	93
	(17) चिकित्सा शिक्षा	96
	(18) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	99
	(19) ऊर्जा	105
	(20) वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	113
	(21) खनिज साधन	114
	(22) वाणिज्यिक कर	117
	(23) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	119
	(24) नर्मदा घाटी विकास	120
	(25) तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	121

	(26) परिवहन	123
	(27) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	124
	(28) जेल	125
	(29) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	127
	(30) अनुसूचित जाति कल्याण	128
	(31) खेल एवं युवक कल्याण	129
	(32) योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	130
	(33) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	131
	(34) पर्यटन	133
	(35) विधि एवं विधायी कार्य	134
	(36) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	135
	(37) भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुर्नवास	136
	(38) कुटीर एवं ग्रामोद्योग	137
	(39) संसदीय कार्य	139
5.	**परिशिष्ट – ''अ'' (विशेष टिप्पणी/अनुशंसा)**	140
6.	**परिशिष्ट – ''ब''(अनिर्णीत प्रकरण)**	142

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2016-17)

<u>सभापति</u>

1. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय.

<u>सदस्यगण</u>

2. श्री राजेश सोनकर
3. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
4. श्री रामेश्वर शर्मा
5. श्री के.के.श्रीवास्तव
6. श्री दुर्गालाल विजय
7. श्री हजारी लाल दांगी
8. डॉ. योगेन्द्र निर्मल
9. श्री यादवेन्द्र सिंह
10. श्री मनोज कुमार अग्रवाल
11. श्री सोहनलाल बाल्मीक

<u>विधान सभा सचिवालय</u>

1.	श्री ए.पी.सिंह	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री पी.एन.विश्वकर्मा	. .	अपर सचिव
3.	श्री बी.डी.सिंह	. .	उप सचिव
4.	श्री आर.के.गुप्ता	. .	अवर सचिव
5.	श्री शिवप्रसाद बुन्देला	. .	अनुभाग अधिकारी.

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 28 अप्रैल, 2016 को गठित की गई है।

3. इस प्रतिवेदन में, जुलाई, 2015 सत्र में माननीय मंत्रीगणों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरांत आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया एवं उस पर समिति की अभ्युक्ति दी गई है।

4. समिति की बैठक दिनांक 27 जुलाई, 2016 में समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अंगीकृत किया गया।

5. समिति के सभी माननीय सदस्यों का मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूँ , जिनका सहयोग मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिला है।

6. समिति प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने यथासमय विभागीय कार्यवाही एवं जानकारी प्रेषित कर सहयोग प्रदान किया।

7. समिति विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने समिति के कार्य में निरंतर सहयोग प्रदान किया।

भोपाल :

दिनांक : 27 जुलाई, 2016

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति,
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 608, 609, 610, 611, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700
2.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	616, 617, 618, 619, 620, 621, 727, 728, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805
3.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	580, 581, 582, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844
4.	स्कूल शिक्षा	630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829
5.	राजस्व	557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 583, 584, 585, 586, 587
6.	लोक निर्माण	624, 625, 626, 627, 628, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785
7.	सहकारिता	510, 511, 512, 588, 589, 590, 591, 592, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684
8.	जल संसाधन	732, 733, 734
9.	गृह (पुलिस)	546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 607, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751
10.	आदिम जाति कल्याण	657, 658, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 859
11.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 537, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670
12.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	535, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 752, 753, 754, 755, 756, 757
13.	वन	612, 613, 615, 806, 807, 808, 809
14.	उच्च शिक्षा	702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713
15.	महिला एवं बाल विकास	573, 574, 575, 606, 758, 759, 760, 761, 762
16.	सामान्य प्रशासन	531, 532, 533, 605, 721, 722, 723, 724, 725
17.	चिकित्सा शिक्षा	604, 659, 660, 661, 862
18.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	521, 522, 523, 524, 597, 598, 599, 671, 672, 673, 674, 675, 676
19.	ऊर्जा	526, 527, 528, 529, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720
20.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	603, 810
21.	खनिज साधन	525, 595
22.	वाणिज्यिक कर	737,

23.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	765
24.	नर्मदा घाटी विकास	726
25.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	534, 600, 601, 602, 729, 730, 731
26.	परिवहन	701
27.	पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	655, 656, 860, 861
28.	जेल	578, 579, 767
29.	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	593, 594, 622, 623
30.	अनुसूचित जाति कल्याण	596, 857, 858
31.	खेल एवं युवक कल्याण	629
32.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	735, 736, 739,
33.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	576, 766
34.	पर्यटन	738
35.	विधि एवं विधायी कार्य	577, 763, 764
36.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	530, 740
37.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	614
38.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	570, 571, 572, 768
39.	संसदीय कार्य	863

जुलाई, 2015 सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**513**	ता.प्र.सं.14 (क्र.156) दिनांक 20.07.2015 (श्री कमलेश्वर पटेल)	सीधी जिले में सहायक अध्यापक से अध्यापक एवं अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति की जाना।	पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
2.	**514**	ता.प्र.स. 20 (क्र. 196) दिनांक 20.07.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के विकासखण्ड रौन एवं लहार में पंचायतों द्वारा बिना कार्य कराये फर्जी भुगतान एवं गुणवत्ताहीन कार्य किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब आने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।	विकासखंड रौन की ग्राम पंचायत अचलपुरा, असनेहट, चाचीपुरा से जबाब प्राप्त होने के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रौन के अनुसार सरपंच/सचिव के विरूद्ध अधिक राशि आहरण की वसूली हेतु प्रकरण म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत विहित प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार न्यायालय को भेजे गये हैं, जिसमें ग्राम पंचायत अचलपुरा के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा दिनांक 03.06.2016 को स्टे दिया गया है। विकासखंड लहार की ग्राम पंचायत अजनार, मंढोरी, पर्रायच, बरौआ, गेथरी के सरपंच/सचिव को जारी कारण बताओ सूचना पत्र के जबाब पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार के अनुसार संबंधितों के निर्दोष होने से वसूली की कार्यवाही नहीं की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ10-198/2015/22/पं.-1, दिनांक:- 23.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	**515**	परि.अता.प्र.स. 7 (क्र. 175) दिनांक 20.07.2015 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले में स्वकराधान योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों को प्रदत्त राशि के दुरूपयोग की शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्षो के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) जी हॉं। जिला स्तर से जांच हेतु समिति गठित की जाकर कार्यवाही जारी है। (2) समिति द्वारा जांच की कार्यवाही जारी है। समिति से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जांच निष्कर्ष के आधार पर ही कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उन पर की गई कार्यवाही से पृथक से अवगत कराया जा सकेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	**516**	परि.अता.प्र.स. 32 (क्र. 473) दिनांक 20.07.2015 (श्री राजेश सोनकर)	इंदौर जिले की सांवेर विधान सभा क्षेत्र में सीयूपीएल अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों का डी.पी.आर. शीघ्र तैयार कराकर स्वीकृति प्रदान की जाना ।	सीयूपीएल के अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों के डीपीआर तैयार कर स्वीकृत हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।	इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र की सीयूपीएल के अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों में से 12 सड़कों की डीपीआर तैयार हो चुकी है तथा 05 मार्गों की डीपीआर पुन: परीक्षण के उपरांत तैयार कराई जा रही है । समस्त डीपीआर दिनांक 30.11.2015 तक तेयार करने का लक्ष्य निर्धारित है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 21889/22/वि-12/वि.स./आश्वा./15, दिनांक 16.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं ।
5.	**517**	अता.प्र.स. 12 (क्र. 201) दिनांक 20.07.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के लहार विकासखण्ड की ग्राम पंचायत सोंसरा ग्राम कुम्हरोल के पास नदी पर स्वीकृत स्टाप डेम के अधूरे कार्य को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना ।	शेष कार्य हेतु अन्य एजेंसी निर्धारित कर कार्य पूर्ण कराया जावेगा।	(1) यह कार्य मुद्रांक शुल्क से स्वीकृत था तथा कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति रू. 2057000/- है, कार्य पर कुल व्यय रू. 1735458/- हुआ है, यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करा दिया गया है । (2) इस हेतु पहुंच मार्ग का प्रावधान करते हुए कार्य का प्राक्कलन मनरेगा मद से स्वीकृत कराया गया है, कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत सौंसर नियुक्त थी सरपंच ग्राम पंचायत सोंसर द्वारा पहुंच मार्ग का दोनों तरफ का कार्य पूर्ण करा दिया गया है । पुल पर आवागमन का रास्ता संतोषजनक है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ10-269/2015/22/पं.-1 पार्ट, दिनांक:- 23.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	**518**	अता.प्र.स. 40 (क्र. 390) दिनांक 20.07.2015 (श्री आर.डी. प्रजापति)	छतरपुर जिले की चंदला विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा बिना शौचालय निर्माण के राशि आहरण किये जाने की जांच एवं आहरित राशि की वसूली की जाना।	राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है।	छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों में वसूली योग्य राशि रूपये 3923200/- में से राशि रूपये 17,58600/- (नगद एवं शौचालय निर्माण में समायोजित राशि) वसूली की जा चुकी है। जनपद पंचायत लवकुशनगर की पंचायतों से शेष राशि रूपये 533000/- की वसूली हेतु म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में पंजीबद्ध कराया गया है एवं जनपद पंचायत गौरीहार की ग्राम पंचायतों से शेष राशि रूपये 1631600/- की वसूली हेतु प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में दर्ज कराया जाकर कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 723/22/वि-7/SBM/16, दिनांक:- 27.02.2016 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 11538/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 01.04.2016 द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई :- ***जनपद पंचायत लवकुश नगर एवं गौरिहार की पंचायतों से क्रमश: 5,33,000 /- रू. तथा 16,31,600 इस तरह कुल 21,64,600 की वसूली विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि वसूली संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर समिति को 03 माह में अवगत कराया जाये।
7.	**519**	अता.प्र.स. 60 (क्र. 494) दिनांक 20.07.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	उज्जैन जिले की विधान सभा क्षेत्र महिदपुर अंतर्गत अपूर्ण निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण किया जाना।	अपूर्ण कार्य वर्ष 2015 अंत तक पूर्ण कर लिये जावेंगे।	महिदपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत दिनांक 01.01.2013 से 01.06.2015 तक स्वीकृति 925 कार्यों में से 275 कार्य पूर्ण एवं 650 कार्य प्रगतिरत है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ10-119/2015/22/पं.-1 पार्ट R 780/16, दिनांक:- 23.06.2016	विभाग शेष 650 प्रगतिरत कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास करें। इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	**520**	अता.प्र.स. 73 (क्र. 557) दिनांक 20.07.2015 (श्रीमती शकुन्तला खटीक)	शिवपुरी जिले की जनपद पंचायत नरवर में समग्र स्वच्छता/मर्यादा अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए आहरित राशि से शौचालय निर्माण नहीं किये जाने पर आहरित राशि की वसूली की जाना।	शेष राशि की वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।	ग्राम पंचायत समाहा एवं बहगवां से वसूली की कार्यवाही की जा चुकी है। शेष ग्राम पंचायत छितरी एवं सीहोर से वसूली की कार्यवाही कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व करैरा के न्यायालय में प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 346/22/वि-7SBM/16, दिनांकः- 29.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
9.	**608**	परि.अता.प्र.सं.229 (क्र.4433) दि.18.03.2015 (श्री बाला बच्चन)	रायसेन जिले की जनपद पंचायत बेगमगंज में मनरेगा योजना में एक ही कार्य का दो बार भुगतान किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण करने की कार्यवाही की जा रही है।	रायसेन जिले की जनपद पंचायत बेगमगंज पंचायत बेगमगंज में मनरेगा योजना में एक ही कार्य का दो बार भुगतान की परिषद स्तर से कराई गई जांच में श्री के.बी. मालवीय, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा एवं श्री भूपेन्द्र जाटव, सहायक लेखाधिकारी, मनरेगा को दोषी पाया गया। अधिक भुगतान की राशि की वसूली की जा चुकी है। परिषद द्वारा योजना के बैंक खाते से दिनांक 09.07.2013 से 09.10.2013 तक बाहर रही राशि पर 4% की दर से ब्याज राशि रू. 1194 आरोपित की गई थी। यह राशि समान रूप से दोषी अधिकारियों से वसूली की जाकर योजना के बैंक खाते में जमा कराई जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 10044/MGNREGS-MP/NR-11/वि.स./2015, दिनांकः- 07.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
10.	**609**	परि.अता.प्र.सं.275 (क्र.5019) दि.18.03.2015 (श्री मेहरबान सिंह रावत)	मुरैना जिले की सबलगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत स्वीकृत अपूर्ण कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना।	निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने की कार्यवाही प्रचलित है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
11.	**610**	परि.अता.प्र.सं.276 (क्र.5022) दि.18.03.2015 (श्री मेहरबान सिंह रावत)	मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, किचिन शेड, वाटर शेड, जी.एस.बी मार्ग, पुलिया के स्वीकृत निमार्ण कार्य समय-सीमा में पूर्ण न किया जाना एवं मूल्यांकन से अधिक राशि का आहरण करने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	मूल्यांकन से अधिक राशि आहरण होने पर जिम्मेदार अधिकारियों सचिव/सरपंच पर कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	**611**	अता.प्र.सं.03 (क्र.612) दि.30.06.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	विभाग में आदिम जाति कल्याण विभाग से आपसी अदला-बदली (प्रतिनियुक्ति) में पदस्थ विकासखंड अधिकारी की बिना नियम/निर्देश के हुई पदोन्नति की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही।	पदोन्नति बाबत् सामान्य प्रशासन विभाग (रापुप्र.) से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है। परामर्श अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।	कर्मचारी का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन न होने के कारण विभाग के आदेश क्र. 7177/803/22/वि-2/स्था./2015, दि. 02.05.2015 के द्वारा पदोन्नति आदेश निरस्त किया जाकर संबंधित कर्मचारियों को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) के नियम 1966 नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र एवं संबंधित अधिकारियों को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) के नियम 1966 के नियम 14 के अधीन आरोप पत्र जारी किये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2096/22/वि-2/स्था./16, दिनांकः- 12.02.2016 विभागीय जानकारी के परीक्षणोंपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 11538/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 01.04.2016 द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई :- ***सा. प्र. वि. द्वारा विभागीय जांच संबंधी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाने के निर्देश हैं। इस संबंध में संबधितों को कारण बताओ सूचना पत्र एवं आरोप पत्र कब जारी किये गये। जांच किसके द्वारा की जा रही है तथा वर्तमान में क्या स्थिति है, जांच संबंधी कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	प्रकरण में जांच निष्कर्षो के आधार पर कार्यवाही हो ताकि दोषी दण्डित हो। इस निर्देश के साथ समिति तीन माह में कृत कार्यवाही से अवगत होना चाहेगी।
13.	**685**	परि.अता.प्र.सं.25 (क्र.728) दि.27.07.2015 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	जिला आगरमालवा की जनपद पंचायत सुसनेर में परफॉरमेन्स ग्रांट योजना की राशि के दुरूपयोग के संबंध में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती माधुरी शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र के बाद प्रतिउत्तर प्राप्त पश्चात् जांच समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) जी हां। कार्यवाही प्रचलन में है। (2) नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	श्रीमती माधुरी शर्मा को विभागीय आदेश क्रमांक 17042/63विजा/22/वि-2/16, भोपाल दि. 04.12.2015 द्वारा भविष्य के लिये सचेत कर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1370/वि.स./22/वि-2/16, दिनांकः- 29.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	**686**	परि.अता.प्र.सं.67 (क्र.1804) दि.27.07.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के कठोदा से फजलपुर मार्ग का निर्माण गुणवत्ताहीन कराने वाली निर्माण एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही एवं अनुबंधानुसार मार्ग का निर्माण कराया जाना।	उत्तरदायी ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही की जा रही है।	ठेकेदार द्वारा किये गये अमानक कार्य को स्वयं के व्यय पर सुधारा जा रहा है। सुधार कार्य हेतु तीन माह का (30.12.2015 तक) समय दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 22162/22/वि-12/वि.स./आश्वा./15, दिनांक:- 20.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
15.	**687**	परि.अता.प्र.सं.68 (क्र.1821) दि.27.07.2015 (श्रीमती संगीता चारेल)	रतलाम जिले की जनपद पंचायत बाजना की ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता के दोषी सरपंचों/सचिवों से अधिक व्यय की गई राशि की वसूली एवं एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाना।	राशि वसूली एवं एफ.आई.आर. की कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही अनुविभागीय राजस्व सैलाना में प्रचलित है।	रतलाम जिले की जनपद पंचायत बाजना की ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य में मूल्यांकन से अधिक वित्तीय अनियमितताओं के दोषी सरपंचों/सचिवों से अधिक व्यय की गई राशि की वसूली हेतु म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत विहित प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना में कार्यवाही प्रचलित है एवं दोषी ग्राम पंचायत सचिवों को म.प्र. पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के तहत निलंबित किया जा चुका है एवं वर्तमान में विभागीय जांच प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-249/2015/22/पं.-1(पार्ट)/1951/15, दिनांक:- 05.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
16.	**688**	परि.अता.प्र.सं.76 (क्र.1899) दि.27.07.2015 (श्री सुदेश राय)	वर्ष 2014-15 में सीहोर जिले की 56 ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर/एलसीडी चोरी होने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव से वसूली की कार्यवाही की जाना एवं बीमा कंपनी से क्लेम किया जाना।	(1) वसूली संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव से की जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) दोषी सरपंच/सचिव द्वारा सामग्री क्रय कर स्थापित करने एवं बीमा कंपनी से क्लेम की कार्यवाही प्रचलन में है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
17.	**689**	परि.अता.प्र.सं.82 (क्र.1947) दि.27.07.2015 (श्री सुन्दर लाल तिवारी)	अता.प्र.क्र.1099 दिनांक 27 फरवरी 2013 के संदर्भ में रीवा जिले की जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान की समस्त पी.सी.सी. सड़कों की जांच हेतु गठित 03 जांच दल की प्रस्तुत रिपोर्ट एवं आयुक्त रीवा संभाग के आदेश क्र. 277 दिनांक 01.07.2015 के परिपेक्ष्य में पुन: गठित दल की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच में वित्तीय अनियमितताएं पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	**690**	परि.अता.प्र.सं.92 (क्र.2051) दि.27.07.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर ग्रामीणों की समस्या का निराकरण हेतु ग्राम सचिवालय प्रारंभ किया जाना।	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
19.	**691**	परि.अता.प्र.सं.106 (क्र.2216) दि.27.07.2015 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	बालाघाट जिले के लांजी एवं किरनापुर विकासखण्ड में मनरेगा अधिनियम के तहत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान समय-सीमा में नहीं किये जाने पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	दोषियों के विरूद्ध दायित्व निर्धारण हेतु नोटिस जारी किया गया है।	लांजी विकासखण्ड में मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान तकनीकी कारणों से (ई.एफ.एम.एस. प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के कारण) नहीं हो पाया इस कारण कोई दोषी नहीं पाया गया। वित्तीय वर्ष 2012-2013 की लंबित मजदूरी राशि भुगतान के निराकरण हेतु मार्गदर्शन परिषद के पत्र क्र. 1527 दिनांक 11.02.2016 द्वारा जिले को प्रदाय किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-2016 के प्रश्न दिनांक तक के लंबित भुगतान का एफ.टी.ओ. के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2483/MGNREGS-MP/NR-11/वि.स./2016, दिनांक:- 10.03.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
20.	**692**	अता.प्र.सं.10 (क्र.306) दि.27.07.2015 (श्री जतन उईके)	प्रदेश की ग्राम पंचायतों के सचिवों को अंशदान पेंशन योजना का लाभ दिया जाना।	पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने पर एन.एस.डी.एल. को राशि अंतरण की कार्यवाही की जावेगी।	अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत पंचायतराज संचालनालय का पंजीयन तथा 05 जिला एवं उनके जनपद पंचायतों के पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। 05 जिला एवं उनके जनपद पंचायतों के पंजीयन हेतु एन.एस.डी.एल. को प्रेषित किये गये है। शेष जिलों से जानकारी प्राप्त होने पर पंजीयन हेतु एन.एस.डी.एल. को किये जाने के पश्चात ही राशि अंतरण की कार्यवाही की जा सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1474/1948/2015/22/पं.-1, दिनांक:- 15.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	**693**	अता.प्र.सं.22 (क्र.730) दि.27.07.2015 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	(1) जिला आगर मालवा की सुसनेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंच-परमेश्वर योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षो में प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाना। (2) ग्राम पंचायत देहरिया सोयत के बागरी मोहल्ले में सी.सी.रोड निर्माण कार्य में की गई अनियमितता की शिकायत की जांच कराई जाना।	(1) पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत 03(तीन) शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच प्रचलन में है। (2) जी हां। शिकायत की जांच प्रचलन में है।	ग्राम पंचायत बराई की जांच कराये जाने पर वित्तीय अनियमितता पाई गई जिस पर तत्कालीन सचिव/सरपंच के विरूद्ध एफआईआर क्रमांक 0192 दिनांक 06.11.2015 पंचायत सुसनेर द्वारा दर्ज करवाई गई है। ग्राम पंचायत खेलागांव की जांच कराये जाने पर वित्तीय अनियमितता पाई गई जिस पर तत्कालीन सचिव/सरपंच के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने हेतु पत्र क्रमांक 1393 दिनांक 17.11.2015 से थाना प्रभारी नलखेड़ा द्वारा पत्र भेजा गया है। तथा राशि वसूली हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र क्रमांक 1391 दिनांक 17.11.2015 द्वारा लिखा गया है। ग्राम पंचायत देहरिया सोयत के बागरी मोहल्ले में सी.सी.रोड निर्माण कार्य की जांच कराए जाने पर कार्य पूर्ण पाया गया तथा मूल्यांकन अनुसार व्यय का सत्यापन पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ10-241/2015/22/पं.-1/पार्ट/1949/15, दिनांक:- 19.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
22.	**694**	अता.प्र.सं.25 (क्र.796) दि.27.07.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	जिला सतना में वर्ष 2011 में रामायणम चित्रकूट एवं वर्ष 2013 में बसंत उत्सव के आयोजन पर हुए व्यय के लंबित देयकों को भुगतान शीघ्र किया जाना।	मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम/मध्यप्रदेश सांस्कृतिक विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान किया जावेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
23.	**695**	अता.प्र.सं.28 (क्र.918) दि.27.07.2015 (कुंवर विक्रम सिंह)	छतरपुर जिले में राजनगर जनपद क्षेत्र अंतर्गत महालक्ष्मी तेजस्वनि स्व.सहायता को नियमानुसार कार्य दिया जाना।	नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-छतरपुर द्वारा अपने पत्र क्र. 3618 दिनांक 26.11.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत-राजनगर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुक्रम में प्राथमिक शाला बम्हौरी बहादुरजू में महालक्ष्मी तेजस्विनी स्व सहायता समूह को मध्यान्ह भोजन संचालन का कार्य प्रदान करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर की अध्यक्षता वाली खंड स्तरीय दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार उक्त स्व सहायता समूह को पात्र नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1491/22/वि9/एम.डी.एम./वि.स./2016, दिनांक01.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	**696**	अता.प्र.सं.57 (क्र.1414) दि.27.07.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	जिला पंचायत बैतूल/विदिशा में संविदाकर्मियों की सेवावृद्धि के बिना ही मानदेय भुगतान किये जाने की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी।	वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात संबंधित संविदा कर्मियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पर मतांकन के पश्चात प्राप्त अंकों के आधार पर सेवावृद्धि का आदेश जारी किया जाता है। अत: अप्रैल 14 के पूर्व सेवावृद्धि आदेश जारी नहीं किया जा सका। विभाग द्वारा जारी समेकित संविदा नीति 26.06.2010 की कंडिका-2.2 में प्रत्येक वर्ष कार्य मूल्यांकन किया जाता है। प्रथम वर्ष के अंत में संविदा अवधि पूर्ण होने पर जिले में नियोक्ता अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के कार्य मूल्यांकन के प्रतिवेदन के आधार पर एक वर्ष के लिए संविदा अवधि में वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। अत: अप्रैल 2014 के पूर्व सेवा वृद्धि आदेश जारी नहीं किया जा सका। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2372/22/वि-2/स्था./16, दिनांक - 19.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
25.	**697**	अता.प्र.सं.76 (क्र.1763) दि.27.07.2015 (श्री गोपाल सिंह चौहान)	जिला अशोक नगर के ईसागढ़ विकास खण्ड में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत ग्राम कदवाया से जमूनिया चारोली मार्ग का अपूर्ण कार्य निश्चित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना।	एक अपूर्ण सड़क के कार्य को दिसम्बर 2015 तक पूर्ण किया जावेगा।	कार्य समयावधि पूर्व पूर्ण करा लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6631/22/वि-10/ग्रायांसे/2015,दिनांक 20.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
26.	**698**	अता.प्र.सं.141 (क्र.2299) दि.27.07.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह बना)	P.I.V. मऊगंज जिला रीवा की सड़कें क्रमश: देवरा से दामोदरगढ़ बिम्मौली कैनाल से पिडरिया, रमनगरी से गढ़वा, ढाबा से ढावा गौतमान, खटखटी(घोघम) से उकसा कोठार, मझिगवां से अल्हवा, दामोदर गढ़ से बेलहाखेड्डा हर्रई, मुददान से उमरी श्रीपति, पहाड़ी से भैंसहार्प, कन्हैया से बेलहा पहुंच मार्ग का अनुबंधानुसार निश्चित समय-सीमा में नहीं करने वाली निर्माण एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर मार्गो का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	कार्य विलंब से करने हेतु ठेकेदार उत्तरदायी है। अनुबंधानुसार कार्यवाही की जा रही है।	आश्वासन में उल्लेखित 10 मार्गों के 7 उत्तरदायी ठेकेदारों द्वारा सड़कों का निर्माण समयावधि में नहीं करने के कारण प्रस्तुत देयकों में से अनुबंधानुसार लिक्विडेटेड डेमेंज की राशि रूपये 2071484 का कटोत्रा किया गया है। कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि जून 2016। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 22308/22/वि-12/वि.स./आश्वा./15, दिनांक:- 23.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	**699**	अता.प्र.सं.155 (क्र.2463) दि.27.07.2015 (श्री आर.डी.प्रजापति)	छतरपुर जिले की चंदला विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सी.सी.रोड के क्यूब टेस्ट कराये बिना ही निर्माण एजेन्सी को भुगतान किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
28.	**700**	अता.प्र.सं.185 (क्र.2680) दि.27.07.2015 (श्री मेहरबान सिंह रावत)	(1) ग्वालियर एवं मुरैना जिले के नवनिर्वाचित सरपंचों को मानदेय का भुगतान शीघ्र किया जाना। (2) भूतपूर्व सरपंचों को मानदेय भुगतान की कार्यवाही शीघ्र किया जाना।	(1) नवनिर्वाचित सरपंचों के बैंक खाते की जानकारी प्राप्त होते ही मानदेय का भुगतान किया जावेगा। (2) जी हां। भूतपूर्व सरपंचों द्वारा नोडयूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही किये जाने के उपरांत शेष मानदेय का भुगतान कर दिया जावेगा।	(1) नवनिर्वाचित सरपंचों के बैंक खाते प्राप्त कर मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। (2) भूतपूर्व सरपंचों के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ15-48/2015/22/पं.-2/पार्ट/100/16, दिनांक 19.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	616	ता.प्र.सं.11 (क्र.1352) दि.23.07.2015 (श्री रामनिवास रावत)	श्योपुर जिले की नगर पंचायत विजयपुर में बी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत बिना कार्य कराये अनियमित भुगतान किये जाने की जांच में दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार शीघ्र अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना।	(1) दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का पक्ष सुनने के पश्चात् नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही संचालनालय एवं निकाय स्तर से शीघ्र की जायेगी। (2) प्रकरण की जांच किये जाने के लिये संचालनालय के अधिकारी के नेतृत्व में जांच दल गठित किया गया है। जांच के परिणामों के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
30.	617	ता.प्र.सं.23 (क्र.171) दि.23.07.2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सतना जिले के नगर पंचायत नागौद द्वारा किले के नीचे एवं पुल के पास बनाये गये स्टाप डेम में आर्थिक अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्षो के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित की जाकर विस्तृत जांच के आदेश किये गये है एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	प्रकरण की जांच संचालनालय द्वारा गठित जांच समिति श्री संजय कुमार, अधीक्षण, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल, श्री टी.एस. कुमरे, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग रीवा एवं श्री जी.डी. विश्वकर्मा, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग रीवा द्वारा की गई। जांच में प्रथम दृष्टया: तत्का. अध्यक्ष श्रीमती कामाक्षा सिंह, श्री संजय कुमार पाण्डेय, तत्का, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं श्री वीरेन्द्र सिंह, तत्का. मुख्य नगर पालिका अधिकारी दोषी पाये गये हैं। दोषी पाए गए अधिकारियों/पदाधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र आरोप पत्रादि जारी किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** 1152/1216/2016/18-3, दिनांक 06.0.2016	प्रकरण में जांच निष्कर्षो के आधार पर कार्यवाही हो ताकि दोषी दण्डित हो। इस निर्देश के साथ समिति तीन माह में कृत कार्यवाही से अवगत होना चाहेगी।
31.	618	परि.अता.प्र.सं.18 (क्र.398) दि.23.07.2015 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना नगर पालिका में वर्ष 2011 में की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	आयुक्त, राजस्व चंबल संभाग, मुरैना को सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण कर जांच करने के लिये एवं जांच प्रतिवेदन अनुसार गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	**619**	परि.अता.प्र.सं.78 (क्र.1275) दि.23.07.2015 (श्री मुकेश नायक)	परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण पन्ना के विरूद्ध दिनांक 31.12.14 एवं 20.04.14 को की गई शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा जांच कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा शिकायत की जांच उपरांत ठोस साक्ष्य एवं प्रमाण के अभाव में शिकायत तथ्यहीन एवं आधारहीन पाई गई । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 229/5002/2015218-2, दिनांक 12.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
33.	**620**	परि.अता.प्र.सं.100 (क्र.1448) दि.23.07.2015 (पं.रमेश दुबे)	छिन्दवाड़ा जिले की नगर पालिका चौरई के लोक निर्माण शाखा का कार्य देख रहे कर्मचारी द्वारा जनप्रतिनिधि से अभद्र व्यवहार किया जाना एवं अपने स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों की दुकान से सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर को शिकायत की जांच हेतु निर्देशित किया गया है।	विधानसभा प्रश्न 1448 में दिये गये आश्वासन अनुसार कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा को मान. विधायक पं. श्री रमेश दुबे की शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी चौरई से जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायतकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा लिपिक श्री राधेश्याम ठाकुर को लोक निर्माण विभाग के कार्यों से पृथक कर सफाई शाखा के कार्यों का दायित्व दिया गया है। जांच में शिकायत प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण आगे कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है । जांच प्रतिवेदन की प्रति शिकायतकर्ता को दी गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** 2810/3102/2016/18-2, दिनांक 06.07.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
34.	**621**	परि.अता.प्र.सं.103 (क्र.1479) दि.23.07.2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले की कुंभराज नगर पंचायत के तत्कालीन अध्यक्ष, सी.एम.ओ. एवं कर्मचारी तथा निर्माण एजेंसी के विरूद्ध शिकायत पर की गई जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षो के आधार नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	प्राप्त जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष अनुसार गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
35.	**727**	परि.अता.प्र.सं.141 (क्र.2754) दि.28.07.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	(1) नर्मदा नदी तट पर स्थित 12 शहरों का निकलने वाला गंदे नालों का पानी मां नर्मदा नदी में मिलने से प्रदूषित हो रही मां नर्मदा नदी के लिए प्रस्तावित विस्तृत योजना को शीघ्र मूर्त रूप दिया जाकर प्रदूषण मुक्त किया जाना। (2) माँ नर्मदा के प्रमुख घाटों पर सार्वजनिक शौचालय, कचरा डिब्बा की व्यवस्था एवं पन्नीमुक्त कराया जाना।	(1) नर्मदा नदी के तट पर स्थित 12 शहरों में गंदे नालों का पानी माँ नर्मदा नदी में मिलने से रोकने हेतु नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा योजना बनाई जा रही है। (2) नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36.	**728**	अता.प्र.सं.126 (क्र.2701) दि.28.07.2015 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	मां नर्मदा नदी की सफाई हेतु जनसाधारण की सहभागिता से विस्तृत कार्य योजना तैयार कर मां नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त निश्चित समय सीमा में किया जाना।	जी हां । नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा योजना बनाई जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
37.	**786**	परि.अता.प्र.सं.08 (क्र.297) दि.30.07.2015 (श्री जतन उईके)	छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्णा शहर के पेयजल आपूर्ति हेतु परसोड़ी जलाशय का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	निविदा प्रक्रिया आदि पूर्ण की जाकर कार्य प्रारंभ किया जायेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
38.	**787**	परि.अता.प्र.सं.33 (क्र.1615) दि.30.07.2015 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर नगर में अनियंत्रित मांस-मछली विक्रय की दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना।	विद्युत संयोजन का कार्य प्रक्रियाधीन है, कार्य पूर्ण होने पर स्थानांतरित किया जायेगा।	मान. सांसद, मान. महापौर तथा मान. नगर विधायक एवं आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा एक संयुक्त बैठक दिनांक 31.01.2016 को आहूत की गई जिसमें व्यापारियों को विस्थापन हेतु 03 अन्य विकल्प प्रस्तावित किये गये थे । विकल्प के चयन हेतु व्यापारियों द्वारा समय चाहा गया था विकल्प का चयन होते ही शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाना थी। उपरोक्त परिपेक्ष्य में कलेक्टर, सागर की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ पुन: दिनांक 20.04.16 को एक बैठक आहूत की गई जिसमें व्यापारियों से चर्चा उपरांत थोक मांस विक्रेताओं द्वारा थोक मतस्य विपणन केन्द्र में विस्थापन हेतु सहमति दी गई। जिसमें विद्युत संयोजन कार्य प्रक्रियाधीन है साथ ही फुटकर मांस मछली तथा मुर्गा व्यापारियों द्वारा जब तक यथास्थान तिलकगंज मार्केट सर्व सुविधायुक्त नवीन मीट मार्केट सर्वसुविधायुक्त नवीन मीट मार्केट का निर्माण नहीं होता तब तक मार्केट के अन्दर पर्दे ढककर विक्रय करने की प्रशासन द्वारा व्यापारियों को समझाइश दी गई हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2712/3350/2016/18-2, दिनांक 02.07.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
39.	**788**	परि.अता.प्र.सं.57 (क्र.1909) दि.30.07.2015 (श्री वेलसिंह भूरिया)	धार जिले की सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वाले कॉलोनाईजर/भूमिस्वामियों एवं इस हेतु जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) कॉलोनाईजर/भूमिस्वामियों को सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहे गए है, वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है। (2) कार्यवाही प्रचलन में है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40.	**789**	परि.अता.प्र.सं.69 (क्र.2057) दि.30.07.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	राजगढ़ जिले की नगर परिषद सुठालिया में सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना।	प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।	नगर परिषद सुठालिया को सर्व-सुविधायुक्त सामुदायिक भवन हेतु राशि रूपये 26.98 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं कलेक्टर महोदय द्वारा परलापुरा की शासकीय चरनोई भूमि सर्वे क्र. 246/2 रकबा 7.323 में से रकबा 0.125 हेक्टेयर भूमि सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त हो चुकी है। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 831/00/2016/18-2, दिनांक 17.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
41.	**790**	परि.अता.प्र.सं.103 (क्र.2506) दि.30.07.2015 (श्री दिलीप सिंह शेखावत)	प्रदेश में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत कार्यरत सामुदायिक विकास संगठकों को नगरीय निकायों में नवीन सेटअप पदों पर नियमित किया जाना।	वर्तमान में उक्त विषय विचाराधीन है।	विभाग के पत्र क्र. एफ 4-51/2012/18-1, दिनांक 28 फरवरी, 2014 द्वारा प्रदेश में नगरीय निकायों के लिए आदर्श कार्मिक संरचना के अंतर्गत सामुदायिक संगठकों के पदों को सम्मिलित किया गया है तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम (अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम 2000 में 50 प्रतिशत पद कार्यरत सामुदायिक संगठक से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 253/4386/2015/18-1, दिनांक 15.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
42.	**791**	परि.अता.प्र.सं.104 (क्र.2537) दि.30.07.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	सतना नगर पालिका निगम के क्षेत्रान्तर्गत बिड़ला कारपोरेशन लिमिटेड के सतना सीमेन्ट वर्क्स में स्थित बिड़ला विकास स्कूल के पीछे बनाये गये अवैध निर्माण को हटाया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
43.	**792**	परि.अता.प्र.सं.105 (क्र.2538) दि.30.07.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	भोपाल हबीबगंज स्टेशन के पास स्थित मानसरोवर काम्पलेक्स निर्माण की भवन अनुज्ञा रद्द किया जाना।	भवन अनुज्ञा को रद्द करने के संबंध में प्रकरण परीक्षणाधीन है।	नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा पत्र क्रमांक क्यू/जी-50/न.ग्रा.नि.जि.का./ दिनांक 13.07.15 प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में नगर निगम द्वारा प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग को पत्र क्रमांक 342 दिनांक 16.07.15 प्रेषित कर भवन अनुमति क्रमांक 6379 दिनांक 29.05.2002 को म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 299 (क) के अतर्गत प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** 2862/2673/2016/18-1, दिनांक 07.07.2016	समिति अपेक्षा करती है कि आश्वासन अनुरूप कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण हो इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44.	**793**	परि.अता.प्र.सं.106 (क्र.2556) दि.30.07.2015 (श्री ओम प्रकाश धुर्वे)	अनूपपुर जिला अंतर्गत नगर पालिका बिजुरी में सामग्री खरीदी के संबंध में की गई शिकायत की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	आयुक्त(राजस्व) शहडोल संभाग द्वारा जांच कराई जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
45.	**794**	परि.अता.प्र.सं.114 (क्र.2694) दि.30.07.2015 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	प्रदेश में पट्टे/लीज पर दी गई जमीन फ्री-होल्ड किया जाना।	पट्टे/लीज की जमीन को फ्री-होल्ड करने संबंधी विषय विचाराधीन है।	शहरी लीज नवीनीकरण की नीति के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नवीन अचल संपत्ति अंतरण नियम, 2016 में फ्री होल्ड करने के संबंध में दिनांक 24.02.2016 को अधिसूचना जारी की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 988/337/18-3, दिनांक 31.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
46.	**795**	परि.अता.प्र.सं.138 (क्र.2989) दि.30.07.2015 (श्री आरिफ अकील)	भोपाल नगर निगम के आयुक्त, अपर आयुक्त, नगर यंत्री की मिलीभगत में शासकीय राशि का दुरूपयोग किये जाने से उनके विरूद्ध माह अप्रैल 2015 में प्रश्नकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्षो के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रमुख अभियंता से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
47.	**796**	परि.अता.प्र.सं.141 (क्र.3051) दि.30.07.2015 (श्रीमती शकुन्तला खटीक)	शिवपुरी जिले की नगर पंचायत करैरा एवं नरवर में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जी हां। उपसंचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर द्वारा जांच की जा रही है।	उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण की जांच की गई है। जांच में किसी को दोषी नहीं पाया गया है। जिससे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 806/849/2016/18-2, दिनांक 16.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
48.	**797**	परि.अता.प्र.सं.147 (क्र.3122) दि.30.07.2015 (डॉ.योगेन्द्र निर्मल)	श्री सुशील कुमार पाण्डे, तत्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालाघाट द्वारा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत जलावर्धन योजना के कार्यो में की गई अनियमितता के लिये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाना।	नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
49.	**798**	परि.अता.प्र.सं.165 (क्र.3219) दि.30.07.2015 (श्री चेतन्य कुमार कश्यप)	रतलाम नगर में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण एवं विकास कार्य हेतु राशि स्वीकृत कर शीघ्र राशि आवंटित किया जाना।	राशि की स्वीकृति एवं आवंटन का प्रकरण संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.भोपाल में विचाराधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50.	**799**	अता.प्र.सं.24 (क्र.1325) दि.30.07.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले की सिहोरा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत सिहोरा से खितौला बरझा रोड का प्रस्तावित बाईपास मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्र कर कार्य प्रारंभ किया जाना।	उक्त निर्माण कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही उपरांत योजना तैयार की जायेगी।	जबलपुर जिले की सिहोरा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत सिहोरा से खितौला बरझा रोड का प्रस्तावित बायपास मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के तहत तहसीलदार सिहोरा से पत्र क्र. 730 दिनांक 4.3.16 से प्रस्तावित मार्ग में आने वाली भूमियों के भूमि स्वामियों को देय मुआवजा लागत राशि की जानकारी मांगी गई है। सड़क निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार बाबत निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश यूनिक कंस्ट्रक्शन, रसल चौक, जबलपुर को जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2066/2406/2016/18-2, दिनांक 07.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
51.	**800**	अता.प्र.सं.98 (क्र.2432) दि.30.07.2015 (श्री शंकर लाल तिवारी)	सतना शहर के शासकीय खेरमाई नाले पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना।	जी हां। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलित है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
52.	**801**	अता.प्र.सं.103 (क्र.2563) दि.30.07.2015 (श्री ओम प्रकाश धुर्वे)	नगर पालिका परिषद शहडोल में कार्यरत उप यंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा के योग्यता प्रमाण पत्र फर्जी होने की प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्षो के आधार पर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
53.	**802**	अता.प्र.सं.110 (क्र.2670) दि.30.07.2015 (श्री सुन्दर लाल तिवारी)	श्री प्रमोद कुमार पाठक परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण पन्ना के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	कलेक्टर पन्ना के स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है। जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा संयुक्त कलेक्टर जिला पन्ना से प्रकरण की जांच कराई गई। जांच उपरांत ठोस साक्ष्य एवं प्रमाण के अभाव में शिकायत तथ्यहीन एवं आधारहीन पाए जाने के कारण कलेक्टर, जिला पन्ना द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। कलेक्टर, पन्ना द्वारा जांच कराई गई। प्राप्त शिकायत तथ्यहीन पाई गई। अत: कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 41/4967/2015/18-1, दिनांक 08.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54.	**803**	अता.प्र.सं.116 (क्र.2777) दि.30.07.2015 (श्री अशोक रोहाणी)	जबलपुर शहर में मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के तहत बी.पी.एल. परिवारो के निवासों पर पक्के/ जलवाहित शौचालयों का निर्माण कराया जाना।	पक्के/जलवाहित शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है।	जबलपुर शहर में मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के अंतर्गत समस्त शौचालय विहीन आवासों में जल वाहित शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। नगर निगम सीमा स्थित शौचालय विहीन आवासों में जल वाहित शौचालयों के निर्माण हेतु 34,000 व्यक्तिगत शौचालयों की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है जिसके विरूद्ध 20,000 शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष शौचालयों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। जबलपुर शहर को दिसंबर 2016 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** 2858/3551/2016/18-2, दिनांक 07.07.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55.	**804**	अता.प्र.सं.135 (क्र.3114) दि.30.07.2015 (श्री वीरसिंह पंवार)	विदिशा जिले की कुरवाई नगर पंचायत क्षेत्र में कॉलोनाईजरों द्वारा कॉलोनी विकास की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी बनाकर बेचे जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	नगरीय क्षेत्र में कॉलोनी विकास की अनुमति के बिना किये जा रहे अवैध भूमि प्लाटों के संबंध में कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई द्वारा की जा रही है।	नगरीय क्षेत्रांतर्गत पायी गई अवैध कॉलोनियों में से प्रोपराईटर श्री विशाल पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी भोपाल हसीन खां पुत्र रहीस खां, वैष्णव प्रमोटर्स एण्ड डेवलपर भोपाल द्वारा कलेक्टर के आदेश क्रमांक 27 दिनांक 08.12.2015 से एवं श्री धनबहादुर क्षेत्री पुत्र आर.बी.क्षेत्री निवासी भोपाल मेसर्स मनोकामना इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड भोपाल द्वारा न्यायालय कलेक्टर के आदेश क्र. 103 दिनांक 02.07.2015 से कॉलोनी विकास हेतु अनुमति प्राप्त की जा चुकी है तथा नगरीय क्षेत्रांतर्गत अन्य अवैध कॉलोनी के संबंध में कॉलोनाईजरों के विरूद्ध कार्रवाई के लिये प्रकरण कलेक्टर विदिशा की ओर प्रेषित किये गये है, साथ ही चिन्हित अवैध कॉलोनियों में भूखण्डों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाकर संबंधित भूमियों के खसरा नम्बरों से उप-रजिस्ट्रार कुरवाई एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कुरवाई को सूचित किया गया है। अवैध कॉलानियों में किसी भी प्रकार की सुविधा सड़क, नाली, विद्युत कनेक्शन, नल कनेक्शन आदि प्रदाय किये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया हैं। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** 1039/1441/18-2,दिनांक 01.03.2016 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 9365/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 15. 03. 2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में अवैध कॉलोनी के संबंध में कॉलोनाईजरों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्रकरण कलेक्टर विदिशा की ओर प्रेषित किये गये थे, कलेक्टर विदिशा द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	प्रकरण में जांच निष्कर्षो के आधार पर कार्यवाही हो ताकि दोषी दण्डित हो। इस निर्देश के साथ समिति 03 माह में कृत कार्यवाही से अवगत होना चाहेगी।
56.	**805**	अता.प्र.सं.138 (क्र.3124) दि.30.07.2015 (डॉ.योगेन्द्र निर्मल)	वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में बालाघाट जिले की वारासिवनी नगर पालिका परिषद द्वारा कराये गये कार्यो में अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	कलेक्टर जिला बालाघाट को जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने एवं की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57.	580	ता.प्र.सं.280 (क्र.5074) दि.17.03.2015 (श्री चन्द्रशेखर देशमुख)	प्रदेश में डी.पी.एच.एन.ओ. एवं प्राचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति नर्सिंग संवर्ग से राजपत्रित श्रेणी किया जाना।	(1) सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) डी.पी.एच.एन.ओ. के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
58.	581	परि.अता.प्र.सं.104 (क्र.2313) दि.04.03.2015 (श्री जीतू पटवारी)	प्रदेश के 21 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन/ अधीक्षकों द्वारा दवा प्राप्त करने के उपरांत तत्समय प्रभावी निर्देशों का पालन न करते हुये नियम विरूद्ध दवाईयों को लैब में टेस्ट करवाये बिना रोगियों को वितरित करने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
59.	582	अता.परि.प्र.सं.09 (क्र.174) दि.04.03.2015 (श्री मोती कश्यप)	कटनी जिले के बड़वारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यालय पर निवास नहीं करने वाले चिकित्सक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना एवं स्वास्थ्य केन्द्र के स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपरियापान में पदस्थ डॉ.सारिका दुबे के मुख्यालय पर निवास न करने के संबंध में शिकायत पाई गई है। जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (2) जी हां।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
60.	638	ता.प्र.सं.06 (क्र.1428) दि.24.07.2015 (श्री रामप्यारे कुलस्ते)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवास जिला मण्डला में स्वीकृत रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति शीघ्र किया जाना।	पदस्थापना आदेश शीघ्र जारी किए जावेंगे।	आश्वासन तिथी उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवास जिला मण्डला में 03 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है :- (1) डॉ. यतेन्द्र झारिया, चि0अ0 दिनांक 23.09.2015। (2) डॉ. राजेश कुमार केवट, चि0अ0 दि.11.08.2015। (3) डॉ. सौरभ सिंह तौमर, चि0अ0 दि.11.08.2015। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 324/2026/2016/17/मेडि-एक, दिनांक 14.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61.	**639**	ता.प्र.सं.09 (क्र.944) दि.24.07.2015 (श्रीमती नीलम अभय मिश्रा)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरिया जिला रीवा में स्वीकृत चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना।	चिकित्सकों द्वारा किए गए चयन अनुसार शीघ्र ही पदस्थापना आदेश जारी किए जावेंगे।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
62.	**640**	ता.प्र.सं.10 (क्र.1054) दि.24.07.2015 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	कटनी जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों, तकनीशियनों एवं अन्य रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र किया जाना।	(1) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। (2) चिकित्सकों द्वारा चयन किए गए स्थलों हेतु नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। शीघ्र आदेश जारी किए जावेंगे। (3) पैरामेडिकल संवर्ग के पदों हेतु म.प्र.व्यापम द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
63.	**641**	ता.प्र.सं.12 (क्र.1291) दि.24.07.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	डॉ.ए.के.मौर्य, चिकित्सा अधिकारी प्रा.स्था.केन्द्र. बैराढ़ जिला शिवपुरी का स्थानान्तरण आदेश प्रा.स्था.केन्द्र कुर्रापुर जिला सागर किये जाने के विरूद्ध मा.उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश की समय-सीमा में निराकरण न कर 05 वर्ष से अधिक का समय लग जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जी हां। प्रकरण का परीक्षण कर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
64.	**642**	ता.प्र.सं.23 (क्र.1191) दि.24.07.2015 (श्री आर.डी.प्रजापति)	छतरपुर जिले सहित प्रदेश के समस्त जिलों में चिकित्सालयों में हीमो-डायलिसिस की नि:शुल्क सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाना।	जी हां। प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में हीमों डायलिसिस की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है तथा इस हेतु टेन्डर जारी किए जा चुके है एवं हीमोडायलिसिस इकाईयों की स्थापना का कार्य प्रक्रिया में है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
65.	643	परि.अता.प्र.सं.11 (क्र.134) दि.24.07.2015 (श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी)	खरगौन जिले के 60 बिस्तरीय सिविल अस्पताल बड़वाह का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।	खरगौन जिले के 60 बिस्तरीय सिविल अस्पताल बड़वाह का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन करने की स्वीकृति दिनांक 14.07.2008 को की जा चुकी है तथा भवन निर्माण का कार्य भी जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 75/08/2016/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 22.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
66.	644	परि.अता.प्र.सं.22 (क्र.362) दि.24.07.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल गंजबासोदा, जिला विदिशा में चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पदोन्नति से एवं चिकित्सा अधिकारी का रिक्त पद शीघ्र भरा जाना।	पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। चिकित्सा अधिकारी के पद लोक सेवा आयोग से भरे जाने की कार्यावाही की जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
67.	645	परि.अता.प्र.सं.33 (क्र.578) दि.24.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	जिला चिकित्सालय श्योपुर में आई.सी.यू. की स्थापना शीघ्र की जाना एवं चिकित्सा विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जाना।	(1) जिला चिकित्सालय श्योपुर में आई.सी.यू. की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। (2) रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
68.	646	परि.अता.प्र.सं.34 (क्र.579) दि.24.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ौदा जिला श्योपुर के नवीन भवन के निर्माण हेतु समस्त प्रक्रिया समय-सीमा में पूर्ण की जाकर शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाना।	सर्वे उपरांत कन्सेप्ट प्लान तैयार करने का कार्य प्रचलन में है। कन्सेप्ट प्लान अनुमोदन पश्चात् प्राक्कलन का प्रस्ताव स्थाई वित्त समिति के समक्ष प्रशासकीय स्वीकृति हेतु यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जावेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
69.	647	परि.अता.प्र.सं.65 (क्र.1077) दि.24.07.2015 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन एवं मझौली में स्वीकृत रिक्त चिकित्सकों की शीघ्र पदस्थापना की जाना।	चिकित्सकों द्वारा पदस्थापना चयन उपरांत शीघ्र ही आदेश जारी किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।	आश्वासन तिथी उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन एवं मझौली में लोक सेवा आयोग चयनित 01-01 चिकित्सक की पदस्थापना की गई है :- (1) डॉ. शिल्पा राजपूत सा0स्वा0के0 पाटन (2) डॉ. निधि शर्मा, सा0स्वा0के0 मझौली । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 132/2025/2016/17/मेडि-एक, दिनांक 14.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
70.	648	परि.अता.प्र.सं.70 (क्र.1118) दि.24.07.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड द्वारा खरीदी गई औषधि की गुणवत्ता एवं अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड द्वारा खरीदी गई औषधी की गुणवत्ता एवं अनियमितताओं के संबंध में डॉ. राकेश शर्मा के विरूद्ध कार्यवाही कर दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 774/1063/2016/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 22.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
71.	649	परि.अता.प्र.सं.88 (क्र.1449) दि.24.07.2015 (पं.रमेश दुबे)	छिन्दवाड़ा जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में कलेक्टर दर से ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मियों को पारिश्रमिक का समय पर भुगतान न किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	सफाई कर्मियों को समय पर भुगतान न किये जाने की जांच के आदेश जारी किये गये है। दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार साफ-सफाई कर्मियों का बैंक अकाउण्ट अलग-अलग बैंको में होने के कारण ठेकेदार द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान विलम्ब से किया जा रहा है। जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर ऐजेन्सी को सी.ए.ओ. छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 64 दिनांक 16.05.2016 के द्वारा नोटिस दिया गया। तत्पश्चात ठेकेदार द्वारा समस्त कर्मचारियों का एक ही बैंक में खाता खुलवाकर तदानुसार वेतन भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 635/826/2016/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 13.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
72.	650	अता.प्र.सं.62 (क्र.1307) दि.24.07.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जाना।	जी हां। प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
73.	651	अता.प्र.सं.76 (क्र.1395) दि.24.07.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के सिविल अस्पताल लहार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिहोना, मछण्ड, बरहा, असवार, खिजौरा (रावतपुरा), दबोह एवं आलमपुर में चिकित्सकों के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति की जाना।	चिकित्सकों द्वारा पदस्थापना चयन उपरांत शीघ्र ही आदेश जारी किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
74.	652	अता.प्र.सं.77 (क्र.1396) दि.24.07.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	प्रदेश में पूर्ण कालिक अभिहित अधिकारी की निश्चित समय-सीमा में नियुक्ति किया जाना।	(1) अभिहित अधिकारी की नियुक्ति करने की कार्यवाही प्रचलित है। (2) निर्धारित समय-सीमा में अभिहित अधिकारी की नियुक्ति के लिए विभाग प्रयासरत् है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
75.	653	अता.प्र.सं.79 (क्र.1423) दि.24.07.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	अपचारी डॉ.आई.एम.शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा के विरूद्ध विभाग द्वारा दिनांक 25.06.14 को कारण बताओं सूचना पत्र का प्रतिवाद उत्तर निर्धारित समय-सीमा में नहीं प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दोषी के विरूद्ध समय-सीमा में कार्यवाही किया जाना।	नोटिस का प्रतिवाद उत्तर उन्हें प्राप्त होने तथा उसका परीक्षण किये जाने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
76.	**654**	अता.प्र.सं.81 (क्र.1445) दि.24.07.2015 (श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा)	सोनकच्छ, जिला देवास के शासकीय चिकित्सालय में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाना।	एक्स-रे मशीन क्रय की गई है एवं अतिशीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लगभग 07 दिवस में स्थापित कर दी जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
77.	**830**	परि.अता.प्र.सं.09 (क्र.266) दि.31.07.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	जिला आगर मालवा में ट्रामा सेंटर की शीघ्र स्वीकृति दी जाना।	जिला आगर-मालवा में ट्रामा सेंटर स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है।	जिला आगर मालवा में ट्रामा सेंटर की स्वीकृति शासन के आदेश एफ-12-30/ 2015/सत्रह/ मेडि-3, दिनांक 19.05.2015 द्वारा प्रदान कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 637/823/2016/सत्रह/मेडि-3, दिनांक13.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
78.	**831**	परि.अता.प्र.सं.75 (क्र.2058) दि.31.07.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	(1) राजगढ़ जिले के नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया का भवन उपयोगार्थ विद्युत कनेक्शन लेने की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाना। (2) बाउण्ड्रीवाल एवं आवासीय भवनों की तकनीकी स्वीकृति शीघ्र दी जाना।	(1) विद्युत कनेक्शन लेने की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) तकनीकी स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है।	(1) विद्युत कनेक्शन लेने की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया की बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु शासन द्वारा राशि रूपये 27.68 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 19.11.2015 को जारी की गई एवं आवासीय भवनों हेतु विद्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रिनोवेट कर चार आवासीय गृह तैयार करने हेतु राशि रूपये 25.17 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 29.12.2015 को जारी की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 179/92/2016/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 08.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
79.	**832**	परि.अता.प्र.सं.78 (क्र.2092) दि.31.07.2015 (श्री हरदीप सिंह डंग)	मंदसौर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुवासरा में एक्स-रे मशीन शीघ्र उपलब्ध कराई जाना।	एक्स-रे मशीन यथासंभव उपलब्ध कराई जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
80.	**833**	परि.अता.प्र.सं.82 (क्र.2157) दि.31.07.2015 (प्रो.संजीव छोटेलाल उईके)	(1) मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में तकनीकी स्वास्थ्य परीक्षण मशीने उपलब्ध कराई जाना। (2) जिला चिकित्सालय मण्डला में बंद पड़ी सीटी स्केन मशीन को शीघ्र ठीक कराया जाना।	(1) कार्यवाही प्रचलन में है। (2) सुधार कार्य कराया जा रहा है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
81.	**834**	परि.अता.प्र.सं.95 (क्र.2332) दि.31.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में स्वीकृत स्टॉफ एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	(1) पदों के स्वीकृति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) चिकित्सकों की भर्ती के कार्यवाही प्रलचन में है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
82.	**835**	परि.अता.प्र.सं.108 (क्र.2489) दि.31.07.2015 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	मुरैना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैलारस के भवन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाना।	भवन का सर्वेक्षण कराने के उपरांत आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।	मानचित्र तैयार। मुरैना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैलारस के भवन निर्माण कार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आगामी पी.आई.पी. में शामिल करने की कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 181/93/2016/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 08.02.2016 ***<u>अद्यतन जानकारी</u>*:-** मुरैना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैलारस के भवन निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 367.85 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 06.04.2016 जारी कर निविदा आमंत्रित कर ली गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 832/1036/2016/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 05.07.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
83.	**836**	परि.अता.प्र.सं.120 (क्र.2614) दि.31.07.2015 (पं.रमेश दुबे)	छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई एवं अमरवाड़ा में वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक रोगी कल्याण समिति की राशि में अनियमितता की जांच समय-सीमा में पूर्ण कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर को प्रकरण की जांच के निर्देश दिये गये है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
84.	**837**	परि.अता.प्र.सं.137 (क्र.2890) दि.31.07.2015 (श्री हर्ष यादव)	प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में शवों को सुरक्षित रखे जाने के लिए मर्चुरी रेफ्रिजरेटर उपलब्ध कराया जाना।	जिला स्तर पर मॉर्चरी रेफ्रिजरेटर स्थापित करने की व्यवस्था की कार्यवाही प्रचलन में है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
85.	**838**	परि.अता.प्र.सं.145 (क्र.2962) दि.31.07.2015 (श्री रामसिंह यादव)	शिवपुरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बदरवास के भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।	शिवपुरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बदरवास के भवन का निर्माण कार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आगामी पी.आई.पी. में शामिल करने की कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 177/94/2016/सत्रह/मेडि-3, दिनांक :- 08.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
86.	**839**	परि.अता.प्र.सं.178 (क्र.3242) दि.31.07.2015 (श्री जालम सिंह पटेल)	नरसिंहपुर सी.एम.एच.ओ. द्वारा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जांच में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन विभाग के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु संचालनालय को प्राप्त हुआ जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
87.	**840**	अता.प्र.सं.09 (क्र.849) दि.31.07.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	रायसेन जिले में नसबंदी ऑपरेशन के फेल हो जाने के कारण शासन के नियमानुसार आर्थिक सहायता के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाना।	विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है। निर्णय उपरांत त्वरित कार्यवाही करते हुये यथाशीघ्र निराकरण किया जा सकेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
88.	**841**	अता.प्र.सं.25 (क्र.1577) दि.31.07.2015 (श्री सुदर्शन गुप्ता)	प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्टाफ नर्सो को तृतीय समयमान वेतन का लाभ दिया जाना।	तृतीय समयमान वेतन स्वीकृत किया गया है। जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है।	ब्रमस्वरूप समिति के अनुशंसा के अनुसार नरसिंह संवर्ग केडर में पदस्थ कर्मचारियों को वेतन मान का लाभ दिये जाने हेतु म.प्र. शासन लोक.स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ3-5/2008/17/मेडि-1, दिनांक 17.11.15 के द्वारा वेतनमान जारी किया गया है एवं बड़े हुए वेतन मान का लाभ दिनांक 1.4.06 से दिये जाने के निर्देश संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9 नर्सिंग/सेल-1/2015/1334, दिनांक 1.12.2015 के द्वारा अधिनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं को जारी कर दिये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 860/221/2016/सत्रह/मेडि-1,दिनांक :- 06.04.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
89.	**842**	अता.प्र.सं.98 (क्र.2625) दि.31.07.2015 (पं.रमेश दुबे)	छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई में शिशु को इंजेक्शन लगाये जाने के बाद मृत्यु हो जाने की जांच एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरूद्ध शीघ्र कार्यवाही की जाना।	श्रीमती अनसुईया धुर्वे, स्टॉफ नर्स के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा गया है। अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर शीघ्र अवगत कराया जावेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
90.	**843**	अता.प्र.सं.120 (क्र.2839) दि.31.07.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	जिला चिकित्सालय, पन्ना एवं उमरिया में कामथेन सिक्युरिटी सर्विस को वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में साफ-सफाई के ठेका में अनुबंध/शर्तों का उल्लंघन करने की प्रचलित जांच एवं जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा एवं सागर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एवं दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
91.	**844**	अता.प्र.सं.149 (क्र.3129) दि.31.07.2015 (श्रीमती संगीता चारेल)	(1) रतलाम जिले की सैलाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना । (2) नसबंदी ऑपरेशन के दौरान 02 महिलाओं की हुई मृत्यु की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) वर्तमान में कार्यवाही प्रचलन में है । (2) मृत्यु की विभागीय स्तर से जांच की कार्यवाही प्रचलन में है । दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

जुलाई, 2015 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
92.	**630**	ता.प्र.सं.05 (क्र.1209) दि.24.07.2015 (श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर)	खण्डवा जिले के विकासखण्ड पुनासा एवं किल्लौद क्षेत्र में संचालित शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्य एवं विषयवार शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	(1) पदोन्नति प्राचार्यों के पदांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) संविदा शाला शिक्षकों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये पात्रता परीक्षा आयोजित करने एवं पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (3) शिक्षकीय संवर्ग के पदोन्नति के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जायेगा।	खण्डवा जिले के पुनासा एवं किल्लौद क्षेत्र में संचालित हाईस्कूल-हाई सेकेण्ड्री शालाओं में पदोन्नति माध्यम से 03 हाई सेकेण्ड्री प्राचार्य, वरिष्ठ अध्यापक के 16 एवं 06 उच्च श्रेणी अध्यापक संवर्ग में 03 अध्यापकों की पदोन्नति की जाकर पदपूर्ति की जा चुकी है एवं हाईस्कूल पर पदोन्नति पश्चात पदांकन की कार्यवाही में उक्त क्षेत्रों के रिक्त पदों को संसूचित किया गया है। पात्र लोग सेवकों द्वारा विकल्प चुनने पर पदांकन की कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30-57/2015/20-1, दिनांक 28.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
93.	**631**	परि.अता.प्र.सं.06 (क्र.90) दि.24.07.2015 (श्री शंकर लाल तिवारी)	सहायक संचालक (योजना) के पद पर पदोन्नति किया जाना।	भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है। नियम प्रकाशित होने के उपरांत आगामी कार्यवाही संभव होगी।	भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में संशोधन पर कार्यवाही शासन स्तर एवं विधि विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत परिमार्जन हेतु प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30-137/2015/20-1, दिनांक 06.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
94.	**632**	परि.अता.प्र.सं.82 (क्र.1304) दि.24.07.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले अंतर्गत लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति से शीघ्र किया जाना।	पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है।	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग के निम्नांकित आदेश द्वारा पदोन्नति की जा चुकी है :- (1) क्रं./स्था.4/लिपिक/पदोन्नति/2015/3901, दिनांक 31.10.15 (2) क्रं./स्था.4/लिपिक/पदोन्नति/2015/3903, दिनांक 31.10.15 (3) क्रं./स्था.4/लिपिक/पदोन्नति/2015/3905, दिनांक 31.10.15 **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30-127/2015/20-1, दिनांक 28.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
95.	**633**	परि.अता.प्र.सं.83 (क्र.1305) दि.24.07.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर संभाग के अंतर्गत लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ शीघ्र दिया जाना।	(1) वर्ष 2015 के लिए संयुक्त संचालक, जबलपुर द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे है यह प्रक्रियाधीन है । समयमान वेतनमान की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। (2) पात्रताधारी शेष कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	जबलपुर संभाग अंतर्गत लिपिक वर्ग के कर्मचारियों जिन्होने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ऐसे 246 कर्मचारी, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 183 कर्मचारियों को पूर्व में समय मान वेतनमान प्रदान किया जा चुका है। जबलपुर संभाग अंतर्गत पात्रता अनुसार कर्मचारी को समय मान वेतनमान प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कर्मचारियों को समय मान वेतनमान प्रदान किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। शासन नियमों एवं निर्देशों के अनुक्रम में पात्र कर्मचारियों को समय मान का लाभ तथा समय दिया जाता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30-125/2015/20-1/पी.एफ, दिनांक 02.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
96.	**634**	परि.अता.प्र.सं.101 (क्र.1560) दि.24.07.2015 (श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल)	वर्ष 2012-2013 में बैतूल जिले में स्वीकृत शाला भवनों का निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं करने वाली निर्माण एजेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना एवं अपूर्ण निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	कलेक्टर द्वारा एजेंसियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर कार्य पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।	कुल 06 अपूर्ण शाला भवनों में से 01 भवन का कार्य पूर्ण हो गया है। कारण बताओं नोटिस जारी करने पर 02 शाला भवनों को पूर्ण करने हेतु एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। एवं 03 शाला भवनों की निर्माण एजेंसियों के विरूद्ध दिनांक 02.09.15 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में वसूली हेतु प्रकरण प्रस्तुत किये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 177/1746/2015/20-3, दिनांक 02.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
97.	**635**	अता.प्र.सं.42 (क्र.1081) दि.24.07.2015 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय नवीन माध्यमिक शाला कछपुरा की प्रधानाध्यापिका मीनक चैतन्य के विरूद्ध शिकायत आधार पर प्रशासनिक स्थानान्तरण आदेश जारी करने एवं निरस्त करने की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश क्रं. स्था3/स्था./2015/14167 दिनांक 28.10.15 श्रीमती मीनल चैतन्य प्रधान पाठक मा.शा. कछपुरा जबलपुर से किया गया प्रशासनिक स्थानांतरण शास.माध्य. शाला मंगैला यथावत किया गया है। जांच हेतु संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर को संचालनालय के पत्र क्रमांक 1960 दिनांक 20.11.15 से लिखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30-124/2015/20-1, दिनांक 28.11.2015 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 2817/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 04.02.2016, द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में जांच निष्कर्ष के आधार पर की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	इस मामले में जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषी ''दण्डित'' हो । इस अपेक्षा के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
98.	**636**	अता.प्र.सं.49 (क्र.1124) दि.24.07.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	चंबल संभाग अंतर्गत ए.ई.ओ. के स्वीकृत पदों पर शीघ्र पदस्थापना किया जाना।	ए.ई.ओ. की पदस्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	एरिया एज्यूकेशन ऑफिसर की नियुक्ति के संबंध में म.प्र. राज्य के स्टेण्डिंग काउंसलिंग एवं विधि विभाग की अनुमति से एस.एल.पी. क्रमांक 7618/2015 में प्रतिरक्षण हेतु दिनांक 4.1.16 को रिटर्न प्रस्तुत किया है। न्यायालय निर्णय उपरांत ही नियुक्ति की कार्यवाही संभव हो सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30/123/2015/20-1, दिनांक 06.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
99.	**637**	अता.प्र.सं.78 (क्र.1422) दि.24.07.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा जिले के शासकीय उ.मा.वि.शाहपुर विकासखण्ड सिरमौर में पदस्थ प्राचार्य के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।	प्राचार्य के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 373-374 दिनांक 7.7.15, 406-07 दिनांक 21.7.15 एवं क्रमांक 615 दिनांक 26.9.15 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा को जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत गुणदोष के आधार पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही कर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2359/1385/2015/20-4, दिनांक 02.12.2015 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 2817/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 04.02.2016, द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	प्रकरण में जांच निष्कर्षो के आधार पर कार्यवाही हो, ताकि दोषी दण्डित हो। इस निर्देश के साथ समिति 03 माह में कृत कार्यवाही से अवगत होना चाहेगी।
100.	**811**	परि.अता.प्र.सं.03 (क्र.110) दि.31.07.2015 (श्री सचिन यादव)	खरगौन जिले की विधान सभा क्षेत्र कसरावद अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल एवं उ.मा.वि. में प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	प्राचार्य व्याख्याता शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति से भरे जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। संविदा शाला शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति से पद पूर्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है।	काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नति प्राचार्यों द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर शासन आदेश दिनांक 28.08.15 से प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एवं संचालनालय के आदेश दिनांक 07.01.16 से प्राचार्य हाईस्कूल के पदों की पूर्ति की गई है। व्याख्याता पद पर पर विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा शिक्षक पदों की पूर्ति की जानकारी हेतु जिला शिक्षा अधिकारी खरगोन को संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था.3/सी/2/वि.स./2016/178 दिनांक 4.2.16 द्वारा लिखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30-200/2015/20-1, दिनांक 06.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
101.	**812**	परि.अता.प्र.सं.53 (क्र.1857) दि.31.07.2015 (श्री नथनशाह कवरेती)	जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल के आदेश दिनांक 10.06.2015 द्वारा शिक्षक(विज्ञान) के स्वेच्छिक/ युक्तियुक्तकरण नीति के तहत किए गए स्थानान्तरण की शिकायत की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण के उपरांत शासन की एवं युक्तियुक्तकरण नीति अंतर्गत प्रकरण का नियमानुसार निराकरण संभव हो सकेगा।	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल को आश्वासन के संक्षिप्त विषय में दिये गये प्रकरण का परीक्षण कराकर जांच प्रतिवेदन भेजने हेतु संचालनालय के पत्र क्रं. स्था03/एच/वि0स0/2016/ 189, दिनांक 04.02.2016 के द्वारा लिखा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** एफ30/250/2016/20-1दिनांक 08.02.2016 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 15461/ वि.स./ आश्वा./ 2016, दिनांक 31.05.2016, द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	प्रकरण में जांच निष्कर्षो के आधार पर कार्यवाही हो ताकि दोषी दण्डित हो। इस निर्देश के साथ समिति 03 माह में कृत कार्यवाही से अवगत होना चाहेगी।
102.	**813**	परि.अता.प्र.सं.74 (क्र.2043) दि.31.07.2015 (श्री कल सिंह भाबर)	झाबुआ जिले की समस्त शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण नहीं करने वाली शाखा प्रबंधन समिति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कार्य पूर्ण नहीं किये जाने वाली शाला प्रबंधन समिति के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।	झाबुआ जिले के समस्त शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** 101/124/2016/20-3दिनांक 20.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
103.	**814**	परि.अता.प्र.सं.79 (क्र.2109) दि.31.07.2015 (श्री प्रताप सिंह)	प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ अपात्र प्रभारी अधिकारियों/कर्मचारियों की जांच करा कर उन्हें हटाया जाना।	परीक्षण किया जा रहा है।	परीक्षण उपरान्त वर्तमान स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कोई भी अपात्र अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ नहीं है। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** 284/2015/20-1दिनांक 20.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
104.	**815**	परि.अता.प्र.सं.84 (क्र.2174) दि.31.07.2015 (श्री महेश राय)	सागर जिले के बीना विधान सभा क्षेत्र के हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों में नियमित प्राचार्यो की पदस्थापना की जाना।	पदांकन की कार्यवाही प्रचलन में है।	सागर जिले के बीना विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 13 हाई सेकेण्ड्री स्कूलों के रिक्त पदों में से प्राचार्य हाई स्कूल से प्राचार्य उ.मा.वि. पद पर पदोन्नति हेतु शासनादेश दिनांक 28.08.15 द्वारा लोक सेवकों द्वारा विकल्प प्रस्तुत किये अनुसार 05 हाई सेकेण्ड्री स्कूलों में नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना की जा चुकी है। हाईस्कूल पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 27.05.15 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के पश्चात ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से विकल्प प्रस्तुत किये जाने हेतु अंतिम तिथि 07.12.15 नियत है। तत्पश्चात बीना विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत रिक्त 15 विद्यालयों के विकल्प पात्र लोक सेवकों द्वारा भरे जाने के पश्चात पदांकन की कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1743/1745/2015/20-3, दिनांक 07.12.2015 ***<u>अद्यतन जानकारी</u>***:- सागर जिले के बीना विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 13 हाई सेकेण्ड्री स्कूलों के रिक्त पदों में से प्राचार्य हाई स्कूल से प्राचार्य उ.मा.वि. पद पर पदोन्नति हेतु शासनादेश दिनांक 28.08.15 द्वारा लोक सेवकों द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार 05 हाई सेकेण्ड्री स्कूलों में नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना की जा चुकी है। सागर जिले के बीना विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 15 हाईस्कूलों के रिक्त पदों में से व्याख्याता उ.मा.वि. से प्राचार्य हाईस्कूल पद पर पदोन्नति हेतु आदेश दिनांक 07.01.16 द्वारा लोक सेवकों द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार 02 हाईस्कूलों में नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 203/217/2016/20-3, दिनांक 06.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
105.	**816**	परि.अता.प्र.सं.87 (क्र.2195) दि.31.07.2015 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खण्डवा जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का निजी स्कूल संचालकों द्वारा उल्लघंन किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) प्रकरण की जांच कराई जा रही है। (2) अनियमितता पाए जाने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी।	(1) प्रकरण की जांच करवाई गई। (2) जांच दल की जांच रिपोर्ट के अनुसार 09 अशासकीय शालाओं में अनियमितता पाए जाने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1865/1786/2015/20-3,दिनांक :- 18.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
106.	**817**	परि.अता.प्र.सं.144 (क्र.2946) दि.31.07.2015 (श्री कमलेश्वर पटेल)	सीधी जिले में वर्ष 2015 में घोषित किये गये अतिशेष शिक्षकों की पदस्थी में युक्तियुक्तकरण नीति का उल्लंघन किये जाने पर आपत्ति लेने वाले शिक्षकों के प्रकरण का निराकरण किया जाना।	03 सहायक शिक्षकों ने आपत्ति ली है, शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	सीधी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर आपत्तियों के निराकरण हेतु विभागीय परीक्षण समिति द्वारा परीक्षण के उपरांत वस्तुस्थिति प्रतिवेदन निम्नानुसार है :- (1) श्री गोविन्द प्रसाद पाण्डेय सहा.शिक्षक बालक चुरहट का अतिशेष पदांकन प्रा.वि.बड़ा टिकट के लिये किया गया था । अतिशेष शिक्षकों का काउंसलिंग के माध्यम से चयनित शाला में पदांकन किये जाने का प्रावधान किया गया था। श्री पाण्डेय द्वारा विकल्प में मा.शाला का चयन किया गया था। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत सहा.शिक्षक/सहा.अध्यापक संदर्भ का पदांकन माध्यमिक शाला में नहीं किये जाने विहित प्रावधान के तहत अभ्यावेदन अमान्य कर दिया गया। (2) श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सहा. शिक्षक, प्रा.वि. हर्दिहा कोठार के द्वारा अतिशेष शिक्षक चिन्हांकित किये जाने हेतु अभ्यावेदन के संबंध में परीक्षण उपरांत समिति के प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय कलेक्टर एवं मिशन संचालक सीधी के आदेश दिनांक 15.7.2014 के तहत प्रा.वि. हर्दिहा कोठार एवं प्रा.वि.हर्दिहा दक्षिण का युक्तियुक्तकरण किये जाने के कारण आवेदक अतिशेष की श्रेणी में चिन्हांकित किये गये थे । समिति द्वारा अभ्यावेदन अमान्य कर दिया गया। श्री श्यामलाल कुशवाहा सहा.शिक्षक प्रा.वि.कोल्हूडीह का अतिशेष पदांकन प्रा.विबढौना दक्षिण के लिये किया गया था। संबंधीजन के द्वारा अपनी पदस्थापना मा.वि. कोल्हूडीह में होने का उल्लेख किया गया तथा अतिशेष चिन्हांकन के विरूद्ध आपत्ति दर्ज कराई गई थी। समिति के द्वारा परीक्षण उपरांत प्रकरण के संबंध में संकुल प्राचार्य कमर्जी द्वारा 21.5.15 के स्थापना की जानकारी में श्री कुशवाहा सहा.शिक्षक की पदस्थपना प्रा.वि.शाला आपत्ति निराधार होने अभ्यावेदन अमान्य कर दिया गया। उपरोक्त के प्रकाश में जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी स्तर से आपत्तियों के परीक्षण हेतु समिति जांच प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 30.7.15 की स्थिति में अभ्यावेदन अमान्य कर उद्भुत आश्वासन की पूर्ति कर ली गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30-184/2015/20-1,दिनांक :- 06.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
107.	**818**	अता.प्र.सं.13 (क्र.1084) दि.31.07.2015 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले की पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय शालाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	संविदा शाला शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति से पद पूर्ति की जायेगी।	जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के पत्र दिनांक 07.12.2015 द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार शिक्षक विहिन विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30-158/2015/20-1,दिनांक :- 06.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
108.	**819**	अता.प्र.सं.17 (क्र.1328) दि.31.07.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले के सिहोरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुर्रो के ग्राम महगवां में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य कराया जाना।	निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है। निविदा स्वीकृति उपरांत कार्य कराया जावेगा।	जबलपुर जिले के सिहोरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुर्रो के ग्राम महगवॉ में प्राथमिक शाला भवन (अतिरिक्त कक्ष) का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर पूर्णता की ओर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30-164/2015/20-3,दिनांक :- 16.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
109.	**820**	अता.प्र.सं.20 (क्र.1389) दि.31.07.2015 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	मुरैना जिला के जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कई वर्षो से पदस्थ लिपिकों को अन्यत्र पदस्थापना की जाना।	कई वर्षो से एक ही कार्यालय में पदस्थ लिपिकों के अन्यत्र पदस्थ करने की कार्यवाही पृथक से प्रचलित है।	संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक स्था.4/बी/वि.स./ 2015/2039, दिनांक 4.12.15, पत्र क्रमांक 189, दिनांक 21.01.16 एवं पत्र क्रमांक 323 दिनांक 03.02.16 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना से प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30-59/2015/20-1,दिनांक :- 06.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
110.	821	अता.प्र.सं.29 (क्र.1648) दि.31.07.2015 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले में युक्तियुक्तकरण नीति 2015 का उल्लंघन किये जाने की प्रश्नकर्ता व अन्य संगठनों द्वारा की गई शिकायत/पत्राचार में उल्लेखित बिन्दुओं की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	अतिशेष की कार्यवाही हेतु तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही निर्भर है।	युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की जांच कलेक्टर कटनी के पत्र क्रमांक/युक्तियुक्त करण /2015/ 4732 दिनांक 5.8.15 द्वारा संयुक्त कलेक्टर को सौंपी गई है। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30-192/2015/20-1,दिनांक :- 07.12.2015 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 2817/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 04.02.2016, द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	प्रकरण में जांच निष्कर्षो के आधार पर कार्यवाही हो, ताकि दोषी दण्डित हो। इस निर्देश के साथ समिति 03 माह में कृत कार्यवाही से अवगत होना चाहेगी।
111.	822	अता.प्र.सं.64 (क्र.2102) दि.31.07.2015 (श्री हरदीप सिंह डंग)	प्रदेश की शिक्षा गारंटी शालाओं एवं वैकल्पिक विद्यालयों के गुरूजियों को मा.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के आदेश/निर्णय के पालन में वर्ष 2010 से 2015 तक एरियर्स एवं अध्यापक संवर्ग के समान वेतन का भुगतान किया जाना।	प्रकरण परीक्षण प्रक्रिया में होने से कार्यवाही गतिशील है।	आश्वासन क्रमांक 822 के मूल प्रश्न का उत्तर राज्य शिक्षा केन्द्र से प्रेषित हुआ है। इस आश्वासन की पूर्ति के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र दिनांक 15.01.16 के द्वारा गुरूजियों को नियम विरूद्ध वर्ष 2010 से 2015 तक एरियर्स एवं अध्यापक संवर्ग के समान वेतन का भुगतान की जांच कराकर संबंधितों से वसूली एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई इस कार्यालय से करने का लेख किया है। इस पत्र के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर को दिनांक 03.02.16 को पत्र लिखकर प्रकरण में कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन आश्वासन के उत्तर सहित भेजने के निर्देश दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 125/353/2016/20-2,दिनांक :- 05.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
112.	823	अता.प्र.सं.88 (क्र.2410) दि.31.07.2015 (कुंवर सौरभ सिंह)	प्रदेश में एरिया एज्यूकेशन आफिसर की भर्ती परीक्षा 2013 के संबंध में मा.उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही की जाना।	प्रक्रिया प्रचलन में है।	एरिया एज्यूकेशन ऑफिसर की नियुक्ति के संबंध में प्रकरण मान. उच्चतम न्यायालय में लंबित होने से न्यायालय निर्णय उपरांत ही कार्यवाही संभव हो सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30-198/2015/20-1,दिनांक :- 23.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
113.	**824**	अता.प्र.सं.113 (क्र.2786) दि.31.07.2015 (डॉ.रामकिशोर दोगने)	माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के कर्मचारी श्री सुरेश तिवारी सहायक ग्रेड-3 द्वारा निजी स्कूलों की नवीन मान्यता एवं मान्यता वृद्धि में अनियमितता किये जाने की शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	संबंधित के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है, जो वर्तमान में प्रचलन में है।	संबंधित कर्मचारी श्री सुरेश तिवारी सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध विभागीय जांच वर्तमान में प्रचलित है। इनका स्थानांतरण कार्यालयीन आदेश क्रमांक प्रशा./स्था./ए-2/2119, दिनांक 21.10.2015 द्वारा संभागीय कार्यालय रीवा किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1776/1738/2015/20-3,दिनांक :- 10.12.2015 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 2817/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 04.02.2016, द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	प्रकरण में जांच निष्कर्षो के आधार पर कार्यवाही हो ताकि दोषी दण्डित हो। इस निर्देश के साथ समिति 03 माह में कृत कार्यवाही से अवगत होना चाहेगी।
114.	**825**	अता.प्र.सं.140 (क्र.3093) दि.31.07.2015 (एड.सत्यप्रकाश सखवार)	वर्ष 1982-83 के पूर्व एवं वर्ष 1994-95 के बाद नियुक्त उप शिक्षक, सहायक शिक्षक तथा शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से ही पूर्ण वेतनमान मय एरियर के प्रदान किये जाने हेतु मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2015 को दिये गये निर्णय का पालन किया जाना।	विधिक अभिमत प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।	मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.02.15 के क्रम में जिलों से जानकारी एकत्र की जा रही है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30-73/2015/20-1,दिनांक :- 07.12.2015 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 2817/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 04.02.2016, द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई :- ***माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.02.2015 के पालन में की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पालन में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये . इस अपेक्षा के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
115.	**826**	अता.प्र.सं.151 (क्र.3145) दि.31.07.2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले में हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में पदस्थ सहायक अध्यापकों की पदोन्नति किया जाना।	पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	(1) जिला पंचायत गुना के अंतर्गत सहायक अध्यापकों से अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.11.15 को हो चुकी है । पात्र पाए गए 68 सहायक अध्यापक को अध्यापक के पद पर पदोन्नति की अनुशंसा की गई है। पदांकन की कार्यवाही काउंसलिंग के माध्यम से प्रचलन में है। (2) नगर पालिका राधौगढ़-विजयपुर द्वारा 05 सहायक अध्यापक को अध्यापक के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ30-174/2015/20-1,दिनांक :- 07.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
116.	**827**	अता.प्र.सं.154 (क्र.3161) दि.31.07.2015 (श्रीमती ललिता यादव)	छतरपुर जिले में भवन विहीन शाला भवनों का निर्माण कार्य समय-सीमा में कराया जाना।	इस वर्ष राशि प्राप्त हो चुकी है, निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।	छतरपुर जिले में 62 प्राथमिक एवं 60 माध्यमिक शाला भवन स्वीकृत है। स्वीकृत शाला भवनों हेतु दिनांक 10.11.2015 को राशि जारी की जा चुकी है एवं कार्य प्रगतिरत है। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** 99/103/2016/20-3, दिनांक 18.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
117.	**828**	अता.प्र.सं.157 (क्र.3177) दि.31.07.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	ता.प.क्र. 780 उत्तर दिनांक 18.07.2014 के संदर्भ में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना।	(1) श्री शिवलाल अहिरवार, प्रधानाध्यापक को निलंबन उपरांत आरोप पत्रादि जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई है। जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय संभव हो सकेगा। (2) जांच प्रक्रियाधीन है। जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षो पर ही निर्णय संभव हो सकेगा।	लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र. स्था3/सर्त/एच3/01/रीवा/2015/496-97 दिनांक 26.03.15 द्वारा निलंबन उपरांत संचालनालय के आदेश क्र. स्था3/सर्त/एच/3/01/रीवा/2015/865-66 दिनांक 29.05.15 द्वारा विभागीय जांच संस्थित करते हुये जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा को जांचकर्ता अधिकारी एवं प्राचार्य संकुल केन्द्र शा.उमावि. पुरौना जिला रीवा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। संचालनालय के पत्र दिनांक 06.02.16 द्वारा स्मरण पत्र भेजा गया है। विभागीय जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** आर क्र. 861/2016/20-2, दिनांक 07.06.2016 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 17453/ वि.स./ आश्वा./ 2016, दिनांक 21.06.2016, द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई :- ***मध्यप्रदेश शासन सा.प्र. विभाग के आदेशानुसार प्रकरण का एक वर्ष की समय-सीमा में निराकरण नहीं किये जाने पर संबंधित जांच अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही तथा जांच निष्कर्ष के आधार पर की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	प्रकरण में जांच निष्कर्षो के आधार पर कार्यवाही हो ताकि दोषी दण्डित हो। इस निर्देश के साथ समिति 03 माह में कृत कार्यवाही से अवगत होना चाहेगी।
118.	**829**	अता.प्र.सं.165 (क्र.3216) दि.31.07.2015 (श्री हर्ष यादव)	वर्ष 2013-14 व 2014-15 में सागर जिले के वंचित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि उपलब्ध कराई जाना।	छात्रवृत्ति राशि संबंधित छात्रों के सही एकाउन्ट नम्बर की जानकारी प्राप्त कर वितरण किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।	सागर जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 हेतु शेष सभी छात्र-छात्राओं के सही बैंक खाता क्रमांक प्राप्त कर उनके खातों में छात्रवृत्ति कर राशि अंतरित कर छात्रवृत्ति वितरित कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 133/364/2016/20-2, दिनांक :- 08.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
राजस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
119.	557	ता.प्र.सं.03 (क्र.654) दि.22.07.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया)	गुना जिले में कृषकों द्वारा राजस्व भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना।	कार्यवाही कर अतिक्रामकों को भूमि से बेदखल किया जावेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
120.	558	ता.प्र.सं.07 (क्र.937) दि.22.07.2015 (इन्जी.प्रदीप लारिया)	सागर जिले की तहसील सागर के ग्राम गढ़रिया ढोगा रोड, धर्मश्री उदयपुरा मार्ग आमेट रजोआ मार्ग के लिए कृषकों से, की गई अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया जाना।	भू-अर्जन अधिनियम के तहत प्रकरणों में अवार्ड पारित होने के उपरांत मुआवजा राशि का कृषकों को भुगतान किया जा सकेगा।	कलेक्टर जिला सागर द्वारा उल्लेख किया गया है कि भू-अर्जन अधिनियम के तहत प्रकरणों में अवार्ड पारित होने के उपरान्त मुआवजा राशि का कृषकों को भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-3/ग्राभूर्प-आश्वासन/2016/163, दिनांक 13.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
121.	559	ता.प्र.सं.18 (क्र.1012) दि.22.07.2015 (डॉ.मोहन यादव)	उज्जैन जिले के राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट लंबित रखने वाले दोषी पटवारियों के विरूद्ध संस्थित जांच निर्धारित समय-सीमा की जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	दो पटवारियों को निलंबित कर विभागीय जांच प्रस्तावित की गई।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
122.	560	ता.प्र.सं.20 (क्र.1101) दि.22.07.2015 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	म.प्र. में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किया जाना।	सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है।	म0प्र0 में तहसीलदारों की नियुक्ति पदोन्नति के द्वारा तथा नायब तहसीलदारों की नियुक्ति सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के द्वारा की जाती है। नायब तहसीलदारों के कुल पदों का 60 प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। नायब तहसीलदार के सीधी भर्ती हेतु नियत 186 रिक्त पदों के लिये प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से 15 प्रतिशत पद पूर्ति हेतु (प्रोफेशनल इग्जामिनेश बोर्ड) को 62+28 कुल 90 पदों के लिये मांग पत्र भेजा जा चुका है। नायब तहसीलदार के 46 पदों पर राजस्व निरीक्षक से 25 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने हेतु पदोन्नति समिति बैठक की जा चुकी है। प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत पदस्थापना की जावेगी। नायब तहसीलदार से तहसीलदारों को पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने में समय लगेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-1/ आश्वासन/स्था/2015/6282, दिनांक 28.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
123.	561	ता.प्र.सं.25 (क्र.1206) दि.22.07.2015 (श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर)	खण्डवा जिले की तहसील पुनासा एवं आर.आई.सर्कल किल्लौद के अंतर्गत लंबित फौती नामांतरण के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाना।	प्रकरणों पर कार्यवाही प्रचलित है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
124.	562	परि.अता.प्र.सं.05 (क्र.53) दि.22.07.2015 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	रतलाम जिले के सीताराम बाग जावरा के भूमि बंटन के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा किये गये पत्र पर कार्यवाही की जाना।	जनवरी 2015 में जिलाधीश को लिखे पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जावरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
125.	563	परि.अता.प्र.सं.32 (क्र.575) दि.22.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनियमित पट्टों की जांच एवं कार्यवाही।	तहसीलदार मानपुर द्वारा जांच की कार्यवाही प्रारंभ की गई।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
126.	**564**	परि.अता.प्र.सं.37 (क्र.687) दि.22.07.2015 (श्रीमती ललिता यादव)	छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना।	04 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। 25 प्रकरण प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
127.	**565**	परि.अता.प्र.सं.60 (क्र.1017) दि.22.07.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	जिला रीवा के ग्राम तमरादेश की भूमि की जांच एवं दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	धारा 59(1) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।	कलेक्टर जिला रीवा द्वारा उल्लेख किया है कि न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ में प्रकरण क्रमांक 97/बी-121/14-15 में जांच कर दिनांक 24.03.2015 को आदेश पारित किया गया था, जांच में पाया गया कि ग्राम तमरा पहाड़ स्थित भूमि खसरा क्रमांक 115, 118, 119, 159, 164, रकवा क्रमश: 6, 406, 0.721, 0.040, 0.182, 0.534 एवं खसरा नं. 273, 407, 479, 274, 548 रकवा क्रमश: 2.833, 2.529, 2.711, 2.833, हे0 पर पंचायत सचिव ग्राम पंचायत तमरादेश द्वारा अधिकार रहित नामान्तरण प्रमाणित किये गये थे, तथा पटवारी हल्का द्वारा अभिलेख में अवैध नामान्तरण के आधार पर अमल किया गया था, जिसे निरस्त किया जाकर उपरोक्त भूमियां पूर्ण भूमिस्वामियों के नाम यथावत दर्ज कराई गई है। शिकायत की जांच से संबंधित तत्कालीन पटवारी रामायण पाण्डेय, तमरादेश एवं सचिव राजकुमार पटेल ग्राम प्रचायत तमरादेश दोषी पाये गये हैं इन दोषियों के विरूद्ध एफआईआर अपराध क्रमांक 211/2015 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.वि. अन्तर्गत थाना गुढ़ में दर्ज की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-3/ग्राभूर्प-आश्वासन/2016/153, दिनांक 13.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
128.	**566**	अता.प्र.सं.07 (क्र.69) दि.22.07.2015 (श्री योगेन्द्र सिंह ''बाबा'')	मुंगावली वि.स. क्षेत्र के सुल्तान ग्राम भटोली के सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण कराई जाना।	शीघ्र सीमांकन की तिथि नियत कर सीमांकन की कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
129.	**567**	अता.प्र.सं.56 (क्र.969) दि.22.07.2015 (डॉ.रामकिशोर दोगने)	प्रदेश के पटवारियों का वेतन/भत्ते एवं वेतनमान बढ़ाया जाना।	जी हां। प्रकरण विचाराधीन है।	पटवारियों के वेतनमान व ग्रेड वेतन बढ़ाये जाने के संबंध में कार्यालयीन प्रस्ताव दिनांक 03.01.2013 एवं 09.07.2015 शासन राजस्व विभाग को भिजवाये गये हैं। शासन स्तर से अभी निर्णय अपेक्षित है। प्रकरण में कार्यवाही कार्यालय स्तर पर शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1769/एफ-7/सावि/प्रसरा/15, दिनांक 08.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
130.	**568**	अता.प्र.सं.63 (क्र.1032) दि.22.07.2015 (श्री पन्नालाल शाक्य)	गुना जिले के ग्राम रिछेरा के किसानों को फसल का नुकसान नहीं होने के बावजूद अनुचित मुआवजा दिये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	विभागीय जांच प्रचलित है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
131.	**569**	अता.प्र.सं.94 (क्र.1211) दि.22.07.2015 (श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर)	खण्डवा जिले के तहसील पुनासा एवं सर्कल किलौद में आवेदकों की भूमि का शेष सीमांकन कार्य पूर्ण किया जाना।	शेष 71 आवेदन पत्रों का सीमांकन 15 दिवस के भीतर कर दिया जावेगा।	जांच में पाया है कि खण्डवा जिले की तहसील पुनासा एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल किल्लोद के कुल शेष 71 आवेदकों की भूमि का सीमांकन कार्य समय-सीमा में मौके पर किया जाकर सीमांकन कर निराकृत किया चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-7/सा.वि./प्र.रा.आ./2015/7654, दिनांक 14.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
132.	**583**	ता.प्र.सं.50 (क्र.1204) (दि.02.03.2015) (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेवाड़ा अंतर्गत अपात्रों की भूमि का पट्टा वितरण किये जाने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही किया जाना।	शेष पट्टेधारियों के संबंध में जांच की जा रही है। पट्टेधारकों को विधिवत अवसर दिये जाने के बाद यदि पट्टा अवैध पाया जाता है तो नियमानुसार पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
133.	**584**	परि.अता.प्र.सं.81 (क्र.2017) दि.13.03.2015 (श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर)	खण्डवा जिले की पंधाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को फसल बीमा का लाभ दिया जाना।	योजनान्तर्गत मौसम रबी 2013-14 व खरीब 2014 के क्षतिपूर्ति दावों की गणना प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
134.	**585**	परि.अता.प्र.सं.152 (क्र.3290) दि.13.03.2015 (श्री राम लल्लू वैश्य)	गैर शासकीय संस्थाओं को शासकीय भूमि आवंटन किये जाने की नीति बनाया जाना।	समिति की अनुशंसा उपरांत नीति बनाई जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
135.	**586**	अता.प्र.सं.61 (क्र.1517) दि.02.03.2015 (श्री बाला बच्चन)	म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 22.10.2009 को आदेशानुसार तहसीलदारों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच एक वर्ष के भीतर निराकृत कर नियमानुसार पदोन्नति की जाना ।	विभागीय जांच समाप्त होने के बाद नियमानुसार पदोन्नति दी जावेगी ।	कायार्लयीन पत्र क्रमांक/एफ-1/विभागीयजांच/प्र.रा. आ./ 2015 भोपाल दिनांक 20.10.2015 द्वारा लंबित विभागीय जांच प्रकरणों के एक वर्ष के समयावधि में पूर्ण किए जाने के निर्देश जारी किए गए है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-1/ आश्वासन/चिजा/2015/6955, दि.23.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं ।
136.	**587**	अता.प्र.सं.299 (क्र.5308) दि.20.03.2015 (श्री इन्दर सिंह परमार)	शाजापुर जिले में पदोन्नति समिति की बैठक कर रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना ।	कार्यवाही प्रचलित है ।	पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.06.2015 को आयोजित की गई। बैठक में पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। पदोन्नति समिति की बैठक में भृत्य से जमादार के पद पर 03 व भृत्य से सहायक ग्रेड-3 के पद पर 05 व सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2 के पद पर 06 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-1/ आश्वासन/स्था/2015/6655, दिनांक 13.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं ।

जुलाई, 2015 सत्र
लोक निर्माण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
137.	**624**	परि.अता.प्र.सं.11 (क्र.124) दि.23.07.2015 (श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी)	खरगौन जिले के अंतर्गत बड़वाहा वि.स.क्षेत्र के ग्राम गंगवाडा से अमलाथा के मध्य आड़ी नदी पर प्रस्तावित पुल को आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में शामिल किया जाना।	प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।	उक्त कार्य वर्ष 2015-16 के प्रथम अनुपूरक सम्मिलित है। रूपये 219.58 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 17.08.2015 को प्राप्त। विभागीय औपचारिकताएँ पूर्ण कर कार्यादेश दिनांक 26.09.2015 को जारी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6948/8467/2015/19/यो, दिनांक 06.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
138.	**625**	परि.अता.प्र.सं.30 (क्र.577) दि.23.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिले की सीप नदी के सोनघटा पर नवीन पुल निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाना।	जी हां । प्राथमिक प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।	प्रस्वावित पुल के दोनों ओर लगभग 9 कि0मी0 मार्ग का निर्माण भी किया जाना है। इस संबंध में विस्तृत परीक्षण कराया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6937/8467/2015/19/यो, दिनांक 06.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
139.	**626**	अता.प्र.सं.41 (क्र.881) दि.23.07.2015 (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा नगर मध्य स्थित रेल्वे फाटक पर फ्लाई ओवर/अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाना।	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।	विस्तृत सर्वेक्षण किया जा चुका है। सामान्य संरचना मानचित्र एवं डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्य को रेलवे के साथ लागत विभाजन के आधार पर किया जाना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6945/8467/2015/19/यो, दिनांक 06.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
140.	**627**	अता.प्र.सं.76 (क्र.1357) दि.23.07.2015 (श्री रामनिवास रावत)	श्योपुर जिले के कराहल-सरारी-बरगंवा एवं गोरस-आवदा अजापुरा मार्ग का डामरीकरण किये बगैर ठेकेदार को भुगतान किये जाने एवं डब्ल्यू.बी.एम. एवं रिपेयर आफ पोट होल्स कार्य अनुबंध अनुसार नहीं किये जाने की जांच एवं संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही पूर्ण कर दण्डित किया जाना एवं ठेकेदार की फर्म को ब्लेक लिस्ट कर भुगतान की गई राशि की वसूली किया जाना।	विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्नांश हेतु प्रकरण परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।	प्रकरण में श्योपुर जिले के कराहल सरारी बरगंवा मार्ग के निर्माझा में अनियमितता हेतु प्रमुख अभियंता के पत्र क्रमांक स्था/स/04-5/83/14/1075/, दि. 03.11.2014 द्वारा निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप पत्रादि जारी किये गये है :- 1. श्री डी.के.जैन, सहायक यंत्री 2. श्री योगेन्द्र शर्मा, उपयंत्री 3. श्री ए.के. सिंघल, उपयंत्री एवं गोरस आवदा अजापुर मार्ग निर्माण में अनियमितता हेतु शासन पत्र दिनांक 25.08.2015 द्वारा निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किये गये है। 1. श्री पी.एस.झानिया, कार्यपालन यंत्री 2. श्री पी.के. श्रीवास्तव, प्रभारी कार्यपालन यंत्री 3. श्री एस.बी. करोरिया, सहायक यंत्री 4. श्री एस.के. सिंघल, उपयंत्री 5. श्री योगेन्द्र शर्मा, उपयंत्री मुख्य अभियंता ग्वालियर ने अपने पत्र दिनांक 19.11.2015 द्वारा श्री महेश चन्द्र गोयल का पंजीयन काली सूची में डाला गया है। मुख्य अभियंता का पत्र दिनांक 11.7.2015 श्री सुरेश चन्द्र त्यागी एवं श्री देवेन्द्र कुमार गर्ग ठेकेदार को पत्र दिनांक 4.8.2015 ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-23/2015/स्था/19, दिनांक 02.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
141.	**628**	अता.प्र.सं.77 (क्र.1362) दि.23.07.2015 (डॉ.मोहन यादव)	उज्जैन जिले के ग्राम कानीपुरा-तराना सड़क मार्ग निर्माण में अनियमितता किये जाने की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता को प्राप्त हुआ है। जो परीक्षाणाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
142.	**769**	परि.अता.प्र.सं.02 (क्र.142) दि.30.07.2015 (श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा)	देवास जिले की सोनकच्छ तहसील के ग्राम लकुमडी से मुरावर मार्ग की स्वीकृति प्रदान की जाना।	कार्यवाही संभाग स्तर पर प्रचलन में है, कार्यपालन यंत्री द्वारा मार्ग का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।	सर्वेक्षण कर प्राक्कलन एवं डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7227/8748/2015/19/, दिनांक 20.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
143.	**770**	परि.अता.प्र.सं.14 (क्र.720) दि.30.07.2015 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	जिला आगर मालवा की वि.स.क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत नगरीय क्षेत्र नलखेड़ा में संचालित टोल नाका बंद किया जाना अथवा नगरीय क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित किया जाना।	(1) टोल नाका बंद करने हेतु प्रकरण विचाराधीन है। (2) प्रकरण विचाराधीन है।	टोल नाका दिनांक 01 अप्रैल 2016 से बंद करने का निर्णय लिया गया है। आदेश दिनांक 29.02.2016 द्वारा जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-18-31/2015/सामा./19, दिनांक 29.03.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
144.	**771**	परि.अता.प्र.सं.16 (क्र.826) दि.30.07.2015 (श्री सोहनलाल वाल्मीक)	छिन्दवाड़ा जिले में परियोजना क्रियान्वयन इकाई-12 द्वारा जिन शाला भवनों का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन भवनों की अनुमानित लागत से अधिक लागत लगने पर अधिक लागत का भुगतान किया जाना।	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।	लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई छिन्दवाड़ा में कुल 38 कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित किये गये जिनमें से 34 कार्यों का भुगतान कर दिया गया है। शेष 04 कार्यों का भुगतान पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात किया जा सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** आर 2207/यो/19/2016, दिनांक 20.04.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
145.	**772**	परि.अता.प्र.सं.17 (क्र.870) दि.30.07.2015 (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय)	जिला रतलाम के जावरा शहर के मध्य स्थित रेल्वे फाटक पर फ्लाई ओवर/अंडर ब्रिज निर्माण हेतु बजट का प्रावधान किया जाना।	कार्यवाही प्रगति पर है।	विस्तृत सर्वेक्षण कर लिया गया है। रेल्वे से समन्वय कर डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। डी0पी0आर0 तैयार होने के बाद बजट का प्रावधान किया जा सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7335/8839/2015/19/यो, दिनांक 26.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
146.	**773**	परि.अता.प्र.सं.24 (क्र.1311) दि.30.07.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले की सिहोरा वि.स.क्षेत्र अंतर्गत सेलवारा से कछारगांव सिलौंडी मार्ग पर गाड़ा घाट पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाना।	पूर्व ठेकेदार के हर्जे खर्चे पर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर है।	सैलवारा से कछारगांव सिलौंडी मार्ग के कि0मी0 9/8 में गाड़ाघाट पर पुल निर्माण हेतु अनुबंध क्र. 01/डी.एल./2007-08 के तहत मेसर्स एम.के.एस. कंस्ट्रक्शन के हर्जे खर्चे पर 11 बार निविदा आमंत्रित की गई, जो दिनांक 20.11.2015 को खोली जानी थी। किन्तु कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण पुन: 12वीं बार निविदा आमंत्रित की गई है जो दिनांक 28.12.2015 को खोली जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7461/8943/2015/19/, दिनांक 28.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
147.	**774**	परि.अता.प्र.सं.51 (क्र.1831) दि.30.07.2015 (श्री दीवान सिंह विट्ठल पटेल)	बड़वानी जिले के सेंधवा खेतिया राज्यमार्ग क्र.36 के निर्माण में शहरी मार्ग का डामरीकरण किया जाना।	सेंधवा-खेतिया राज्यमार्ग क्र. 36 के निर्माण में शहर से डामरीकरण का मार्ग तैयार किया जावेगा। मार्ग का निर्माण आर.ओ.डब्ल्यू. में ही किया जावेगा।	सेंधवा-खेतिया राज्यमार्ग क्रं 36 मार्ग के चैनेज 0/000 से 57/300 कुल डिजाइन लेंथ 57.165 कि.मी. में सीमेंट कांक्रीट द्वारा मार्ग उन्नयन का कार्य मेसर्स रवि इन्फ्रा0 प्रा0लि0 उदयपुर को दिनांक 23.07.2015 को दिया गया हैं। वर्तमान में उन्नयन कार्य प्रगति पर है। इस मार्ग पर सेंधवा, निवाली, पानसेमल, खेतिया शहरी क्षेत्र आते है। इनमें डामरीकरण/ सी0सी0 पेवमेंट कार्य का प्रावधान है। (1) निवाली में सी0सी0 पेवमेंट का कार्य दिनांक दिसम्बर-2015 में प्रारंभ किया जाकर प्रगति पर है। (2) खेतिया में दिनांक 12.01.2016 से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। (3) पानसेमल में डामरीकरण का कार्य पूर्व में किया जा चुका है। (4) सेंधवा शहरी क्षेत्र में निवाली नगर का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ कर दिया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 600/8717/2016/19/यो, दिनांक 02.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
148.	**775**	परि.अता.प्र.सं.75 (क्र.2162) दि.30.07.2015 (प्रो.संजीव छोटेलाल उईके)	मण्डला जिले के मण्डला से पिण्डरई मार्ग निर्माण की स्वीकृति दी जाना एवं मार्ग का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना।	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है तथा स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ किया जावेगा।	कार्य हेतु मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लि. भोपाल से दिनांक 18.08.2015 को अनुबंध किया गया है। कार्य की अपाईमेंट दिनांक 26.08.2015 निर्धारित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** आर 1782/यो/19/2016, दिनांक 07.04.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
149.	**776**	परि.अता.प्र.सं.135 (क्र.2965) दि.30.07.2015 (श्री रामसिंह यादव)	शिवपुरी जिले के बदरवास विकासखण्ड अंतर्गत खतौरा से विजरौनी मार्ग पर जीर्ण-शीर्ण पुलियों का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाना।	प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।	उक्त निर्माण कार्य हेतु विशेष मरम्मत मद के अंतर्गत प्राक्कलन राशि रू. 57.96 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल के पत्र दिनांक 06.08.15 द्वारा प्रदान की गई है। उक्त निर्माण कार्य हेतु कार्या. पत्र क्रं. 4481 शिवपुरी दिनांक 17.11.15 द्वारा एजेंसी को कार्यादेश जारी किया गया। अनुबंध के तहत एजेंसी को दिनांक 31.03.16 तक कार्य पूर्ण करने हेतु समयावधि दी गई है। वर्तमान में पुलियों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। डब्ल्यू.एम.एम. का कार्य प्रगतिरत है। तत्पश्चात डामरीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा। कार्य 30.04.2016 तक पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2358/2121/2016/19/यो, दिनांक 28.04.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
150.	**777**	परि.अता.प्र.सं.137 (क्र.2982) दि.30.07.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह बना)	रीवा जिले के मऊगंज हनुमना मार्ग के निर्माण/ मरम्मत में बाधित हेण्डपंपों एवं नलजल योजना को विस्थापित किया जाना।	विस्थापन की कार्यवाही जारी है।	मऊगंज-हनुमना मार्ग रीवा राज्यमार्ग क्र.-7 का भाग है। वर्तमान तक संलग्न सूची अनुसार प्रभावित कुल 148 नग हैण्डपम्पो का विस्थापन किया जा चुका है तथा शेष का कार्य किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** आर 1782/यो/19/2016/2002, दिनांक 07.04.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
151.	**778**	अता.प्र.सं.05 (क्र.423) दि.30.07.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	लोक निर्माण विभाग पी. आई. यू.भिण्ड का कार्यालय किराये के भवन में संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाना।	भवन किराये की स्वीकृति हेतु परीक्षण किया जा रहा है, तदनुसार स्वीकृति प्रदायगी की कार्यवाही की जायेगी।	कलेक्टर, जिला भिण्ड को लो0नि0वि0पी0आई0यू0 भिण्ड के कार्यालय के भवन किराया निर्धारण हेतु प्रस्ताव दिनांक 28.01.2015 को प्रस्तुत किया गया है। किराया निर्धारण होना प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7606/9176/2015/19/यो, दिनांक 07.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
152.	**779**	अता.प्र.सं.18 (क्र.977) दि.30.07.2015 (श्री अनिल जैन)	टीकमगढ़ जिले के ओरछा से पृथ्वीपुर मार्ग पर बेतवा एवं जामनी नदी के जर्जर पुल के स्थान पर नवीन पुल बनाया जाना।	नवीन स्वीकृति एवं निविदा उपरांत नवीन एजेंसी चयन की कार्यवाही की जावेगी।	टीकमगढ़ ओरछा मार्ग का अनुबंध बी0ओ0टी0 (एन्युटी) आधार पर किया गया था। परंतु कन्सेशनायर द्वारा कार्य नहीं करने के कारण अनुबंध निरस्त कर दिया गया। कन्सेशन अनुबंध के अनुसार लेन्डर बैंक ने कन्सेशनायर को सब्स्टियूट का कार्य बैंक द्वारा किया जाना है जो प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7320/8743/2015/19/यो, दिनांक 26.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
153.	**780**	अता.प्र.सं.60 (क्र.2003) दि.30.07.2015 (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा शहर में मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के पालन में अण्डर ब्रिज की ड्रांईग, डिजाईन एवं प्रोजेक्ट प्लान शीघ्र तैयार कर कार्य प्रारंभ किया जाना।	प्रोजेक्ट प्लान प्रक्रियाधीन है।	विस्तृत सर्वेक्षण कर लिया गया है। रेल्वे से समन्वय कर डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7337/8839/2015/19/यो, दिनांक 28.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
154.	**781**	अता.प्र.सं.81 (क्र.2230) दि.30.07.2015 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	बालाघाट जिले के लांजी अनुभाग में डडवा-घाट टेमनी मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना।	पुनः एजेन्सी का निर्धारण होने पर पुनः काम शुरू हो जावेगा।	रिस्क एण्ड कास्ट पर निविदा स्वीकृत कर 03.11.2015 को कार्यादेश जारी किया गया है। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, निर्धारित समयावधि में दिनांक 02.03.2016 तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7604/8740/2015/19/यो, दिनांक 07.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
155.	**782**	अता.प्र.सं.119 (क्र.2815) दि.30.07.2015 (श्री रामपाल सिंह)	शहडोल जिले के सीधी ब्यौहारी मार्ग ग्राम पहडिया के पास ओदारी नदी पर निर्मित रपटा काफी पुराना एवं क्षतिग्रस्त होने से उसके स्थान पर नवीन पुल का निर्माण किया जाना।	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति रू0 297.28 लाख की दिनांक 17.08.2015 को प्राप्त हो चुकी। विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण दिनांक 24.09.2015 को कार्यादेश जारी किया गया। कार्य प्रगति पर। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7339/8835/2015/19/यो, दिनांक 26.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
156.	**783**	अता.प्र.सं.137 (क्र.3123) दि.30.07.2015 (डॉ.योगेन्द्र निर्मल)	बालाघाट जिले के लो.नि.वि.संभाग बालाघाट के अंतर्गत उपसंभाग वारासिवनी में पदस्थ श्री अबरार अहमद स्थल सहायक को 12 एवं 24 वर्ष की क्रमोन्नति का लाभ दिये जाने के संबंध में मा.उच्च न्यायालय में याचिका क्र. डब्ल्यू.पी.16479/ 2012(एस) में पारित आदेश दिनांक 05.12.2012 के पालन में देयकों का भुगतान शीघ्र किया जाना।	जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	म.प्र. शासन, वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर कार्यपालन यंत्री, बालाघाट के देयक क्रमांक -264, दिनांक 13.08.2015 द्वारा रूपये 19876/- का भुगतान कोषालय, बालाघाट द्वारा दिनांक 30.08.2015 को किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-29/2015/स्था./19, दिनांक 22.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
157.	**784**	अता.प्र.सं.140 (क्र.3131) दि.30.07.2015 (श्रीमती संगीता चारेल)	रतलाम जिले के सेलाना-बांसवाड़ा के मुख्य आंतरिक मार्ग की शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना।	स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।	उक्त मार्ग लंबाई 6.90 कि0मी0 की प्रशासकीय स्वीकृति राशि 1476.03 लाख दिनांक 01.09.2015 को जारी की गई है। निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र दिनांक 13.10.2015 को जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7398/8931/2015/19./यो, दिनांक 27.11.2015 ***अद्यतन जानकारी* :-** उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-43/07/15/19/यो/5322, भोपाल दिनांक 01. 09. 2015 द्वारा राशि रूपये 1476.03 लाख की जारी की गई है। उक्त कार्य मेसर्स सैयद अख्तर अली ठेकेदार को अनुबंध क्रमांक 55/2015-16 दिनांक 30.11.2015 से आवंटित किया जाकर कार्य प्रारंभ कर किया गया है। अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णत: करने का दिनांक 29.11.2016 है। कार्य पर वर्तमान में कुल 300.53 लाख का व्यय किया गया है। कार्य प्रगति पर है एवं 1.70 किलो मीटर लंबाई में डामरीकरण का कार्य दो लेन में पूर्ण किया गया, 0.70 किलो मीटर सी.सी. का कार्य सिंगल लेन में पूर्ण किया गया है इसके साथ ही पॉच नग पुलियाओं का कार्य भी पूर्ण किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2739/यो/19/2016, दिनांक 16.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
158.	**785**	अता.प्र.सं.146 (क्र.3170) दि.30.07.2015 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	कटनी जिला मुख्यालय में न्यायालय भवन निर्माण में अनियमितता करने वाले संबंधित दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

जुलाई, 2015 सत्र
सहकारिता विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
159.	**510**	ता.प्र.स. 09 (क्र. 510) दिनांक 20.07.2015 (श्री मधु भगत)	कामधेनू गृह निर्माण सहकारी संस्था, भोपाल में की गई अनियमितताओं एवं शिकायत की जांच कर दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जी हाँ शिकायत की जांच आदेशित की गई है, जांच उपरांत निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 6318/2015 में आयुक्त सहकारिता को जांच कर प्रकरण का निराकरण करने हेतु आदेशित किया था, तदनुसार वरिष्ठ स्तर संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा जांच प्रारंभ की गई, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 14773/2015 में दिनांक 23.09.2015 को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित प्रोसीडिंग पर स्थगन का आदेश दिया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ10-110/2015/15-1, दिनांक 11.04.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
160.	**511**	परि.अता.प्र.स. 19 (क्र. 318) दिनांक 20.07.2015 (श्री जितू पटवारी)	इंदौर स्थित जय भारत सहकारी संस्था मर्यादित में संस्था के कर्मचारी डॉ.श्री जितेन्द्र जैन, प्रबंधक से लेकर भृत्य तक के खातों की जांच में करोड़ों रूपये का टर्न ओवर की जांच एवं दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	संस्था के कर्मचारियों के खातों में अत्यधिक लेनदेन के संबंध में कर्मचारियों के खातों के सव्यवहार का अवलोकन अनुसार कर्मचारियों द्वारा किया गया व्यक्तिगत आर्थिक सव्यवहार अनियमित है। संचालक मंडल की बैठक दिनांक 29.09.2014 में सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 53 बी/ख के अंतर्गत जारी अध्यापेक्षा पत्र पर संचालक मंडल द्वारा कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में अनियमित आर्थिक सव्यवहार के लिये दोषी प्रबंधक श्री डॉ जितेन्द्र जैन की सेवाएं आदेश दिनांक 30.09.2014 से समाप्त की गई है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि में बिना स्वीकृति के लाभ में से उपहार वितरण करने के कारण संस्था पदाधिकारियों के विरूद्ध सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 58-बी के अंतर्गत राशि रूपये 4,52,005/- की वसूली हेतु प्रकरण न्यायालय उप आयुक्त सहकारिता जिला इंदौर में प्रस्तुत किया गया है, आगामी सुनवाई तिथि 16.03.16 नियत है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ10-108/2015/15-1, दिनांक 12.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
161.	**512**	परि.अता.प्र.स. 34 (क्र. 479) दिनांक 20.07.2015 (श्री बाला बच्चन)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको में समिति सेवक के पदों पर की गई नियुक्तियों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	प्रदेश की अन्य बैंकों के संबंध में की गई नियुक्तियों का परीक्षण कराया जा रहा है, परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
162.	**588**	परि.अता.प्र.सं.47 (क्र.1146) (दि.18.03.2015) (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	सहायक पंजीयक गुना कार्यालय से प्राप्त शिकायती पत्र पर वहां पदस्थ अपात्र संचालक एवं बैंक प्रतिनिधि पद से हटाये जाने की कार्यवाही संबंधी।	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर के द्वारा श्रीमती उमा देवी को संचालक एवं बैंक प्रतिनिधि पद से हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
163.	**589**	परि.अता.प्र.सं.269 (क्र.4919) दि.18.03.2015 (श्री आरिफ अकील)	भोपाल के तत्कालीन उप आयुक्त श्री अशोक मिश्रा द्वारा प्रावधान के विपरीत सहकारी समितियों को भूमि विक्रय करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाना।	जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
164.	**590**	परि.अता.प्र.सं.270 (क्र.4920) दि.18.03.2015 (श्री आरिफ अकील)	एस.बी. पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के पदाधिकारियों द्वारा ग्राम बागसेवनिया में संस्था के सदस्यों के लिए क्रय की गई 12.72 एकड़ आवासीय भूमि खुर्द-बुर्द किये जाने की जांच एवं दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	रिकार्ड उपलब्ध होने पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	संस्था का रिकार्ड उपलब्ध हो गया है। जांच के आदेश कर दिये गये है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1565/1228/2016/15-1, दिनांक 28.05.2016 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 16052/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 07.06.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	प्रकरण में जांच निष्कर्षो के आधार पर कार्यवाही हो, ताकि दोषी ''दण्डित'' हो। इस निर्देश के साथ समिति 03 माह में कृत कार्यवाही से अवगत होना चाहेगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
165.	**591**	अता.प्र.सं.217 (क्र.4314) दि.18.03.2015 (श्री हर्ष यादव)	शहीद स्मृति सहकारी आवास गृह निर्माण सहकारी संस्था ग्वालियर में अनियमितता की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	(1) श्री आर.के.वाजपेयी, उप आयुक्त, सहकारिता के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच प्रक्रियाधीन है। (2) जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षो के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
166.	**592**	अता.प्र.सं.272 (क्र.4925) दि.18.03.2015 (श्री आरिफ अकील)	एस.बी. पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल द्वारा नियम विरूद्ध गैर पुलिसकर्मियों को सदस्य बनाये जाने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	रिकार्ड उपलब्ध होने पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
167.	**677**	परि.अता.प्र.सं.16 (क्र.580) दि.27.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर एवं मुरैना जिले में को-ऑपरेटिव बैंक का जिला मुख्यालय स्थापित किये जाने एवं जिले के क्षेत्र का अलग-अलग विभाजन के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना दिनांक 24.02.2015 की सदन में चर्चा के दौरान मा.मंत्री जी द्वारा दिए आश्वासन की पूर्ति की जाना।	परीक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है।	प्रस्ताव के परीक्षण में श्योपुर जिले में प्रस्तावित नवीन बैंक के राशि रू. 332.36 लाख की हानि में होने, वर्तमान मुरैना बैंक की वसूली लगातार घटते हुये दिनांक 30.6.2015 पर मात्र 28.06 प्रतिशत रहने, वर्तमान बैंक की कुल ऋण राशि का 72 प्रतिशत राशि अतिदेय होने, मार्च 2015 की स्थिति पर एन.पी.ए. 14.26 प्रतिशत (एनपीए का सहनीय स्तर 5 प्रतिशत है) होने तथा अपेक्स बैंक की राशि रू. 133.55 करोड़ एवं विपणन संघ की राशि रू. 123.78 करोड़ के डिफाल्टर होने से वर्तमान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मुरैना की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है तथा बैंक के विभाजन से नवगठित दोनो बैंको की आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहेगी। ऐसी स्थिति में बैंक का विभाजन कर श्योपुर जिले में नवीन बैंक का गठन किया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3/2/2016/15-1, दिनांक 12.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
168.	**678**	परि.अता.प्र.सं.45 (क्र.1259) दि.27.07.2015 (श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल)	मानव कल्याण गृह निर्माण सहकारी साख संस्था, इंदौर द्वारा क्रय की गई भूमि बिना अनुमति के नियम विरूद्ध विक्रय किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिये जा सकेंगे।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
169.	**679**	परि.अता.प्र.सं.78 (क्र.1929) दि.27.07.2015 (श्री अनिल फिरोजिया)	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता उज्जैन में पंजीकृत नवीन, महालक्ष्मी, आजाद, ओम एवं शिवम गृह निर्माण सहकारी संस्था के विरूद्ध लंबित जांच की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जी हां। जांच प्रक्रियाधीन है।	(1) **महालक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन-** संस्था के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच करवाई गई। संस्था के तत्कालीन पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 31.08.1994 को संस्था की भूमि बिना पंजीयक की अनुमति के विक्रय की गई है। जिसमें विक्रय का व्यवहार कम मूल्य अंकित करके मध्यप्रदेश शासन को राजस्व की हानि पहुँचाई गई है, उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ जिला पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक जिला उज्जैन को पत्र क्र. शिकायत/09 दिनांक 21.01.2016 से लिखा गया है। (2) **आजाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन -** शिकायत सही प्रमाणित नहीं पाई गई। (3) **ओम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन** - शिकायत सही प्रमाणित नहीं पाई गई। (4) **शिवम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन** - शिकायत सही प्रमाणित नहीं पाई गई। (5) **नवीन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन** - संस्था वर्तमान में परिसमापन में है। संस्था के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में परिसमापक को संस्था का रिकार्ड अप्राप्त होने से रिकार्ड जप्ती हेतु उप आयुक्त सहकारिता जिला उज्जैन के कार्यालयीन पत्र क्र./गृह निर्माण/विधि/02 दिनांक 1.1.2016 से सहकारी अधिनियम की धारा 57(ए) के तहत अनुविभागीय दंडाधिकारी उज्जैन को संबंधित से रिकार्ड जप्त कर परिसमापक को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 308/2016/15-1, दिनांक 12.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
170.	**680**	परि.अता.प्र.सं.79 (क्र.1930) दि.27.07.2015 (श्री अनिल फिरोजिया)	बजरंग गृह निर्माण सहकारी संस्था उज्जैन द्वारा नियम विरूद्ध संस्था भूमि अन्य गृह निर्माण सहकारी संस्था को बेचे जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	संस्था का विशेष आडिट कराया जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर निष्कर्षानुसार कार्यवाही की जायेगी।	बजरंग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन का श्री आर.एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक से विशेष आडिट कराया गया। श्री सोलंकी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार संस्था के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार भंवरलाल जैन द्वारा भूमि सर्वे क्र. 330/10 रकबा 3.659 का अनुबंध रू. 85,000/- प्रति बीघा के हिसाब से क्रय किया जाना तय किया था, किन्तु उक्त भूमि में से 1.254 है. भूमि (6 बीघा) रू. 3,00,000/- प्रति बीघा के मान से भूमि विक्रयकर्ता को भुगतान किया जाकर संस्था के नाम रजिस्ट्री करवाई गई। जिससे संस्था को 12,90,000/- की आर्थिक हानि हुई। संस्था की उक्त भूमि सर्वे क्र. 330/1 रकबा 1.254 हैक्टयर संस्था द्वारा रू. 18,00,000/- में क्रय की थी, जिसे नवीन नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था को रू. 17,50,000/- में दिनांक 24.6.1997 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की गई। जिससे संस्था को राशि रू. 50,000/- की आर्थिक हानि हुई, इस प्रकार संस्था को कुल रू. 13,40,000/- की आर्थिक क्षति हुई है। संस्था पदाधिकारी से उक्त राशि वसूली का प्रकरण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58-बी के अंतर्गत श्री आर.एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 8.2.2016 को प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रकरण क्र. 08/15-16 है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 306/2016/15-1, दिनांक 12.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
171.	**681**	परि.अता.प्र.सं.98 (क्र.2133) एवं अता.प्र.सं.120 (क्र.2134) दि.27.07.2015 (श्री विजयपाल सिंह)	जिलान्तर्गत सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा गुन्नौर पन्ना के शाखा प्रबंधक श्री राम खिलावन गर्ग द्वारा वर्ष 2014-15 में ओला पाला की वितरण हेतु प्राप्त राशि नियम विरूद्ध व्यक्तिगत खाते में जमा करने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच आदेशित की गई है। शेष जांच निष्कर्षाधीन।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
172.	**682**	परि.अता.प्र.सं.128 (क्र.2458) दि.27.07.2015 (श्री आरिफ अकील)	कामधेनू गृह निर्माण सहकारी मर्या.संस्था भोपाल के पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश गौंड द्वारा नियम विरूद्ध भूखण्ड क्र. 179 एवं 180 का पंजीयन गैर सदस्यों को कराया जाना एवं विक्रय राशि संस्था में जमा न किये जाने पर उक्त भूखण्डों की रजिस्ट्री शून्य कराई जाकर दोषी पूर्व अध्यक्ष एवं अन्य के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	भूखण्डों की रजिस्ट्री शून्य कराने एवं संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
173.	**683**	परि.अता.प्र.सं.139 (क्र.2526) दि.27.07.2015 (श्री सज्जन सिंह उईके)	बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बीजादेही शाहपुर समिति के सहायक प्रबंधक के विरूद्ध की गई शिकायत के जांच प्रतिवेदन के आधार पर सहायक प्रबंधक को शीघ्र हटाया जाना।	जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही हेतु संस्था को लिखा गया है।	जांच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था के संचालक मंडल द्वारा सहायक प्रबंधक श्री सुरेश पवार को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 326/2016/15-1, दिनांक 12.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
174.	**684**	अता.प्र.सं.152 (क्र.2460) दि.27.07.2015 (श्री आरिफ अकील)	उपायुक्त सहकारिता, भोपाल श्री आर.एस.विश्वकर्मा के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच निश्चित समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जाना।	कतिपय प्रकरणों में जांच प्रक्रियाधीन एवं कतिपय प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

जुलाई, 2015 सत्र
जल संसाधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
175.	732	परि.अता.प्र.सं.02 (क्र.93) दि.28.07.2015 (श्री शंकर लाल तिवारी)	सतना जिले में सीमेन्ट कंपनियों द्वारा टमस नदी के पानी का उपयोग करने पर जलदर की बढ़ोत्तरी की जाना।	जल दर बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।	आश्वासन विधान सभा प्रश्न के उत्तर से अद्‌भूत हुआ है। जिसमें उत्तर दिया गया था कि- जलदर बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस संबंध में विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि :- जलदर गहन अध्ययन एवं विचारा-विमर्श उपरांत बढ़ाया जाना संभव है क्योंकि विभाग द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के अलावा जल एवं तापविद्युत परियोजना, घरेलू उपयोग एवं पेयजल, कृषि प्रयोजन, अन्य सिंचाई प्रयोजनों, गैर कृषि प्रयोजन एवं सिंचाई उपकर के लिए एक साथ निर्धारित की जाती हैं। बढ़ोत्तरी किए जाने का असर व्यापक होगा। गहन अध्ययन तथा विचार-विर्मश के लिए प्रकरण विचारधीन है, जिसमें समय निर्धारित किया जाना तथा निश्चित समय में आश्वासन की पूर्ति किये जाने में कठिनाई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 15-33/2015/मध्यम/31/66, दिनांक 27.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
176.	**733**	अता.प्र.सं.13 (क्र.813) दि.28.07.2015 (श्री मुकेश नायक)	पन्ना जिले की विधान सभा क्षेत्र पवई अंतर्गत वर्ष 2009 से मई 2015 तक की अवधि में सिंचाई बांध एवं नहरों के रख-रखाव में लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार निश्चित समय-सीमा में कार्यवाही की जाना।	निर्माण कार्य में पाई गई कमी के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	(1) पांच अधिकारियों तथा चार कर्मचारियों के विरूद्ध सात विस्तृत विभागीय जांच संस्थित कर विभागीय जांच अधिकारी की नियुक्त की गई है। (2) पांच अधिकारियों तथा छः कर्मचारियों के विरूद्ध दिनांक 07.10.2015 को आरोपपत्रादि जारी कर अपचारियों से आरोपों के विरूद्ध अभ्यावेदन/बचाव कथन मांगे गए हैं। (3) दो अधिकारियों तथा एक कर्मचारी के विरूद्ध दिनांक 06.11.2015 उको आरोपपत्रादि जारी कर अपचारियों से आरोपों के विरूद्ध अभ्यावेदन/बचाव कथन मांगे गए हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 21-211/2015/लघु/31/1227, दिनांक 13.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
177.	**734**	अता.प्र.सं.92 (क्र.2229) दि.28.07.2015 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	जल उपभोक्ता संस्थाओं को नहर के रख-रखाव आदि के लिए राशि की बढ़ोत्तरी शीघ्र किया जाना।	जल उपभोक्ता संस्थाओं को दी जाने वाली रखरखाव की राशि की बढ़ोत्तरी के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।	आश्वासन विधान सभा प्रश्न के उत्तर से अद्भूत हुआ है। जिसमें उत्तर दिया गया था कि- जल उपभोक्ता संस्थाओं को दी जाने वाली रखरखाव की राशि की बढ़ोत्तरी के संबंध में प्रकरण विचारधीन है। संस्थाओं को दी जाने वाली रखरखाव की राशि की बढ़ोत्तरी गहन अध्ययन के उपरांत संभव है क्योंकि बढ़ोत्तरी किए जाने का असर व्यापक होगा। गहन अध्ययन के लिए प्रकरण विभाग में विचाराधीन है जिसमें समय निर्धारित किया जाना तथा निश्चित समय में आश्वासन की पूर्ति किये जाने में कठिनाई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 15-29/2015/मध्यम/31/64, दिनांक 27.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
गृह (पुलिस) विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
178.	**546**	ता.प्र.सं.17 (क्र.1155) दि.22.07.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	उज्जैन जिले के बीज कंपनी महिदपुर के विरूद्ध प्रकरण के दोषियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाना।	(1) बीज कंपनी महिदपुर के विरूद्ध दर्ज होकर वर्तमान में विवेचनाधीन है। (2) आरोपियों की गिरफ्तारी, साक्ष्य एवं विवेचना के आवश्यकतानुसार की जायेगी।	थाना महिदपुर के अप.क्र. 35/15 धारा 420 भादवि 3/7 पी.सी.एक्ट में दर्ज होकर महिदपुर बीज कंपनी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में विवेचना जारी है। प्राप्त साक्ष्य अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-104/2012/बी-1/2, दिनांक:- 30.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
179.	**547**	परि.अता.प्र.सं.02 (क्र.17) दि.22.07.2015 (श्री विश्वास सारंग)	प्रदेश में कैश वालेट सुविधा देने वाली कंपनियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की जाना।	शेष शिकायतों में जांच प्रगति पर है।	प्राप्त शिकायतों की जांच कर 09 अपराध धारा हाजा पर अपराध क्रं. 09/15, 10/15, 11/15, 12/15, 13/15 एवं 17/15, 18/15, 19/15, 23/15, 24/15 धारा 420, 120बी, 34भादवि एवं 66-डी, 67-सी, दर्ज कर प्रकरण मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-148/2015/बी-1/2, दिनांक:- 03.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
180.	**548**	परि.अता.प्र.सं.11 (क्र.159) दि.22.07.2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सतना जिले के थाना नागौद में हुई हत्याओं के दोषियों को गिरफ्तार किया जाना।	(1) भादवि अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध होकर विवेचना में है। (2) तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु विधि अनुरूप प्रभावी प्रयास किये जा रहे है।	थाना नागौद के अप.क्र. 16/14, धारा 302 मृतक जयमंगल सिंह, 2-अप.क्र. 211/15 धारा 302 मृतक विनोद गडारी, 3- अप.क्र. 226/15, धारा 302, 201 भादवि मृतक अनुप उर्फ मंकू चौधरी उक्त अपराधों में आरोपी अज्ञात होने से गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। अनुसंधान एवं साक्ष्य संकलन जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-138/2015/बी-1/2, दिनांक:- 03.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
181.	**549**	परि.अता.प्र.सं.26 (क्र.452) दि.22.07.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	सतना जिले के थाना नागौद अंतर्गत गिंजारा निवासी बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना।	फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के निरंतर प्रयास किये जा रहे है।	प्रकरण से संबंधित थाना नागौद के अप.क्र. 169/15, धारा 363, 376 (2जी) भादवि बालक को लैंगिक संरक्षण अधिनियम के 03 फरार आरोपियों में झल्ला उर्फ रविन्द्र पिता श्यामलाल बागरी निवासी गिंजारा को दिनांक 28.08.2015 को गिरफ्तार कर प्रकरण के अन्य आरोपियों की तलाश के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। यह पुलिस की सतत प्रक्रिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-140/2015/बी-1/2, दिनांक:- 03.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
182.	**550**	परि.अता.प्र.सं.30 (क्र.514) दि.22.07.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के सुरखी के राहतगढ़ नगर में पुलिस की लापरवाही से उपद्रवियों द्वारा दंगे करने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही।	अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्राथमिक जांच कराई जा रही है।	शैलेन्द्र सिंह बैस, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, राहतगढ़ के विरूद्ध मुख्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में प्राथमिक जांच पूर्ण कर आरोप पत्र का प्रारूप तैयार कर पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर प्रेषित किया गया है एवं तत्कालीन थाना प्रभारी राहतगढ़ निरीक्षक संजय द्विवेदी के प्रदर्शित कृत्यों हेतु प्रारंभिक जांच पूर्ण हो चुकी है। निरीक्षक की विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी किया गया है। विभागीय कार्यवाही प्रचलन में है। विभागीय जांच पूर्ण होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13/170/2015/बी-1/दो, दिनांक 03.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
183.	**551**	परि.अता.प्र.सं.46 (क्र.822) दि.22.07.2015 (श्री सोहनलाल वाल्मीक)	छिन्दवाड़ा जिले में ट्रकों की चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार कर, उनके विरूद्ध कार्यवाही सहित वाहनों की बरामदगी की जाना।	(1) 03 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। (2) प्रकरण में कार्यवाही बंद नहीं की गई है, बल्कि विवेचना जारी है।	उक्त प्रकरणों में से 01 प्रकरण का पूर्व में चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। शेष 02 प्रकरण क्रमशः थाना देहात अप.क्र. 07/15 थाना सौंसर के अप.क्र. 119/15 धारा 379 भादवि के अज्ञात आरोपियों की तलाश पतासाजी की जा रही है। वर्तमान में 02 प्रकरण पुलिस विवेचना में है। तलाश संबंधी पुलिस की सतत प्रक्रिया है जो निरंतर जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13-143/2015/बी-1/2, दिनांक:- 03.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
184.	**552**	परि.अता.प्र.सं.53 (क्र.886) दि.22.07.2015 (श्री सुन्दर लाल तिवारी)	एस.टी.एफ. द्वारा वर्ष 2004 से 2014 तक व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के दर्ज अपराधिक प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना।	अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरणों की विवेचना जारी है।	एस.टी.एफ. द्वारा वर्ष 2012 व 2013 में व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती एवं पी.एम.टी. परीक्षा में आंसरशीट खाली गोले छोड़कर भरे जाने के तथ्य पाये जाने एवं जांच कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। तत्पश्चात मान. उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2015 के पालन में व्यापम से संबंधित समस्त अपराधिक प्रकरण सीबीआई को हस्तांतरित किये जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13-158/2015/बी-1/2, दिनांक:- 03.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
185.	**553**	परि.अता.प्र.सं.68 (क्र.1129) दि.22.07.2015 (श्री मधु भगत)	एस.टी.एफ. में प्राप्त विभिन्न शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	(1) हां। शिकायत की जांच की जा रही है। जिला एस.आई.टी. ग्वालियर द्वारा विभिन्न शिकायतों में जांच की जा रही है। (2) विभिन्न शिकायतों में जांच प्रक्रियाधीन है। प्रकरण में विवेचना जारी है।	एस.टी.एफ मुख्यालय के पर्यवेक्षण में कार्यरत एस.आई.टी. जिला ग्वालियर द्वारा आवेदक श्री आशीष चतुर्वेदी की शिकायत पर थाना झांसी रोड़ ग्वालियर में अपराध क्रमांक 183/14 अपराध क्रमांक 271/14 एवं अपराध क्रमांक 285/14 पंजीबद्ध होकर विचाराधीन थे। उक्त अपराधों की विवेचना मान. उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 372/15 में पारित निर्णय दिनांक 09.07.15 के पालन में व्यापम से संबंधित अपराधिक प्रकरण सी.बी.आई. को दिनांक 19.07.15 को हस्तांतरित किये जा चुके हैं। व्यापम संबंधी शिकायतों के संबंध में मान. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में याचिकाऐं निर्णय हेतु लंबित है। निर्णय के उपरांत आवेदन जांच के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13-157/2015/बी-1/दो, दिनांक 28.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
186.	**554**	परि.अता.प्र.सं.85 (क्र.1277) दि.22.07.2015 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	बालाघाट के किरनापुर में फटाखा फैक्ट्री वालों द्वारा नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री सप्लाई किये जाने पर उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जाना।	फटाखा फैक्ट्रीवालों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। नक्सलियों को सप्लाई संबंधी कोई साक्ष्य आने पर कार्यवाही की जा सकेगी।	दिनांक 13.05.15 को करीब 4.00 बजे थाना किरनापुर खास वार्ड नं. 1 किरनाई मंदिर वार्ड में अभिषेक सुनेरी के निवास में अवैध फटाखा निर्माण के दौरान विस्फोट होने से दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जिस पर थाना किरनापुर में अपराध क्र. 10/15 धारा 286, 427, 34 ताहि व धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध अभिषेक सुनेरी के खिलाफ पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 196/15 दिनांक 18.10.15 न्यायालय में पेश किया गया जिसका केस नंबर 2471/15 है। विवेचना के दौरान फटाखा व्यापारियों द्वारा नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने के कोई प्रमाण नहीं पाये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ34-16/2015/दो/सी-2, दिनांक 17.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
187.	**555**	अता.प्र.सं.43 (क्र.790) दि.22.07.2015 (श्री रामनिवास रावत)	पूर्व विधायक श्री पारस सकलेचा द्वारा एस.टी.एफ को दिये गये आवेदन पर उल्लेखित तथ्यों की जांच कर कार्यवाही की जाना ।	(1) आवेदन की जांच सहायक पुलिस महानिरीक्षक, एस.टी.एफ. श्री राजेश सिंह चंदेल एवं श्री आशीष खरे द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। जांच में आवेदन के तथ्यों पर वांछनीय जानकारी प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग व संचालक, चिकित्सा शिक्षा से मांगी गई है। (2) प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित आवेदन के बिन्दुओं पर तथ्यों का संकलन प्रक्रियाधीन है।	पूर्व विधायक श्री पारस सकलेचा द्वारा एस.टी.एफ. को दिये गये आवेदन की जांच सहायक पुलिस महानिरीक्षक, द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही थी किंतु माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्र0 372/15 में निर्णय दिनांक 09.07.2015 के पालन में व्यापम से संबंधित अपराधिक प्रकरण सी.बी.आई. को हस्तांतरित किये गये हैं। व्यापम संबंधी शिकायतों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में याचिकाएं निर्णय हेतु लंबित हैं। निर्णय के उपरांत आवेदन जांच के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। विभागीय कार्यवाही पूर्ण। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13/161/2015/बी-1/दो, दिनांक 11.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
188.	**556**	अता.प्र.सं.45 (क्र.828) दि.22.07.2015 (श्री सोहनलाल वाल्मीक)	छिन्दवाड़ा परसिया वि.स.क्षेत्र के बडकुही में हत्या के प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) 04 आरोपियों के विरूद्ध धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विवेचना की जा रही है। (2) प्रकरण की विवेचना में विधि अनुरूप प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।	प्रकरण में धारा 173 (8) द.प्र.स. के तहत फरार आरोपियों क्रमश: (1) राहुल पिता राकेश रजक, (2) रिप्पी उर्फ रूपेश पिता मनीष मर्सकोले जो दिनांक 9.8.15 की दरमियानी रात थाना लखनवाड़ा जिला सिवनी के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में आरोपी राहुल पिता राकेश रजक साकिन बडकुही की मृत्यु हो गई है एवं रिप्पी उर्फ रूपेश पिता मनीष मर्सकोले साकिन बडकुही गंभीर रूप से घायल थे जो शासकीय अस्पताल छिन्दवाड़ा से डिस्चार्ज होने पर दिनांक 8.9.15 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। प्रकरण के शेष दो आरोपी (1) रूपेश पिता नरेश मर्सकोले (2) संदीप पिता मनीष मर्सकोले की गिरफ्तारी हेतु तलाश पतासाजी की जा रही है। आरोपियों को तलाश किया जाना पुलिस की सतत प्रक्रिया है जो निरंतर जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13-144/2015/बी-1/दो, दिनांक 03.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
189.	**607**	अता.प्र.सं.223 (क्र.4355) दि.20.03.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	मंदसौर जिले में निर्भया केन्द्र प्रारंभ किया जाना।	मंदसौर जिले में निर्भया केन्द्र आरंभ होना प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
190.	**741**	परि.अता.प्र.सं.01 (क्र.55) दि.29.07.2015 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	(1) दिनांक 23 फरवरी, 2015 के ता.प्र.सं.20 (क्र.779) के संदर्भ में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाना। (2) दिनांक 03.03.2014 अता.प्र.सं.15(क्र.103) के संदर्भ में आरोपियों की शीघ्र पहचान कर गिरफ्तारी किया जाना।	(1) प्रकरण विवेचना में है एवं आरोपियों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। (2) शिनाख्त की कार्यवाही कर गिरफ्तार किये जायेंगे।	(1) नामजद 40 आरोपियों में 29 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पर्याप्त साक्ष्य न होने से 09 आरोपियों के नाम हटाये गये है एवं 02 आरोपी फरार है जिनके विरूद्ध धारा 82 जा.फौ. की कार्यवाही की जा चुकी है। दिनांक 18.01.16 को मान. न्यायालय द्वारा नियत है। मान. न्यायालय के आदेश से कार्यवाही की जाएगी। (2) विडियो फुटेज के आधार पर पहचाने गये कुल 11 आरोपियों में से 08 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 02 आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने से नाम हटाये गये। 01 आरोपी के विरूद्ध धारा 82 जा.फौ. की कार्यवाही की जा चुकी है। दिनांक 18.01.16 को मान. न्यायालय द्वारा नियत है। मान. न्यायालय आदेश से कार्यवाही की जायेगी। सभी आरोपियों के पहचान की गई है। अभी तक 37 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। शेष 03 आरोपी है। जो न्यायालय के आदेश से कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13-187/2015/बी-1/दो, दिनांक 16.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
191.	**742**	परि.अता.प्र.सं.44 (क्र.1653) दि.29.07.2015 (श्री सुदर्शन गुप्ता)	इंदौर जिले के विभिन्न थानों में जप्त वाहनों का नियमानुसार व्ययन योग्य वाहनों का निराकरण किया जाना।	निकट भविष्य में व्ययन योग्य वाहनों का निराकरण किया जावेगा।	जिले के विभिन्न थानों में 292 वाहन नीलामी योग्य है। इनकी नीलामी की प्रक्रिया जारी है। जो शीघ्र पूर्ण कर ली जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13-1/2016/बी-3/दो, दिनांक 10.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
192.	**743**	परि.अता.प्र.सं.79 (क्र.2140) दि.29.07.2015 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	सागर जिले की नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चैन स्नेचिंग के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी किया जाना।	लंबित प्रकरण में आरोपी की पतारसी तथा गिरफ्तारी हेतु विधि अनुरूप प्रभावी कार्यवाही एवं विवेचना की जा रही है।	विधानसभा क्षेत्र नरयावलि के थाना पद्माकर क्षेत्रांतर्गत चयन स्नेचिंग की 02 प्रकरण क्रमांक 68/15 एवं 152/15 लंबित थे जिनमें से 01 प्रकरण क्र0 68/15 में 01 आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। फरार 01 प्रदीप पिता अमरत लाल बंसल निवासी नयाखेड़ा सानौधा की गिरफ्तारी 06.08.2015 को कर चालान क्र0 118/15 दिनांक 23.07.2015 तैयार कर मान0 न्यायालय पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण क्रमांक 152/15 के फरार अरोपियों की पतारसी के हरसंभव प्रयास जारी हैं। प्रकरण विवेचनाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13/189/2015/बी-1/दो, दिनांक 03.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
193.	**744**	परि.अता.प्र.सं.95 (क्र.2346) दि.29.07.2015 (श्री दिनेश राय)	सिवनी जिले में सभी थानों में वर्ष 2011 से वर्तमान तक पंजीबद्ध अपराधों के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी किया जाना।	आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे है।	जिला सिवनी के कुल 41 लंबित प्रकरणों में स 36 प्रकरणों मे आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है। शेष 05 में से 02 प्रकरणों में फरार आरोपियों के विरूद्ध ईनाम की उद्धोषणा की जा चुकी है। शेष 03 प्रकरणों मे आरोपियों के गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास जारी हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13/194/2015/बी-1/दो, दिनांक 03.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
194.	**745**	परि.अता.प्र.सं.108 (क्र.2474) दि.29.07.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड जिले के थाना उमरी में मर्ग क्रमांक 27/15 की जांच शीघ्र कराकर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	मर्ग क्र. 27/15 धारा 174 जा.फौ दि. 07.06.2015 को मर्ग कायम कर नियमानुसार जांच की जा रही है।	मर्ग क्रमांक 27/15 धारा 174 जाफौ की जांच एवं कथनों की तस्दीक की गई तो आवेदन पत्र असत्य पाया गया। मृतक नरेन्द्र सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह राजावत उम्र 42 साल निवासी सुल्तान सिंह का पुरा की मृत्यु फांसी लगने से होना पाई गई, किसी प्रकार का अपराध घटित होना नहीं पाया गया। मर्ग सदर में खारिजी दिनांक 14.12.2015 को कता की गई। दिनांक 15.12.2015 को एसडीएम, भिण्ड द्वारा मर्ग सदर में खारिजी स्वीकृत की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13/204/2015/बी-1/दो, दिनांक 03.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
195.	**746**	परि.अता.प्र.सं.156 (क्र.3036) दि.29.07.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	(1) जिला उज्जैन के थाना महिदपुर में पंजीबद्ध अपराध क्र. 35/15 की विवेचना निश्चित समय-सीमा में की जाना । (2) बीज प्रमाणीकरण संस्था उज्जैन से वर्ष 2004-05 से वर्ष 2012-13 तक का रिकार्ड जप्त कर जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) अपराध क्र. 35/15 धारा 420 भादवि, 3/7 ई.सी.एक्ट नवलखा बीज कंपनी के विरूद्ध पंजीबद्ध है, जो वर्तमान में विवेचनाधीन है । (2) रिकार्ड प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।	थाना महिदपुर के अप0क्र0 35/15 की विवेचना पूर्ण कर आरोपी हसमुख लाल नवलखा, संचालक, बीज कंपनी, महिदपुर के विरूद्ध चालान क्र0 357/15, दिनांक 19.11.2015 को तैयार कर न्यायालय पेश किया गया जिसका फौ.मु.नं. 1600/15 जेएमएफसी न्यायालय महिदपुर में विचाराधीन है। प्रकरण में अभियोजन हेतु उपलब्ध रिकार्ड जब्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13/209/2015/बी-1/दो, दिनांक 03.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं ।
196.	**747**	अता.प्र.सं.19 (क्र.767) दि.29.07.2015 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना द्वारा प्रकरण क्र.4613/06, 5679/06, 1735/06 एवं 1220/07 में श्रीमती कल्पना पत्नि श्री विजय जैन निवासी माल रोड गंजबासौदा, जिला विदिशा के विरूद्ध चेक बाउन्स जैसे आर्थिक अपराधों में जारी वारन्ट की तामीली कर कार्यवाही की जाना ।	तामीली हेतु विधि अनुरूप प्रभावी प्रयास किये जा रहे है ।	प्रकरण में पु.अ. विदिशा द्वारा लेख किया गया है कि प्रकरण में मान0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1625, 1626, 1627 एवं 1628 दिनांक 27.07.2015 से इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि प्रकरण में वारन्टी श्रीमती कल्पना जैन पत्नी श्री विनयकुमार जैन निवासी महावीर विहार के पास, बासौदा द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत करा ली गई है। प्रकरण में जारी वारंट माननीय न्यायालय को अदम तामील वापिस प्रेषित किये जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13/182/2015/बी-1/दो, दिनांक 03.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं ।
197.	**748**	अता.प्र.सं.43 (क्र.1661) दि.29.07.2015 (श्री सुदर्शन गुप्ता)	मध्यप्रदेश में चिटफण्ड कंपनियों के विरूद्ध धोखा व जालसाजी के पंजीबद्ध प्रकरणों में विवेचना के दौरान आये साक्ष्य अनुसार शीघ्र विधिसम्मत् कार्यवाही की जाना ।	विवेचना में आये साक्ष्य अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।	दिनांक 01.06.2012 से 31.05.2015 तक के 53 चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों मे 20 प्रकरणों मे चालान पेश । 02 प्रकरणों में खात्मा, 31 प्रकरणों मे विवेचना जारी है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13/201/2015/बी-1/दो, दिनांक 11.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं ।
198.	**749**	अता.प्र.सं.53 (क्र.1773) दि.29.07.2015 (श्री अनिल जैन)	प्लाटून कमाण्डर की वरिष्ठता सूची में प्राप्त अभ्यावेदन का शीघ्र परीक्षण कर नियमानुसार संशोधन कर अभ्यावेदन का निराकरण किया जाना।	अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए है, जिनका परीक्षण कर कार्यवाही की जा सकेगी ।	प्लाटून कमाण्डर की पारस्परिक सह वरिष्ठता निर्धारित करने की कार्यवाही अभ्यावेदनों के प्रकाश में प्रचलित है। अभ्यावेदनों के निराकरण उपरांत वरिष्ठता सूची में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13-23/2015/बी-4/दो, दिनांक 08.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
199.	**750**	अता.प्र.सं.115 (क्र.2668) दि.29.07.2015 (श्री सुन्दर लाल तिवारी)	कोतवाली पन्ना में पंजीबद्ध अपराध क्र. 207/15 की निश्चित समय-सीमा में विवेचना पूर्ण कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रकरण विवेचनाधीन है।	थाना कोतवाली पन्ना के अप0क्र0 207/15 धारा 420, 34 भादवि प्रकरण सदर में आरोपी रमेश कुशवाह एवं श्रीकांत दीक्षित की गिरफ्तारी दिनांक 19.11.2015 को की जा चुकी है जो वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर हैं। प्रकरण के शेष आरोपी कांती बाई, गुमान बाई, प्यारी बाई की गिरफ्तारी शेष है। प्रकरण विवेचनाधीन है। गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13/19/2015/बी-1/दो, दिनांक 17.03.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
200.	751	अता.प्र.सं.145 (क्र.3007) दि.29.07.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	पुलिस थाना भिण्ड देहात में दिनांक 07.01.2015 को पंजीबद्ध अपराध क्रमांक -(प्रथम सूचना रिपोर्ट-11) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रकरण की विवेचना शीघ्र पूर्ण कर दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाना।	(1) आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। (2) प्रकरण की विवेचना शीघ्र पूर्ण करने के यथासंभव प्रयास किये जा रहे है।	(1) थाना देहात जिला भिण्ड में दिनांक 07.01.2015 को फरियादी बाबूराम जामौर निवासी रैहला थाना देहात जिला भिण्ड की रिपोर्ट पर आरोपी मान0 विधायक श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, केशव देसाई, रामलखन बघेल एवं वीरेन्द्र कौशल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 11/15 धारा 342, 506 बी, 504, 34 ताहि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 3(1)10 अनु. जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का इजाफा किया जाकर विवेचना की गई। विलंब से धारा इजाफा करने के संबंध में तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच की जाकर तत्कालीन निरीक्षक सी.बी.एस. रघुवंशी, उ.नि. मनोरमा सिसोदिया, उ.नि. महावीर प्रसाद, उ.नि. दलेल सिंह, निरी, इंद्रवीर सिंह भदौरिया द्वारा विवेचना में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन न करते हुए पदीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करना पाया गया। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण में मान. श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, विधायक द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र दिया गया था जिसके माध्यम से प्रकरण में हरिजन एक्ट की धाराएं जोड़ने के संबंध में पुन: जांच कर मामले में खात्मा लगाने की मांग की गई थी। नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा सतही जांच कर अपना प्रतिवेदन दिये के फलस्वरूप अनेक अधिकारियों को दोषी पाया था अत: उक्त रिपोर्ट से सहमत न होकर अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक भिण्ड से अभिमत लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के उपरांत जिला अभियोजन अधिकारी से राय ली गई। तत्पश्चात प्रकरण से अनु.जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा हटाने के संबंध में पुन: निर्णय लिया गया। अत: उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं बनती है। (2) वर्तमान में अपराध क्रमांक 11/15 , धारा 342, 294, 506/34 ताहि. में विवेचना सतत् रूप से जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ13/205/2015/बी-1/दो, दिनांक 21.07.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
आदिम जाति कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
201.	657	परि.अता.प्र.सं.54 (क्र.934) दि.24.07.2015 (इन्जी.प्रदीप लारिया)	आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार अपर संचालक, उपायुक्त/परियोजना प्रशासक/ सहायक आयुक्त, सहायक संचालक/ जिला संयोजक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य प्रथम श्रेणी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी वर्ग-2 एवं सहायक अनुसंधान अधिकारी संवर्ग की पदोन्नति की जाना।	पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
202.	658	अता.प्र.सं.36 (क्र.935) दि.24.07.2015 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	सागर जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग के छात्रावासों में रजाई, फिनायल एवं अन्य सामग्री समय पर नहीं भेजे जाने की संभागीय उपायुक्त सागर द्वारा की गई जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है। तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
203.	845	परि.अता.प्र.सं.57 (क्र.1911) दि.31.07.2015 (श्री वेलसिंह भूरिया)	धार जिले की विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर वि.स.क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित शालाओं में प्राचार्य के स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	प्राचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति से शासन स्तर से की जायेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
204.	846	परि.अता.प्र.सं.103 (क्र.2425) दि.31.07.2015 (श्री जयवर्द्धन सिंह)	कन्या आदिवासी छात्रावास जामनेर के अपूर्ण भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाना।	निविदा प्रक्रिया प्रचलित है। निविदा प्रक्रिया उपरांत तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
205.	**847**	परि.अता.प्र.सं.113 (क्र.2511) दि.31.07.2015 (श्री दिलीप सिंह शेखावत)	उज्जैन जिले की नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों के डी.पी. लगाने हेतु लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाना।	अनुसूचित जाति के लंबित आवेदन पत्रों पर वर्ष 2015-16 में आवंटन प्राप्त होने के उपरांत किया जावेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
206.	**848**	परि.अता.प्र.सं.116 (क्र.2560) दि.31.07.2015 (श्री ओम प्रकाश धुर्वे)	अनूपपुर जिला अंतर्गत प्रभारी प्राचार्य विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी द्वारा सहायक अध्यापक की अनियमित प्रतिनियुक्ति किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	प्रकरण की जांच कलेक्टर अनूपपुर से कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
207.	**849**	परि.अता.प्र.सं.127 (क्र.2721) दि.31.07.2015 (श्री संजय शाह मकड़ाई)	(1) हरदा जिले में निर्माणाधीन छात्रावासों का अपूर्ण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना। (2) तहसील सिराली के छात्रावास का आधिपत्य प्राप्त करने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाना।	(1) समस्त कार्य फिनिशिंग स्तर पर है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करा लिया जावेगा। (2) आधिपत्य की कार्यवाही प्रचलन में है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
208.	**850**	परि.अता.प्र.सं.152 (क्र.3014) दि.31.07.2015 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	जिला अनूपपुर अंतर्गत उ.मा.वि. बालक कोतमा परिसर स्थित विभागीय आवासीय भवनों की पक्की छत निर्माण कराये जाने हेतु शीघ्र राशि स्वीकृत कर भवन की छत निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाना।	सक्षम स्तर से तकनीकी प्रतिवेदन चाहा गया है। जिस कारण राशि स्वीकृत नहीं की गई है। प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
209.	**851**	परि.अता.प्र.सं.167 (क्र.3182) दि.31.07.2015 (श्री तरूण भनोत)	जबलपुर मुख्यालय के अभियांत्रिकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्षो के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) छात्रवृत्ति के संबंध में जिला स्तर पर जांच दल गठित किया गया है। जांच उपरांत तथ्यों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। (2) जांच कराई जा रही है। जांच उपरांत निष्कर्षो के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
210.	852	अता.प्र.सं.52 (क्र.1877) दि.31.07.2015 (श्रीमती झूमा सोलंकी)	प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित कन्या छात्रवासों में चौकीदारों के रहने के लिए आवास गृह बनाया जाना।	कन्या छात्रावासों में चौकीदार आवास गृह का प्रावधान किया जा रहा है।	विभाग द्वारा छात्रावास भवन निर्माण की प्रचलित ड्राईंग में चौकीदार आवास गृह को सम्मिलित करने हेतु कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास के ज्ञापन क्रमांक-निर्माण/2/2015 16/7033 दिनांक 21.03.2014 द्वारा परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन भोपाल को संशोधित ड्राईंग के पश्चात विभागीय छात्रावासों में चौकीदार आवास गृह का निर्माण किया जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक -** एफ-21/116/2015/25-2/678, दिनांक 18.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
211.	853	अता.प्र.सं.77 (क्र.2296) दि.31.07.2015 (श्रीमती प्रमिला सिंह)	प्रदेश में एकीकृत आदिवासी विकास(वृहत) परियोजना के अंतर्गत आदिवासी विकास के पदों पर पदस्थ पशु चिकित्सकों को उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर नियमित विभागीय अधिकारियों की पदस्थापना की जाना।	नियमित पदोन्नति पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
212.	854	अता.प्र.सं.78 (क्र.2309) दि.31.07.2015 (श्री तरूण भनोत)	विभाग के तकनीकी निर्माण उपखण्डों के कार्य क्षेत्र का विभाजन कर नये संभाग एवं जिलों को निर्माण उपखण्डों में शामिल किया जाना।	परीक्षण उपरांत आवश्यकता अनुरूप विचार किया जा सकेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
213.	855	अता.प्र.सं.110 (क्र.2752) दि.31.07.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में जिला रायसेन एवं देवास के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान निश्चित समय-सीमा में किया जाना।	छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है।	देवास जिले के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जनजाति के 366, 2014-15 के 1081 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान प्रश्नांक दिनांक के पश्चात कर दिया गया है। इसी प्रकार रायसेन जिले में भी वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की छात्रवृत्ति वितरण का कार्य दिसम्बर, 2015 में पूर्ण हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** एफ-21/126/2015/25-2/917, दिनांक 11.07.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
214.	856	अता.प्र.सं.171 (क्र.3248) दि.31.07.2015 (डॉ.मोहन यादव)	आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत अपर संचालक के स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र किया जाना।	अपर संचालक के 04 पद रिक्त है, उनके भरने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
215.	**859**	अता.प्र.सं.169 (क्र.3245) दि.31.07.2015 (श्री जालम सिंह पटेल)	प्रभारी जिला संयोजक नरसिंहपुर द्वारा अनियमितताओं के संबंध में कलेक्टर नरसिंहपुर को की गई शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	शिकायत की जांच हेतु डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम गठित कर दि. 15.07.2015 को आदेश जारी किया गया है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

जुलाई, 2015 सत्र
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
216.	**499**	ता.प्र.स. 02 (क्र. 31) दिनांक 20.07.2015 (कुंवर सौरभ सिंह)	कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में नियम विरूद्ध मण्डी एवं निराश्रित शुल्क की छूट दिये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) प्रकरण में मण्डी समिति कटनी के पदाधिकारियों एवं सचिव के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। (2) इस प्रकरण में मण्डी समिति कटनी की आगामी बैठक में अनुज्ञप्ति को निलंबित करने की कार्यवाही की जायेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
217.	**500**	ता.प्र.स. 08 (क्र. 438) दिनांक 20.07.2015 (श्री हर्ष यादव)	सागर जिले में किसानों को बीज वितरण एवं उत्पादन अनुदान के भुगतान में अनियमितता करने वाले संबंधित दोषियों के विरूद्ध निर्धारित समय-सीमा में विभागीय जांच पूर्ण कर कार्यवाही की जाना।	किसानों को भुगतान प्राप्त न होने व अनुदान भुगतान में गड़बड़ी की जांच की जाकर संबंधितों के विरूद्व विभागीय जांच संस्थित की गई है।	(1) संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सागर संभाग के द्वारा जांच की गई है, जांच प्रतिवेदन शासन को भेजा गया है। (2) समितियों से राशि प्राप्त कर संबंधित कृषिकों को राशि प्रदाय की गई है। (3) म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. एफ4ए/22/2015/14-1, दिनांक 15.10.2015 एवं पत्र क्र. एफ 4ए/22/2015/14-1, दि.14.10.2015 के निर्देशानुसार अध्यक्ष कस्तूरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मगरौन शाहपुर के विरूद्ध कार्या.आदेश क्र. 4101, दि.03.09.2015 एवं पत्र दिनांक 15.10.15 के द्वारा थाना सानौधा जिला सागर में एफ आई आर दर्ज की गई है ।सनमति बीज उत्पादक सहकारी समिति गौरझामर के विरूद्ध कार्या.आदेश क्र. 4103, दिनांक 03.09.15 एवं पत्र क्र. 5066, दि.17.10.2015 के द्वारा थाना गौरझामर में एफआईआर दर्ज हेतु अभिलेख उपलबध कराये गये है । थाना प्रभारी गोरझामर के द्वारा पत्र क्रमांक 19, दिनांक 13.10.2015 से अध्यक्ष सन्मति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. गोरझामर की जांच के संबंध में अनावेदक के विवेचना कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध थाना प्रभारी गोपालगंज सागर को पत्र क्रमांक 5073, दिनांक 18.10.2015 से दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु लेख किया गया है। (4) कस्तूरी बीज उत्पादक सेवा सहकारी मगरोन शाहपुर कार्यालयीन पत्र क्र. 4447, दिनांक 30.08.2014 लाइसेन्स निरस्त किया गया एवं सनमति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.गोरझामर के विरूद्ध कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1029 दिनांक 24.09.2015 से लाईसेन्स निरस्त किया गया। (5) कलेक्टर जिला सागर के पत्र क्रमांक 4171, दिनांक 10.09.2015 से संबंधित संस्थाओं की एफ.आई.आर. दर्ज हेतु पुलिस अधीक्षक सागर को सूचना की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2976/2015/14-1, दिनांक 10.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
218.	**501**	ता.प्र.स. 17 (क्र. 13) दिनांक 20.07.2015 (श्री विश्वास सारंग)	जिला धार एवं रतलाम में कृषि उपकरण खरीदी में अनियमितता के दोषियों के विरूद्ध जांच सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 22.10.2009 अनुसार निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाकर कार्यवाही की जाना।	(1) संबंधितों से बचाव उत्तर प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर आगामी कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा। (2) जांच प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
219.	**502**	ता.प्र.स. 22 (क्र. 51) दिनांक 20.07.2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में माह जनवरी 2014 से माह मई 2015 की अवधि में छापामार कार्यवाही में अनियमितता करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध निर्धारित समय-सीमा में नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	संबंधित कर्मचारी पर कार्यवाही प्रचलन में है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
220.	**503**	ता.प्र.स. 25 (क्र. 504) दिनांक 20.07.2015 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले की तहसील पिपलौदा अंतर्गत ग्राम सुखेड़ा में कृषि उप मण्डी स्थापित किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
221.	**504**	परि.अता.प्र.स. 13 (क्र. 206) दिनांक 20.07.2015 (श्री संजय पाठक)	दिनांक 19.02.2015, प्रश्न क्र. 311 एवं दिनांक 18.03.2015 प्रश्न क्रमांक 5113 के संदर्भ में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
222.	**505**	परि.अता.प्र.स. 38 (क्र. 492) दिनांक 20.07.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	कृषि उपज मण्डी समिति महिदपुर द्वारा फर्म दिलीप ट्रेडिंग कंपनी महिदपुर के संदिग्ध क्रय-विक्रय संव्यवहार पर पांच गुना मण्डी फीस वसूली की जाना।	फर्म दिलीप कंपनी को जारी नोटिस के प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर पांच गुना मण्डी फीस वसूली की कार्यवाही की जायेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
223.	**506**	अता.प्र.स. 14 (क्र. 211) दिनांक 20.07.2015 (श्री संजय पाठक)	श्री नामदेव हेडाऊ एवं जानराव हेडाऊ, सहायक संचालक कृषि के जाति प्रमाण पत्र की छानबीन समिति द्वारा की जा रही जांच की जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जांच के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
224.	**507**	अता.प्र.स. 15 (क्र. 212) दिनांक 20.07.2015 (श्री संजय पाठक)	म.प्र.कृषि उद्योग विकास निगम कटनी को प्रदाय अग्रिम का समायोजन एवं दण्ड ब्याज की राशि वसूली एवं नियम विरूद्ध आहरण के दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) विशेष आडिट दल का गठन किया गया व जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) जांच प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
225.	**508**	अता.प्र.स. 22 (क्र. 292) दिनांक 20.07.2015 (श्री आरिफ अकील)	प्र.क्र.3794 दिनांक 16.07.2014 के संदर्भ में संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण की जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) दिनांक 15.12.2014 द्वारा आरोप पत्र जारी किये जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई है। (2) जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
226.	**509**	अता.प्र.स. 36 (क्र. 365) दिनांक 20.07.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	विदिशा जिले की तहसील त्यौदा/बासौदा में दिनांक 07.04.2015 को प्रश्नकर्ता द्वारा निरीक्षण किये जाने के समय पाई अनियमितताओं की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	अनियमितताओं के संबंध में जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
227.	**537**	परि.अता.प्र.सं.17 (क्र.208) दि.22.07.2015 (श्री संजय पाठक)	ता.प्र.क्र. 924 दिनांक 23.02.2015 के संदर्भ में कटनी जिले में बरमी खाद के भण्डारण में की गई अनियमितता की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
228.	**662**	ता.प्र.सं.12 (क्र.2050) दि.27.07.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	जिला राजगढ़ की कृषि उपज मण्डी ब्यावरा में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु तकनीकी अमले की व्यवस्था कराया जाना।	संविदा नियुक्ति करने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
229.	**663**	परि.अता.प्र.सं.24 (क्र.723) दि.27.07.2015 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	वर्ष 2014-15 में आगर मालवा की सुसनेर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बीज अनुदान की राशि कृषकों के खातों में नियमानुसार जमा नहीं कराने की जांच एवं कृषकों के खाते में अंशदान की राशि जमा कराया जाना तथा दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	नियमों का उल्लघंन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
230.	**664**	परि.अता.प्र.सं.30 (क्र.862) दि.27.07.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के विकाखण्ड लहार में वर्ष 2015 में कृषि महोत्सव हेतु प्राप्त राशि में आर्थिक अनियमितताओं की जनपद अध्यक्ष लहार द्वारा की गई शिकायत की जांच समय-सीमा में कराया जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	शिकायत की जांच, जांचकर्ता अधिकारी अनुविभागीय कृषि अधिकारी लहार के द्वारा प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
231.	**665**	परि.अता.प्र.सं.52 (क्र.1602) दि.27.07.2015 (श्री मोती कश्यप)	कृषि उपज मण्डी समिति कटनी के निरीक्षण प्रतिवेदन में मण्डी निरीक्षक द्वारा कृषि उपज कम दर्शा कर मण्डी को आर्थिक क्षति पहुंचाने का दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	आदेश दिनांक 02.05.2015 से निलंबित किया गया, जिनके विरूद्ध आरोप पत्रादि जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
232.	**666**	परि.अता.प्र.सं.66 (क्र.1803) दि.27.07.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले की कृषि उपज मण्डी जैसीनगर का निर्माण कार्य की जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	शासन के मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा जांच करायी जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
233.	**667**	परि.अता.प्र.सं.147 (क्र.2583) दि.27.07.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	जिला उज्जैन के दिलीप ट्रेडिंग कम्पनी महिदपुर के विरूद्ध फर्जी अनुज्ञा पत्र मामले में जारी नोटिस का प्रति उत्तर समय सीमा में प्राप्त कर विधिसम्मत कार्यवाही की जाना।	पांच गुना मंडी फीस राशि रूपये 6,61,685/- एवं 6,21,958/- के जारी नोटिस के प्रति उत्तर प्राप्त होने पर दोष स्थापित होने पर पांच गुना मंडी फीस वसूली की कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
234.	**668**	अता.प्र.सं.110 (क्र.2048) दि.27.07.2015 (श्री तरूण भनोत)	म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालय मण्डी बोर्ड में प्रतिनियुक्तियों पर कार्यरत अधिकारियों को पृथक कर विभागीय अधिकारियों की पदस्थापना किये जाने का शीघ्र निर्णय लिया जाना।	अधिकारी की पदस्थापना संबंधी निर्णय लिया जावेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
235.	**669**	अता.प्र.सं.146 (क्र.2353) दि.27.07.2015 (श्री दिनेश राय "मुनमुन")	सिवनी जिले की विधान सभा क्षेत्र सिवनी, लखनादौन व केवलारी में आयोजित जून 2015 में कृषि महोत्सव के दौरान मिट्टी के लिये गये नमूनों की जांच कर रिपोर्ट शीघ्र दी जाकर कृषकों को लाभाविंत किया जाना।	नमूनों की जांच प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
236.	**670**	अता.प्र.सं.161 (क्र.2530) दि.27.07.2015 (श्री सज्जन सिंह उईके)	वर्ष 2009 से 2014 में बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी एवं भैसदेही के कृषकों को वितरित ड्रिप की अनुदान राशि का भुगतान शीघ्र किया जाना।	अनुदान राशि रू.603060 भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अनुदान राशि रू. 6,03,606 का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है । लाभान्वित कृषकों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10-130/15/14-3, दिनांक 27.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
237.	**535**	ता.प्र.सं.16 (क्र.1133) दि.22.07.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार कुशलपुरा बांध से ग्राम खजूरिया एवं मोर्याखेड़ी में सिंचाई एवं पेयजल योजना का क्रियान्वयन किया जाना।	आवश्यक जल मात्रा के आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	जल संसाधन विभाग द्वारा कुशलपुरा बांध से जल अनुपलब्धता बताई जाने के कारण वैकल्पिक स्त्रोत बांकपुरा तालाब आधारित डी.पी.आर तैयार की गई है। आवश्यक जल मात्रा के आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-183/2015/2/34, दिनांक:- 28.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
238.	**536**	परि.अता.प्र.सं.04 (क्र.44) दि.22.07.2015 (श्री रामलाल रौतेल)	माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र दि. 21.11.14 (सी.एम.मानिट-बी) के अनुपालन में म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के द्वारा प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सम्बोधित पत्र दिनांक 05.12.2014 के परिपालन में जिला अनूपपुर के ग्रामों में नालों का गुणवत्ताविहीन किये गये कार्यों की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही किया जाना।	जांच किये जाने के पश्चात् अनुशंसा अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	शिकायत की जांच हेतु श्री एस.के. अंधवान अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में गठित जांच दल से जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 1938 दिनांक 23.11.2015 प्राप्त हुआ है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 10609 दिनांक 31.12.2015 द्वारा मुख्य अभियंता जबलपुर से जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित त्रुटियों के लिए उत्तरदायी कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र के प्रारूप मांगे गये है। पुन: पत्र क्रमांक 493 दिनांक 18.01.2016 द्वारा स्मरण भी कराया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 319/1340/2015/2/34, दिनांक:- 28.01.2016	जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषी दण्डित हो . इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
239.	**538**	परि.अता.प्र.सं.22 (क्र.358) दि.22.07.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	विदिशा जिले के विभिन्न ग्रामों में पेयजल व्यवस्था की जाना।	उन ग्रामों में आवंटन की उपलब्धता के अनुसार पेयजल स्त्रोतों का निर्माण करवाया जायेगा।	विदिशा जिले के बासौदा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 32 ग्रामों में से 23 ग्रामों में नलकूप खनन कर हैण्डपंप स्थापित किये जा चुके हैं। शेष ग्रामों में पेयजल स्त्रोत निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-190/2015/2/34, दिनांक:- 28.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
240.	**539**	परि.अता.प्र.सं.33 (क्र.629) दि.22.07.2015 (श्री राजेश सोनकर)	इंदौर जिले में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना से पेयजल योजना की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाना।	योजना निजी जन-भागीदारी आधारित पद्धति पर प्रस्तावित है एवं योजना स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना अंतर्गत इंदौर, देवास एवं उज्जैन जिले के 331 ग्रामों की समूह जल प्रदाय योजना की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-178/2015/2/34, दिनांक:- 28.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
241.	**540**	परि.अता.प्र.सं.50 (क्र.864) दि.22.07.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले की लहार विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मटियावली बुजुर्ग में नलकूप खनन कराया जाना।	प्रस्तावित 01 नलकूप इस वित्तीय वर्ष में खनन करवाया जावेगा।	ग्राम मटियावली बुजुर्ग में दिनांक 26.12.2015 को नलकूप खनन कार्य पूर्ण कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-191/2015/2/34, दिनांक:- 28.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
242.	**541**	अता.प्र.सं.18 (क्र.310) दि.22.07.2015 (श्री जतन उईके)	प्रदेश के पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना।	आंशिक पूर्ण श्रेणी के ग्रामों में विभागीय कार्य योजना के अनुसार पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जा रही है।	प्रदेश में दिनांक 1.4.2015 की स्थिति में 20297 आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटें पाई गई है। विभागीय कार्ययोजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह नवम्बर 2015 तक हुई 6825 बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4954/1341/2015/2/34, दिनांक:- 17.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
243.	**542**	अता.प्र.सं.37 (क्र.703) दि.22.07.2015 (श्री गिरीश भंडारी)	म.प्र. में नियुक्त संविदा हैण्डपंप मैकेनिकों को मानदेय का भुगतान किया जाना।	जी हां। मांगों का परीक्षण पर कार्यवाही की जा रही है।	कार्रवाई प्रचलित है जिसमें समय लगना संभावित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-10/2015/1/34, दिनांक:- 23.10.2015	संविदा हैण्डपंप मैकेनिकों को मानदेय का भुगतान किये जाने की समस्त कार्यवाही विशेष समय-सीमा में की जाये इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
244.	**543**	अता.प्र.सं.55 (क्र.960) दि.22.07.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह बना)	रीवा जिले में स्वीकृत नवीन हैण्डपंपों का उत्खनन कार्य पूर्ण किया जाना।	अन्य डिपाजिट कार्य में स्वीकृत हैण्डपंपों का उत्खनन पूर्ण कर लिया जायेगा।	रीवा जिले में वर्ष 2015-16 में 225 आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध माह नवम्बर 2015 तक 214 बसाहटों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 11 बसाहटों में कार्य प्रगति पर है। विधायक निधि के स्वीकृत कुल कार्य 67 में से 57 कार्य पूर्ण कर लिये गये है एवं 10 कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-201/2015/2/34, दिनांक:- 17.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
245.	**544**	अता.प्र.सं.78 (क्र.1153) दि.22.07.2015 (श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल)	बैतूल विकासखण्ड की स्वीकृत पेयजल योजना का कार्य प्रारंभ कराया जाना।	प्रस्तावित योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	समूह जलप्रदाय योजना लागत रू. 5367.00 लाख की डी.पी.आर. तैयार कराई गई है। जो परीक्षणाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-179/2015/2/34, दिनांक:- 02.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
246.	**545**	अता.प्र.सं.88 (क्र.1182) दि.22.07.2015 (श्री नारायण त्रिपाठी)	सतना जिले की मैहर वि.स.क्षेत्र में नल-जल योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु राशि जमा किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाना।	जनभागीदारी की राशि जमा होने पर स्वीकृत की कार्यवाही की जायेगी।	सतना जिले की मैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मैहर विकासखण्ड में 13 नग प्रस्तवावित योजनाओं में से मात्र 01 योजना सलैया बरौह हेतु तीन प्रतिशत की अंशदान की राशि जमा कराई गई है। जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष योजनाओं के लिये अंशदान प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-202/2015/2/34, दिनांकः- 17.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
247.	**752**	परि.अता.प्र.सं.87 (क्र.2268) दि.29.07.2015 (श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक)	दमोह जिला की हटा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बंद नलजल योजनाओं को शीघ्र चालू कराया जाना।	उन योजनाओं में स्रोत निर्माण की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है।	दमोह जिले की हटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्त्रोत से बंद 05 नलजल योजनाओं में स्त्रोत निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-225/2015/2/34, दिनांकः- 28.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
248.	**753**	परि.अता.प्र.सं.96 (क्र.2347) दि.29.07.2015 (श्री दिनेश राय)	सिवनी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए प्रस्तावित समूह जल प्रदाय योजना को मूर्त रूप दिया जाना।	समूह जलप्रदाय योजना तैयार की जा रही है।	सिवनी जिले में प्रस्तावित बंडोल समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित ग्रामों का सर्वेक्षण कर डीपीआर बनाने का कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-223/2015/2/34, दिनांकः- 08.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
249.	**754**	परि.अता.प्र.सं.163 (क्र.3080) दि.29.07.2015 (पं.रमाकांत तिवारी)	रीवा जिले के त्यौंथर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में विधायक निधि से स्वीकृत हैण्डपंपों का खनन निर्धारित समयावधि में नहीं करने वाली एजेंनसी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना एवं शेष हैण्डपंपों का उत्खनन कराया जाना।	अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।	रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र त्यौंथर में वित्तीय वर्ष 2014-15 में विधायक निधि से कुल 23 नलकूपों के खनन एवं हैण्डपंप की स्थापना हेतु राशि जारी की गई थी जिसके परीपेक्ष्य में दिनांक 20.11.15 तक 20 नलकूपों का खनन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 03 नलकूपों का खनन कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-234/2015/2/34, दिनांकः- 17.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
250.	**755**	अता.प्र.सं.46 (क्र.1701) दि.29.07.2015 (श्री रामलाल रौतेल)	जिला अनूपपुर के जनपद जैतहरी राजेन्द्र ग्राम, अनूपपुर एवं कोतमा में वर्ष 2008-09 से 2013-14 में पंपहाउस, स्विच रूम, पाईपलाईन, डगबेल निर्माण एवं स्टाप डेम कार्य गुणवत्ता विहिन किये जाने की, की गई शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्षो के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।	शिकायत की जांच हेतु श्री एस.के. अंधवान अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में गठित जांच दल से जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 1938 दिनांक 23.11.2015 प्राप्त हुआ है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 10609 दिनांक 31.12.2015 द्वारा मुख्य अभियंता जबलपुर से जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित त्रुटियों के लिए उत्तरदायी कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र के प्रारूप मांगे गये है। पुनः पत्र क्रमांक 493 दिनांक 18.1.2016 द्वारा स्मरण भी कराया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-240/2015/2/34, दिनांकः- 28.01.2016	जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषी दण्डित हो . इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
251.	**756**	अता.प्र.सं.128 (क्र.2807) दि.29.07.2015 (श्री रामपाल सिंह)	शहडोल जिले में पेयजल प्रदाय हेतु बंद ओवरहेड टेंक को पुनः चालू कराया जाना।	नवीन स्त्रोतों का निर्माण कर विभाग द्वारा चालू करने की कार्यवाही की जा रही है।	शहडोल जिले में 75 उच्च स्तरीय टंकी निर्मित है। जिनमें से 65 उच्च स्तरीय टंकियों से जल प्रदाय किया जा रहा। शेष 10 टंकियों से जल प्रदाय करने की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-251/2015/2/34, दिनांकः- 17.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
252.	**757**	अता.प्र.सं.146 (क्र.3008) दि.29.07.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बंद 16 नलजल योजनाओं को शीघ्र चालू किया जाना।	नलजल योजनाओं को ग्राम पंचायत से समन्वय करके चालू कराने की कार्यवाही की जा रही है।	रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बंद 16 नलजल योजनाओं में से 10 योजनाओं को चालू करा दिया गया है। 6 योजनाऐं फोरलेन सड़क निर्माण हो जाने के कारण पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिनका सुधार कार्य कराया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-253/2015/2/34, दिनांकः- 17.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

वन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
253.	**612**	अता.प्र.सं.04 (क्र.899) दि.10.12.2014 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	देवास एवं रायसेन जिले में पेयजल समस्या ग्रस्त ग्रामों के अपूर्ण कार्य को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना।	वर्ष 2014-15 के कार्य दिनांक 31.03.2015 तक पूर्ण कराये जायेंगे।	(1) विधानसभा आश्वासन क्रमांक -612 अतारांकित प्रश्न क्रमांक-04 (क्रं. 899) दिनांक 10.12.2014 विधानसभा सदस्य माननीय श्री चम्पालाल देवड़ा विधानसभा क्षेत्र बागली जिला देवास द्वारा देवास एवं रायसेन जिले में पेयजल समस्या ग्रस्त ग्रामों के अपूर्ण कार्य को निश्चित समय-सीमा में अर्थात् वर्ष 2014-15 के कार्य दिनांक 31.03.2015 तक पूर्ण ना कराये जाने के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:- वनमण्डल क्षेत्रीय देवास के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के समिति खाते से समस्या ग्रस्त ग्रामों में पेयजल व्यवस्था करने हेतु समितियां सक्षम है किन्तु समितियों से इस आशय के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। (2) रायसेन जिले में पेयजल समस्या ग्रस्त ग्रामों के वर्ष 2014-15 के कार्यो को दिनांक 31.03.2015 तक पूर्ण करा लिये गये है। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** एफ22-123/2014/10-2, दिनांक 24.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
254.	**613**	परि.अता.प्र.सं.01 (क्र.09) दि.03.07.2014 (श्री कैलाश चावला)	गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में मनासा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम करणपुरा, तहसील रामपुरा के विस्थापितों का पुर्नवास एवं मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना।	(1) पुनर्वास संबंधी दिये गये निर्देशानुसार मुआवजा वितरण की कार्यवाही प्रचलित है। (2) दि. 20.04.2013 से अधिकृत किया गया, जिसके आधार पर मुआवजा वितरण की कार्यवाही प्रचलित है।	ग्राम करणपुरा के विस्थापन एवं पुनर्वास संबंधी दिये गये निर्देशानुसार 202 हितग्राहियों को 10.00 लाख रूपये प्रति हितग्राही के मान से राशि उनके बैंक खाते में जमा की जा चुकी है तथा वे अपनी समस्त आवासीय भूमि, कृषि भूमि, खुला बाड़ो के कब्जे की भूमि वन विभाग अभ्यारण्य गांधीसागर को सौंप कर दिनांक 25.11.2015 तक पूर्णत: विस्थापित हो चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** एफ22-15/2014/10-2, दिनांक 07.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
255.	**615**	ता.प्र.सं.01 (क्र.834) दि.23.07.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	(1) रायसेन जिले में वर्ष 2012 के तेंदूपत्ता बोनस की गणना शीघ्र की जाकर बोनस वितरण किया जाना। (2) संग्रहण वर्ष 2013 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण की कार्यवाही शीघ्र किया जाना।	(1) बोनस वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) संग्रहण वर्ष 2013 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण की कार्यवाही भी प्रचलित है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
256.	**806**	परि.अता.प्र.सं.125 (क्र.2805) दि.30.07.2015 (श्री रामपाल सिंह)	(1) वनमण्डल उत्तर शहडोल के वन परिक्षेत्राधिकारी जयसिंहनगर के विरूद्ध अनियमितताता किये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच निश्चित समय-सीमा में कराया जाना। (2) वन मंडल उत्तर शहडोल अंतर्गत अनियमितता की प्राप्त शिकायत पर की गई जांच के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जी हां। शिकायत का स्वरूप वृहद होने के कारण जांच वर्तमान में प्रचलित है। (2) उपप्रबंध संचालक, उत्तर शहडोल द्वारा की जा रही जांच अभी प्रचलित है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
257.	**807**	अता.प्र.सं.03 (क्र.280) दि.30.07.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया)	मंदसौर एवं नीमच जिले में वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना।	विद्यमान अतिक्रमण हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।	(1) मंदसौर जिले में वन परिक्षेत्र भानपुरा एवं गांधीसागर के 03 अतिक्रमण के प्रकरण में 03 अतिक्रामकों द्वारा खेती हेतु किये गये अतिक्रमण को बेदखल किया जाकर 0.787 हेक्टेयर वनभूमि रिक्त कराई गई है। गांधीसागर के 02 अतिक्रमण के प्रकरणों में 07 अतिक्रामकों द्वारा 0.04 हेक्टेयर वनभूमि पर मकान बनाने हेतु किये गये अतिक्रमण में से 02 अतिक्रामकों को 0.012 हेक्टेयर वनभूमि से बेदखल किया गया। शेष 05 अतिक्रामकों को 0.028 हेक्टेयर वनभूमि से बेदखल किये जाने हेतु वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही प्रचलित है। (2) नीमच जिले के अंतर्गत अतिक्रमण के 36 प्रकरण रकबा 188.002 हेक्टेयर क्षेत्र में से वर्तमान तक 23 प्रकरणों में रकबा 69.318 हेक्टेयर क्षेत्र से अतिक्रमण को बेदखल किया गया है। शेष 13 प्रकरणों में 118.684 हेक्टेयर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने जाने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** एफ22-96/2015/10-3, दिनांक 08.07.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
258.	**808**	अता.प्र.सं.64 (क्र.2066) दि.30.07.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	राजगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री क्रय में अनियमितता के संबंध में दिनांक 19.02.2015 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा दिए गए जांच के आदेश पर कराई गई जांच के जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
259.	**809**	अता.प्र.सं.80 (क्र.2225) दि.30.07.2015 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	बालाघाट जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में विस्तार हेतु बांस एवं काष्ठ की कटाई की अनुमति शीघ्र ही भारत सरकार से प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया जाना।	वर्ष 2015-16 हेतु अनुमति प्राप्त कर कटाई की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश में वर्ष 2015-16 में वार्षिक विदोहन की अनुमति प्रदान की गई है। बालाघाट जिले के दक्षिण बालाघाट वन मण्डल की स्वीकृत कार्य आयोजन अनुसार वार्षिक विदोहन की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर बालाघाट वन मण्डल की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा जारी की गई है। कार्य आयोजन के अनुमोदन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से अनुरोध किया गया है। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** एफ22-86/2015/10-3, दिनांक 15.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
उच्च शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
260.	702	ता.प्र.सं.18 (क्र.11) दि.28.07.2015 (श्रीमती सरस्वती सिंह)	सिंगरौली जिले के शासकीय महाविद्यालय बाग हेतु भूमि आवंटन शीघ्र कराया जाना।	महाविद्यालय हेतु भूमि/भवन आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	शासकीय नवीन महाविद्यालय बागजिला धार को कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रमांक 34/2014/-15/अ-19(3), दिनांक 31.08.2015 द्वारा भवन निर्माण हेतु भूमि प्राप्त हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 267/1730/2015/38-2, दिनांक 10.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
261.	703	परि.अता.प्र.सं.09 (क्र.238) दि.28.07.2015 (श्री मेव राजकुमार)	खरगौन जिले की शासकीय महाविद्यालय मण्डलेश्वर (गांधी नगर) परिसर में जर्जर छात्रावास भवन में आवश्यक सुधार कार्य एवं पेयजल की व्यवस्था शीघ्र कराया जाना।	छात्रावास मरम्मत पश्चात् विद्युतीकरण व्यवस्था, मरम्मत कार्य किया जावेगा। छात्रावास भवन में पेयजल व्यवस्था हेतु पी.एच.ई. विभाग द्वारा पाईप लाईन, पानी की टंकियों आदि की कार्यवाही जारी है।	प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मंडलेश्वर से छात्रावास भवन में विद्युतीकरण व्यवस्था एवं छात्रावास भवन की मरम्मत हेतु पूर्ण जानकारी के साथ प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 219/191/ आउशि/निर्माण शाखा-6/16, दिनांक 28.01.2016 द्वारा छात्रावास भवन में विद्युत्तीकरण व्यवस्था हतु राशि रू. 04.26 लाख एवं छात्रावास भवन की मरम्मत हेतु राशि रूपये 03.14 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। पेयजल व्यवस्था के संबंध में प्राचार्य ने पत्र दिनांक 26.03.2016 द्वारा अवगत कराया है कि पेयजल व्यवस्था का कार्य जनभागीदारी मद से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खरगौन में ट्यूबवेल खनन हो चुका है, जिसमें पानी पर्याप्त है। पानी की टंकिया व पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। जिसका पानी महाविद्यालय के उपयोग में लाया जा रहा है। सम्पवेल का कार्य शेष है, जो प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 977/1730/2015/38-2, दिनांक 23.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
262.	704	परि.अता.प्र.सं.22 (क्र.808) दि.28.07.2015 (श्री मुकेश नायक)	प्रदेश के अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को यू.जी.सी. का छटवां वेतनमान एरियर्स की प्रथम किश्त का भुगतान शीघ्र किया जाना।	यू.जी.सी. का छटवां वेतनमान एरियर्स की प्रथम किश्त का भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा।	अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को यू.जी.सी. का छटवां वेतनमान एरियर्स की प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-38/2015/38-3, दिनांक 26.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
263.	**705**	परि.अता.प्र.सं.64 (क्र.1687) दि.28.07.2015 (श्री रामलाल रौतेल)	अनूपपुर जिले के जेतहरी में संचालित महाविद्यालय का भवन निर्माण कराया जाना।	महाविद्यालय के भवन निर्माण के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
264.	**706**	परि.अता.प्र.सं.70 (क्र.1752) दि.28.07.2015 (श्री गोपालसिंह चौहान)	जिला अशोकनगर के चन्देरी नगर स्थित शासकीय माधव महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य की पदस्थापना की जाना।	प्राचार्य के पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है।	प्राचार्य पद पर पदोन्नति संबंधी प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को बैठक हेतु भेजे गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-40/2015/38-1, दिनांक 21.22.2015 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 4386, दिनांक 17.02.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही वर्तमान में किस स्थिति में है? विभाग द्वारा नियमित प्राचार्यो के पद की पूर्ति कब तक कर ली जायेगी? अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग नियमित प्राचार्य के पद की पूर्ति की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करे।
265.	**707**	परि.अता.प्र.सं.72 (क्र.1829) दि.28.07.2015 (श्री दीवान सिंह विट्ठल पटेल)	बड़वानी जिले में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्य की पदस्थापना की जाना।	जिन स्थानों पर प्राचार्य पद की पूर्ति होना है, उस हेतु पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है।	विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-65/2015/38-1, दिनांक 11.01.2016 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 4386, दिनांक 17.02.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही वर्तमान में किस स्थिति में है? विभाग द्वारा नियमित प्राचार्यो के पद की पूर्ति कब तक कर ली जायेगी? अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग नियमित प्राचार्य के पद की पूर्ति की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
266.	**708**	परि.अता.प्र.सं.94 (क्र.2052) दि.28.07.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	राजगढ़ जिले के नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा परिसर में 100 सीटर कन्या छात्रावास की स्वीकृति शीघ्र दी जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्राचार्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ब्यावरा, जिला राजगढ़ से महाविद्यालय में 100 सीटर कन्या छात्रावास निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) का प्रॉक्कलन, तकनीकी स्वीकृति की राशि रूपये 234.28 लाख का प्रस्ताव दिनांक 30.10.2015 को प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव को आगामी एस.एफ.सी. में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 117/1730/2015/38-2, दिनांक 18.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
267.	**709**	परि.अता.प्र.सं.156 (क्र.2897) दि.28.07.2015 (श्रीमती शकुन्तला खटीक)	शिवपुरी जिले के शासकीय महाविद्यालय करैरा में रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र किया जाना।	संविदा/आउट सोर्स के पदों की पूर्ति हेतु नीति निर्धारण हो चुका है, शीघ्र ही पद पूर्ति की जाएगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
268.	**710**	अता.प्र.सं.09 (क्र.581) दि.28.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिला मुख्यालय में नवीन कन्या महाविद्यालय शीघ्र खोला जाना।	नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जाने संबंधी प्रस्ताव नीतिगत होने से विचाराधीन है।	वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा नवीन महाविद्यालय खोले जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है, एवं वित्तीय संसाधन समिति होने के कारण नवीन महाविद्यालय खोला जाना संभव नहीं है। अत: अभी श्योपुर जिला मुख्यालय में नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2043/1730/2015/38-2, दिनांक 08.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
269.	**711**	अता.प्र.सं.57 (क्र.1774) दि.28.07.2015 (श्री अनिल जैन)	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्यो की पदस्थापना शीघ्र की जाना।	स्नातकोत्तर/स्नातक प्राचार्यो की पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है।	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का प्रस्ताव म.प्र. लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-41/2015/38-1, दिनांक 28.12.2015 समिति द्वारा विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 4386, दिनांक 17.02.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- **प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही वर्तमान में किस स्थिति में है ? विभाग द्वारा नियमित प्राचार्यो के पद की पूर्ति कब तक कर ली जायेगी ? अद्यतन जानकारी।** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग नियमित प्राचार्य के पद की पूर्ति की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
270.	**712**	अता.प्र.सं.73 (क्र.1990) दि.28.07.2015 (श्री कमलेश्वर पटेल)	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राचार्यो के पदों की पूर्ति हेतु प्राध्यापक पद से स्नातक प्राचार्य एवं स्नातक प्राचार्य से स्नातकोत्तर प्राचार्य पद पर पदोन्नति शीघ्र किया जाना।	प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है।	विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही किये जाने संबंधी कार्यवाही पी.एस.सी. स्तर पर विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-42/2015/38-1, दिनांक 28.12.2015 समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 4386/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 17.02.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही वर्तमान में किस स्थिति में है ? विभाग द्वारा नियमित प्राचार्यो के पद की पूर्ति कब तक कर ली जायेगी ? अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।	समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग नियमित प्राचार्य के पद की पूर्ति की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करे।
271.	**713**	अता.प्र.सं.101 (क्र.2320) दि.28.07.2015 (श्री विश्वास सारंग)	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों/प्राध्यापकों की परिवीक्षावधि नियमानुसार निश्चित समय-सीमा में समाप्त की जाकर शीघ्र स्थायीकरण किया जाना।	परिवीक्षावधि समाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

जुलाई, 2015 सत्र
महिला एवं बाल विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
272.	573	परि.अता.प्र.सं.35 (क्र.657) दि.22.07.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया)	गुना एवं बमोरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाना।	वर्तमान में रिक्त पद पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
273.	574	अता.प्र.सं.29 (क्र.587) दि.22.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिले के आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	04 पंचायतों द्वारा कार्य नहीं करने के कारण उन्हें पृथक से कारण बताओं सूचना पत्र, धारा 40 का नोटिस एवं धारा 92 का प्रकरण न्यायालय में दर्ज कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
274.	575	अता.प्र.सं.99 (क्र.1263) दि.22.07.2015 (श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल)	इंदौर जिले में निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना।	छतस्तर तक होकर निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माणाधीन भवनों को शीघ्र ही पूर्ण कराया जाएगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
275.	606	अता.प्र.सं.204 (क्र.4090) दि.13.03.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	राजगढ़ जिले की ग्राम पंचायत कंवरपुरा में आंगनवाड़ी केन्द्र के निर्माण में अनियमितताओं की जांच एवं संबंधित दोषी के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाना।	राजगढ़ के तत्कालीन सरपंच के विरूद्ध जांच की कार्यवाही प्रचलित है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
276.	**758**	परि.अता.प्र.सं.05 (क्र.114) दि.29.07.2015 (श्री सचिव यादव)	जिला खरगौन की कसरावद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत परियोजना कसरावद एवं भीकनगांव में आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	प्राप्त आपत्तियों का निराकरण जिला स्तरीय समिति की बैठक में किया जा कर अंतिम सूची का प्रकाशन किया जावेगा।	जिला खरगौन की कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत परियोजना कसरावद एवं भीकनगाँव में प्रश्नावधि कॉल के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 03 सहायिका के 02 तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 01 रिक्त था। उक्त रिक्त पदों में से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 03 सहायिका के 02 तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 01 पद की पूर्ति माह अगस्त 2015 में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाकर कर ली गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-5-125/2015/50-2, दिनांक 22.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
277.	**759**	परि.अता.प्र.सं.18 (क्र.824) दि.29.07.2015 (श्री सोहनलाल वाल्मीक)	छिन्दवाड़ा जिले के नगरीय आंगनवाड़ी केन्द्रों में समूहों को पूरक पोषण आहार प्रदाय किये जाने की शीघ्र व्यवस्था किया जाना।	जिला स्तर पर कार्यवाही की प्रक्रिया प्रचलन में है।	छिन्दवाड़ा जिले के नगरीय आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्थानीय स्वसहायता समूहों को पूरक पोषण आहार प्रदाय कार्यादेश दे दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-5-129/2015/50-2, दिनांक 09.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
278.	**760**	परि.अता.प्र.सं.19 (क्र.825) दि.29.07.2015 (श्री सोहनलाल वाल्मीक)	(1) छिन्दवाड़ा जिले के चौरई नगरीय क्षेत्र में मार्च 2014 के देयकों एवं परियोजना अधिकारी द्वारा दी गई हितग्राही की उपस्थिति हेराफेरी कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना। (2) छिन्दवाड़ा जिले के परासिया के 05 नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत समूहों को पोषण आहार कार्य दिये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण किया जाना।	(1) परीक्षण कराया जा रहा है तत्संबंध में जांच कार्यवाही प्रलचन में है। (2) नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।	जांच कराई गई। छिन्दवाड़ा जिले की बाल विकास परियोजना चौरई में देयकों का भुगतान वास्तविक हितग्राहियों की उपस्थिति अनुसार हुआ है। विधान सभा प्रश्न में जिले द्वारा औसत उपस्थिति के आधार पर आंकड़े दिये गये थे जिसके कारण उत्तर विसंगति पूर्ण तैयार हुआ। शासन को कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है। कोई दोषी नहीं है। छिन्दवाड़ा जिले के परासिया नगरीय क्षेत्रों के समूहों को पूरक पोषण आहार कार्यादेश दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-5-130/2015/50-2, दिनांक 09.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
279.	**761**	परि.अता.प्र.सं.81 (क्र.2184) दि.29.07.2015 (डॉ.कैलाश जावट)	नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र किया जाना।	विकासखण्ड स्तर पर नियुक्ति की कार्यवाही जारी है।	जिला नरसिंहपुर की गोटेगॉव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नावधि काल के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 04 सहायिका के 12 के रिक्त थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा जिला नरसिंहपुर द्वारा पत्र क्र. 1181 दिनांक 26.08.2015 द्वारा उक्त रिक्त पदों की अन्तिम सूची जारी कर 04 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा 12 आंगनवाड़ी सहायिका के पदों की पूर्ति कर ली गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-5-140/2015/50-2, दिनांक 29.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
280.	**762**	परि.अता.प्र.सं.138 (क्र.2967) दि.29.07.2015 (श्री रामसिंह यादव)	शिवपुरी जिले के बदरवास नगर के वार्ड न.14 में नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की जाना।	प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन की स्वीकृति के लिये विभाग के पास प्रक्रियाधीन है।	भारत सरकार से 4305 नये आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन की स्वीकृति के लिये राज्य मंत्रिपरिषद को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है। राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिलने के पश्चात ही केन्द्र खोलने/संचालन की कार्यवाही की जा सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-5-148/2015/50-2, दिनांक 29.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
281.	**531**	अता.प्र.स. 15 (क्र.195) दिनांक 21.07.2015 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	सूचना आयोग द्वारा पारित समस्त आदेशों को आयोग की बेवसाइट पर ऑनलाईन किया जाना।	जी हॉं कराया जायेगा।	सूचना आयोग द्वारा पारित समस्त आदेशों को आयोग की वेबसाईट पर ऑनलाईन किये जाने हेतु आयोग की नवीन वेबसाईट तैयार की जा रही है। नवीन वेबसाईड तैयार की जा रही है। नवीन वेबसाईड तैयार होने पर कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ9-3/2015/सूअप्र/1-9/734, दिनांक 24.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
282.	**532**	अता.प्र.स. 43 (क्र.589) दिनांक 21.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिले के समस्त शासकीय विभागों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को शीघ्र निराकृत किया जाना।	शेष 22 आवेदन पत्रों पर विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही प्रचलित है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
283.	**533**	अता.प्र.स. 44 (क्र.595) दिनांक 21.07.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	भिण्ड जिला अंतर्गत जनसुनवाई व जनशिकायत निवारण के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाना।	लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जायेगा।	समस्त विकास खण्डों से जनसुनवाई व जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ की सम्पूर्ण शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ9-12/2015/1/9, दिनांक 27.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
284.	**605**	ता.प्र.सं.153 (क्र.3331) दि.12.03.2015 (श्री मुकेश नायक)	श्री एम.जी. चौबे, प्रमुख अभियंता जल संसाधन के पद पर तीन बार संविदा नियुक्ति दिये जाने की शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त शिकायत पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त कर उसका परीक्षण किया जा रहा है।	शिकायत पर जल संसाधन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया। प्रश्नाधीन नियुक्तियां मंत्रि-परिषद के अनुमोदन से की गई है और इनमें कोई अनियमितता होना नहीं पाया गया है। ऐसी ही शिकायत लोकायुक्त संगठन द्वारा दिनांक 14.8.2014 को शिकायत नस्तीबद्ध की जा चुकी है। अत: दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 18-30/2015/1-10, दिनांक 09.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
285.	**721**	परि.अता.प्र.सं.36 (क्र.1175) दि.28.07.2015 (श्री हर्ष यादव)	आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों में नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव व तेन्दूखेड़ा के तत्कालीन तहसीलदार श्री पीयूष दुबे के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध क्र.38/2013 एवं शिकायत क्र. 48/2014 में निश्चित समय-सीमा में विवेचना/जांच पूर्ण की जाकर मा.न्यायालय में पेश किया जाना।	विवेचना/जांच में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरणों का विधिसम्मत निराकरण किया जावेगा।	नगर परिषद कैमोर जिला कटनी में की गयी आर्थिक अनियमितता के संबंध में प्रकोष्ठ में अपराध क्रमांक 38/2013 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि एवं 13(1) डी, 13(2) भ्रनिअ 1988 दिनांक 09.12.2013 एवं शिकायत क्रमांक 48/2014 को पंजीबद्ध कर विवेचना/जांच में लिया गया है। प्रकरण की विवेचना/जांच गतिशील है, विवेचना/जांच में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का विधि सम्मत निराकरण किया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ18-27/2015/1-10, दिनांक 27.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
286.	**722**	परि.अता.प्र.सं.88 (क्र.1987) दि.28.07.2015 (श्री कमलेश्वर पटेल)	सीधी एवं सिंगरौली जिले के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र किया जाना।	सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी।	लोक सेवा आयोग, इंदौर से अभी तक वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में भेजे गए सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के संबंध में कोई चयन सूची प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार पदोन्नति से भरे जाने वाले वर्ष 2014 एवं 2015 के संबंध में राजस्व विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हो गए है, जो परीक्षणाधीन हैं। भविष्य में विभागीय पदोन्ति समिति की बैठक आयोजित होने तथा उपयुक्त अधिकारी मिलने पर ही पद पूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी। पद पूर्ति की समय सीमा बताया जाना भी संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3468/5034/2015/दो/एक, दिनांक 05.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
287.	**723**	अता.प्र.सं.31 (क्र.1296) दि.28.07.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले में अति पिछ्ड़ी सहरिया जनजाति के उम्मीदवारों के तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति दिये जाने के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाना।	शीघ्र ही लंबित आवेदनों का निराकरण किया जावेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
288.	**724**	अता.प्र.सं.138 (क्र.2822) दि.28.07.2015 (श्री जालम सिंह पटेल)	नरसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र हेतु मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत तीन वर्षो में की गई घोषणाओं की पूर्ति यथाशीघ्र कराया जाना।	अपूर्ण घोषणाओं पर कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जा रही है।	कलेक्टर जिला नरसिंहपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 17925/व.लि.-1/2015, दिनांक 16.12.2015 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। आश्वासन के अनुरूप सभी घोषणाओं पर कार्यवाही की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ6-28/2015/1/4, दिनांक 01.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
289.	**725**	अता.प्र.सं.140 (क्र.2835) दि.28.07.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	प्रदेश में वर्ष 2004 के बाद गठित जांच आयोग द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन की अनुशंसा के आधार पर निश्चित समय-सीमा में कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

जुलाई, 2015 सत्र
चिकित्सा शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
290.	**604**	ता.प्र.सं.151 (क्र.3280) दि.17.03.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर में वर्ष 2013 में मेरोपेनम इंजेक्शन सी.पी.सी. से स्वीकृत कंपनी से न क्रय कर अन्य कंपनी से क्रय कर आर्थिक अनियमितता किये जाने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन के परीक्षणोपरांत गुणदोष के आधार पर दोषी पाये जाने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	(1) प्रकरण में चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 13-07/2014/1-55, दिनांक 13.10.2015 एवं दिनांक 11.12.2015 द्वारा निलंबित अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किये गये है :- 1. डॉ. एस.एन.आयंगर, 2. डॉ. योगेन्द्र प्रधान, 3. श्री एस.आर. मोर्य, 4. श्री रविन्द्र सिंह तोमर, 5. श्री अंकित कुलश्रेष्ठ 6. श्री मनोज सक्सेना 7. श्री अतुल दुबे 8. श्री आनन्द भदौरिया 9. श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव 10. श्रीमती शिल्पा चोंच (2) प्रदायकर्ता संस्था में अधिक भुगतान की राशि रू. 78,24,120/- की वसूली की गई है तथा चक्रवर्ती ब्याज के दर से रू. 22,19,032/- की वसूली करने हेतु अधिष्ठाता, ग्वालियर को लिखा गया है। (3) लोकायुक्त में पंजीबद्ध जांच प्रकरण क्रमांक 270/2013 विरूद्ध अधीक्षक जयारोग्य अस्पताल जिला ग्वालियर बाबत् शिकायत प्राप्त हुई थी । जिसकी समीक्षा माननीय लोकायुक्त आयुक्त महोदय द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-6-23/2015/पचपन/2, दिनांक 12.02.2016 समिति द्वारा विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 15462/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 31.05.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में चक्रवर्ती ब्याज के दर से रू. 22,19,032/- वसूली की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	मामला गम्भीर प्रकृति का है . आरोपी दण्डित हो तथा प्रदाय कर्ता संस्था को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर समिति को 03 माह में अवगत कराये।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
291.	**659**	परि.अता.प्र.सं.69 (क्र.1117) दि.24.07.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	जे.ए.एच.हॉस्पिटल, ग्वालियर में 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि में दवा एवं अन्य सामग्री खरीदी में की गई अनियमितताओं की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रचलित है । शिकायत की जांच जारी है।	मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 13-6/2015/1/55, दिनांक 21/12/2015 द्वारा ज्योति बिंदल तत्कालीन संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जयारोग्य चिकित्सालय एवं समूह एवं प्रध्यापक एवं विभागाध्यक्ष स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग चिकित्सालय महाविद्यालय ग्वालियर को आरोप पत्र जारी किये गये है। उक्त के अतिरिक्त लोकायुक्त में पंजीबद्ध जांच प्रकरण 19/15 जयारोग्य चिकित्सालय में 2014-15 में लोकल पर्चेस टेंडर में डॉ. ज्योति बिंदल अधीक्षक जे.ए. ग्रप हॉस्पिटल ग्वालियर द्वारा अनियमितता किये जाने बाबत शिकायत भी प्राप्त हुयी थी। माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा भी प्रगति की समीक्षा की जाती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-6-34/2015/55-2, दिनांक 26.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
292.	**660**	परि.अता.प्र.सं.91 (क्र.1459) दि.24.07.2015 (श्री सज्जन सिंह उईके)	प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में मेडिकल कॉलेज खोला जाना।	चिकित्सा महाविद्यालय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	शहडोल संभाग के जिला मुख्यालय शहडोल में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 14.09.2013 को शिलान्यास महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का चिन्हाकंन किया गया है । चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ469/20132/55/2 दिनांक 26.09.2015 द्वारा राशि रूपये 249.35 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई हैं। उक्त के परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण हेतु मध्यप्रदेश रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन को निर्माण एजेन्सी बनाया गया है तथा निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका हैं। इसी प्रकार खण्डवा में परियोजना संचालक (पी0आई0यू0) लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 राशि रूपये 172.21 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 01.08.2015 को जारी की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-10-55/2015/पचपन-2, दिनांक 12.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
293.	**661**	अता.प्र.सं.02 (क्र.30) दि.24.07.2015 (श्री विश्वास सारंग)	मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक ए 1876, दि.03.09.2011 के पालनार्थ हमीदिया अस्पताल में आवश्यकतानुसार आवश्यक मशीन(उपकरण) शीघ्र लगाया जाना।	(1) स्वाशासी बजट से उक्त मशीनों को स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। (2) सभी आवश्यक मशीनें लगाये जाने हेतु प्रक्रिया नियमानुसार प्रचलन में है।	चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल परिसर में कमला नहेरू अस्पताल में संचालित सी.टी. एवं एम.आर.आई. की सुविधा उपलब्ध है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-6-36/2015/55-2, दिनांक 30.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
294.	**862**	परि.अता.प्र.सं.123 (क्र.2667) दि.31.07.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में पदोन्नति/नियुक्तियों एवं नियमितीकरण में की गई अनियमितता की शिकायतों की जांच कराई जाना।	शिकायत की जांच अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा कराई जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

जुलाई, 2015 सत्र
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
295.	521	ता.प्र.सं.11 (क्र.71) दिनांक 20.07.2015 (श्री विष्णु खत्री)	भोपाल जिले की बैरसिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ा या जाना ।	सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।	म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधान अनुसार विधानसभा क्षेत्र बैरसिया में 46 नवीन उचित मूल्य दुकान खोली जाना प्रस्तावित है। नवीन उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु पात्र संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नवीन दुकान आवंटन पर स्थगन दिए जाने के कारण आवंटन की कार्यवाही लंबित है। माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ8-101/2015/29-1, दिनांक 16.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं ।
296.	522	परि.अता.प्र.स. 1 (क्र. 6) दिनांक 20.07.2015 (श्रीमती सरस्वती सिंह)	सिंगरौली जिले के विकासखण्ड चितरंगी में योजना अंतर्गत दोहरीकरण व फर्जी कूपनों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों पर कार्यवाही की जाना ।	जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी से जांच कराई गई। चितरंगी विकासखण्ड की 35 ग्राम पंचायतों में दोहरे परिवार आईटी पंचायत सचिवों द्वारा बनाये जाने के कारण उनकी एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की गई है। वर्तमान में दोहरे परिवार आईडी को विलोपित करा दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ8-110/2015/29-1, दिनांक 02.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं ।
297.	523	परि.अता.प्र.स. 9 (क्र. 183) दिनांक 20.07.2015 (कुंवर सौरभ सिंह)	कटनी जिले में जिला राइस मिलर्स द्वारा घटिया अमानक स्तर का अमानक चावल नागरिक आपूर्ति कटनी में जमा कराये जाने की जांच प्रश्नकर्ता द्वारा की गई शिकायत के परिपेक्ष्य में की जाकर दोषियों पर कार्यवाही की जाना ।	दिनांक 15.06.2015 एवं 16.06.2015 द्वारा प्रेषित शिकायत की जांच कराई जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
298.	**524**	अता.प्र.स. 19 (क्र. 226) दिनांक 20.07.2015 (श्री दिनेश राय (मुनमुन)	सिवनी जिले के बरघाट एवं लखनादौन नगरीय निकाय में नियम विरूद्ध एक संस्था द्वारा उचित मूल्य की दो दुकानें संचालित किये जाने की जांच एवं म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 1950 के तहत कार्यवाही की जाना।	सक्षम अधिकारी द्वारा हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।	सिवनी जिले में नवीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के तहत लखनादौन एवं बरघाट नगरीय निकाय में एक संस्था को एक से अधिक आवंटित दुकान को निरस्त कर अन्य पात्र संस्थाओं को आवंटित किये जाने के लिए आवेदन मंगवाये गए हैं, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा नवीन उचित मूल्य दुकान के आवंटन पर स्थगन दिए जाने के कारण उचित मूल्य दुकान के आवंटन की प्रक्रिया लंबित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ8-102/2015/29-1, दिनांक 16.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
299.	**597**	परि.अता.प्र.सं.127 (क्र.2831) दि.18.03.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले की लहार तहसील अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाना।	तथ्यों की जांच कराकर दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।	अनुभाग लहार स्थित उचित मूल्य की दुकान दबोह की माह नवम्बर 2014 की राशन सामग्री के वितरण के संबंध में कलेक्टर भिण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार स्थिति निम्नानुसार है:- नगर पंचायत दबोह के वार्ड क्रमांक 1,2,3 के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री को वितरण व्यवस्था हेतु अजीमों प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार के स्थान पर कृष्णा उपभोक्ता भण्डार आदेश दिनांक 28.10.2014 द्वारा कार्य सौंपा गया। अजीमॉ उपभोक्ता भण्डार द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक 8681/2014 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2014 को स्थगन दिया गया, जिसके परिपालन में नगर पंचायत दबोह के वार्ड क्रमांक 1,2,3 के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण का कार्य पून: अजीमॉ उपभोक्ता भण्डार को सौंपा गया। उक्त कार्यवाही के कारण उचित मूल्य दुकान दबोह को माह नवम्बर 2014 की सामग्री माह जनवरी 2015 में प्रदाय की गई, इसके लिये कोई कर्मचारी दोषी नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ8-65/2015/29-1, दिनांक 07.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
300.	**598**	परि.अता.प्र.सं.236 (क्र.4607) दि.18.03.2015 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	कटनी जिले में राशन कार्ड से अधिक सामग्री आवंटन की निश्चित समय-सीमा में पूर्ण न कराये जाने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पूर्ण न होने के कारण पुन: जांच कराई जा रही है। दिए गए आवंटन के संबंध में की गई जांच के परीक्षणोपरांत प्राप्त शिकायत की पुन: जांच कराई जा रही है।	कटनी जिले में वर्ष 2007 से 2012 तक की अवधि में अधिक राशनकार्ड पर राशन सामग्री आवंटन की जांच में विकासखण्ड विजयराघवगढ़ एवं ढीमरखेड़ा (जून 2011) विकासखण्ड कटनी (सितम्बर 2011) व विकासखण्ड रीठी (जुलाई 2012 से अक्टूबर 2012) के राशन कार्ड एवं आंवटन अभिलेख प्राप्त हुए, उक्त में एपीएल के 6939, बीपीएल के 3679, अन्त्योदय सूची में दर्ज कार्ड संख्या से अधिक आवंटन जारी किया जाना पाया गया , जिसमें वसूली योग्य राशि रू. 60,67362.48 है। शेष अवधि के अभिलेख जांचकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर को लिखा गया। प्रकरण में जांच पर अंतिम आदेश पारित करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान में रोक लगाई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 8-91/2015/29-1, दिनांक 03.05.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
301.	**599**	अता.प्र.सं.246 (क्र.4707) दि.18.03.2015 (श्रीमती रेखा यादव)	छतरपुर जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकान/उपभोक्ता भण्डारों में निरीक्षण किये जाने के दौरान अनियमितता पाये जाने पर कलेक्टर छतरपुर के निर्देशानुसार संबंधितों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना।	शासकीय उचित मूल्य दुकान गुलाट, प्रतापपुरा एवं छत्रसाल उपभोक्ता भण्डार छतरपुर के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही प्रचलित है।	शासकीय उचित मूल्य दुकान गुलाट, उचित मूल्य दुकान पर शक्कर वितरण में अनियमितता पाए जाने के कारण निर्मित प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का आदेश दिये गये थे। न्यायालय कलेक्टर द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 द्वारा जप्त शुदा 3 क्विंटल शक्कर राजसात करने एवं गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर को निर्देशित किया गया था जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने के कारण प्रकरण समाप्त करते हुए एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। **शासकीय उचित मूल्य दुकान प्रतापपुरा** शासकीय उचित मूल्य दुकान से उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में सामग्री वितरण न करने एवं अधिक राशि वसूलने की अनियमितता पाए जाने के कारण निर्मित प्रकरण में कलेक्टर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए गए। पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा प्रकरण में थाना प्रभारी बाजना से जांच कराई गई। जांच में कोई अपराध घटित न होने के कारण एफआईआर दर्ज न कराने के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया। **शासकीय उचित मूल्य दुकान छत्रसाल प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार उचित मूल्य दुकान वार्ड क्रं. 7, 10,11, 12, 13** शासकीय उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता किए जाने के कारण प्रबधंक एवं विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए। अनावेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रं. 7998/2015 दायर की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 07.07.2015 द्वारा स्थगन दिए जाने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ8-88/2015/29-1, दिनांक 16.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
302.	**671**	परि.अता.प्र.सं.10 (क्र.269) दि.27.07.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया)	प्रदेश में ऑनलाईन निम्न स्तरीय उत्पाद बेचने वाली एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आवश्यक प्रावधान कर शीघ्र संशोधन किया जाना।	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधन कर आवश्यक प्रावधान करने की कार्यवाही की जा रही है।	शासन द्वारा दिये गये उत्तर की कंडिका (ख) अनुसार भारत सरकारी द्वारा ऑनलाईन निम्न स्तरीय उत्पाद बेचने वाली एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर आवश्यक प्रावधान करने की कार्यवाही की जा रही है, इस आधार पर वर्तमान में राज्य स्तर से पृथक से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। भारत सरकारी द्वारा अभी उक्त संशोधन पारित कर लागू नहीं किये गये हैं। राज्य स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अत: राज्य की विषयवस्तु नहीं होने से आश्वासन समाप्ति योग्य है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-22/2015/29-2, दिनांक 19.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
303.	**672**	परि.अता.प्र.सं.100 (क्र.2151) दि.27.07.2015 (श्री अशोक रोहाणी)	जबलपुर जिले में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि में समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये धान के रख-रखाव में की गई लापरवाही की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना	रखरखाव आदि में उपार्जन एजेंसी के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती गई है, इसकी जांच कराई जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
304.	**673**	परि.अता.प्र.सं.119 (क्र.2363) दि.27.07.2015 (श्री मानवेन्द्र सिंह)	छतरपुर जिले की गुरूदेव प्राथ.उप.सह.भण्डार मर्या. घुवारा द्वारा नगर पंचायत घुवारा के वार्ड क्र. 01 से 05 तक की संचालित दुकानों के संबंध मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र. 19251/13 लंबित होने के बावजूद दुकान संचालक को बिना कारण बताओं सूचना पत्र न्याय सिद्धांतो के विरूद्ध निरस्त किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्यवाही की जाना।	जी हां सक्षम अधिकारी को कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।	गुरूदेव प्राथ.उप.सह.भण्डार मर्या. घुवारा द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान वार्ड क्रं. 01 से 05 तक की जांच दिनांक 01.10.2013 में पाई गई अनियमितता के फलस्वरूप दुकान को निलंबित किया जाकर सेवा सहकारी समिति से संलग्न की गई थी। निलंबन आदेश पर मा.उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 31.10.2013 के परिपालन में यथास्थिति बनाए रखी गई है। गुरूदेव प्राथ.उप.सह.भण्डार मर्या. घुवारा के संचालक मंडल का कार्यकाल दिनांक 25.12.2013 को समाप्त होने के कारण सहकारिता विस्तार अधिकारी को संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक को निवृत्तमान अध्यक्ष द्वारा संस्था में कार्यरत कर्मचारी को जानकारी नहीं दिया गया और कार्य पर उपस्थित नहीं हुए। उचित मूल्य दुकान निरंतर बंद रहने तथा दुकान पर माह अप्रैल की सामग्री का वितरण सेवा सामग्री संस्था, घुवारा से कराया गया। इस प्रकार, प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश का पालन किया गया है जिसमें कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ8-122/2015/29-1, दिनांक 02.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
305.	**674**	अता.प्र.सं.14 (क्र.469) दि.27.07.2015 (श्री रामेश्वर शर्मा)	प्रदेश में म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश 2015 के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उचित मूल्य की दुकानें समय-सीमा में खोला जाना।	यथासंभव सितम्बर माह तक उचित मूल्य दुकानें खोली जा सकेगी।	म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ7-19/2014/29-1 भोपाल दिनांक 29.05.2015 के अनुरूप अनुविभाग हुजूर की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए शासकीय उचित मूल्य दुकान आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के दुकान आवंटन की समिति के संबंध में संशोधन विचाराधीन है। विचार उपरांत निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाऐगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ8-134/2015/29-1, दिनांक 02.01.2016 विभागीय जानकारी के परीक्षणोंपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 2818/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 04.02.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें खोले जाने की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	शासन की नीति के अनुरूप प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाने की कार्यवाही निश्चित समय-सीमा में की जाये . इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
306.	**675**	अता.प्र.सं.41 (क्र.1087) दि.27.07.2015 (श्री तरूण भनोत)	जबलपुर शहर में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को 01 जनवरी 2013 से 30 मई 2015 के मध्य एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अनावश्यक रूप से स्थानांतरित किये जाने की जांच समय-सीमा में पूर्ण की जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जी हां। जांच उपरांत तीन माह में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
307.	**676**	अता.प्र.सं.189 (क्र.2710) दि.27.07.2015 (श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर)	होशंगाबाद जिले की भारत माता सहकारी समिति शोभापुर को पिपरिया तहसील क्षेत्र में केरोसीन होल सेलर एवं आवंटन सप्लाई का आदेश की निरस्ती आदेश को निरस्त किया जाना।	(1) प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन है। (2) शासन के निर्णयोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
308.	**526**	परि.अता.प्र.स. 26 (क्र.399) दिनांक 21.07.2015 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना जिले की सबलगढ़-मुरैना सड़क निर्माण के समय विद्युत लाईन शिफ्टिंग में अनियमितता किये जाने एवं निकाला गया स्क्रेप खुर्द-बुर्द किये जाने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना ।	विद्युत लाईन की अवैध रूप से शिफ्टिंग करने में निकली सामग्री के संबंध में जांच सहित म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. मुख्यालय द्वारा मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी के द्वारा प्रकरण की विस्तृत जांच करवायी जा रही है।	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पत्र क्रमांक 4965 दिनांक 25.07.2015 द्वारा मुख्य महाप्रबंधक (कार्य एवं योजना) को प्रकरण की जांच हेतु नामित किया गया है। वितरण कंपनी के पत्र क्रमांक 7341, दिनांक 04.09.2015 से प्रकरण में शीघ्र जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उक्त जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है, जिसके तारतम्य में उक्त जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण की भौतिक जांच कर जांच प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ11-430/2015/तेरह, दिनांक – 10.11.2015 विभागीय जानकारी के परीक्षणोंपरांत सचिवालय का पत्र क्रमांक 3896/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 11.02.2016 द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी ।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त ।	प्रकरण में जांच निष्कर्षो के आधार पर कार्यवाही हो ताकि दोषी दण्डित हो। इस निर्देश के साथ समिति 03 माह में कृत कार्यवाही से अवगत होना चाहेगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
309.	**527**	परि.अता.प्र.स. 29 (क्र.518) दिनांक 21.07.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर एस्सेल विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में विद्युत समस्याओं से संबंधित लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण किया जाना।	लंबित शिकायतों के शीघ्र निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।	सी.एम.ऑन लाईन समाधान ऑन लाईन एवं कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त प्रश्नाधीन शिकायतों में से 73 शिकायतें निराकरण हेतु शेष थी, जिनमें से 67 शिकायतों का निराकरण निर्धारण समयावधि जुलाई, 2015 तक किया जा चुका है। शेष 06 शिकायतें लंबित है जो कि विद्युत लाईन के विस्तार कार्य किये जाने से संबंधित है। उक्त प्रकरणों में प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया है तथा आवेदकों द्वारा ओपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात् कार्य किया जाना संभव हो सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ11-430/2015/तेरह, दिनांक 03.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
310.	**528**	अता.प्र.स. 73 (क्र.890) दिनांक 21.07.2015 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	(1) रीवा जिले की गुढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्षतिग्रस्त विद्युत लाईन एवं पोलो को बदला जाना। (2) विद्युत लाईन के तारों की उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दूरी निर्धारित मानक अनुरूप पुर्नस्थापित शीघ्र किया जाना। (3) विद्यालय भवनों के ऊपर से विद्युत लाईन को शिफ्ट किया जाना।	(1) विद्युत लाईन के पोल टूटे हैं, जिन्हें बदलने की कार्यवाही जारी है जो माह अगस्त 2015 तक पूर्ण कर ली जावेगी। (2) विद्युत लाईन के तारों की उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दूरी निर्धारित मानक स्तर के अनुरूप नहीं हैं, जिन्हें चिन्हित कर निर्धारित मानक स्तर के अनुरूप पुर्नस्थापित करने की कार्यवाही जारी है, जिसे माह अगस्त-2015 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। (3) विद्युत वितरण कंपनी के नियमानुसार लाईन शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा रही है।	(1) चिन्हित किये गये विद्युत लाईन के टूटे हुये पोलों को माह अगस्त 2015 में बदल दिया गया है। (2) चिन्हित किये गये स्थलों में विद्युत लाईन के तारों की निर्धारित मानक स्तर के अनुरूप माह जुलाई 2015 में व्यवस्थित कर दिया गया है। (3) ग्राम डढ़वा एवं अमिलिहा स्थित शासकीय स्कूल के परिसर से विद्युत लाईन माह अगस्त 2015 में शिफ्ट की जा चुकी है। ग्राम बढ़वा एवं मिहिया स्थित स्कूलों के परिसर से लाईन शिफ्टिंग का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है जिसे दिनांक 15.11.2015 तक पूर्ण किया जाना अनुमानित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ11-430/2015/तेरह, दिनांक 09.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
311.	**529**	अता.प्र.स. 75 (क्र.899) दिनांक 21.07.2015 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	मुरैना-सबलगढ़ मार्ग निर्माण के समय विद्युत लाईन एवं पोल की शिफ्टिंग में अनियमितता किये जाने एवं निकाले गये स्क्रेप को खुर्द-बुर्द किये जाने की जांच एवं दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) पुन: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मुख्यालय से मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी से जांच करवायी जा रही है। (2) तत्संबंध में सहायक प्रबंधक वितरण केन्द्र अलापुर एवं बागचीनी को उनके कार्य क्षेत्र में उल्लेखित कार्यो को न रोक पाने हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। अवैध रूप से की गई विद्युत लाईन शिफ्टिंग से निकली सामग्री सहित प्रकरण की जांच हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मुख्यालय द्वारा मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी से जांच करवायी जा रही है। (3) जांच निष्कर्ष उपरांत दोषी पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	(1) मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पत्र क्रमांक 4965 दिनांक 25.7.2015 द्वारा मुख्य महाप्रबंधक (कार्य एवं योजना) को प्रकरण की जांच हेतु नामित किया गया है। वितरण कंपनी के पत्र क्रमांक 7341 दिनांक 4.9.2015 से प्रकरण में शीघ्र जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उक्त जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है, जिसके तारतम्य में जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण की भौतिक जांच कर जांच प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु आवगत कराया गया है। (2) बागचीनी एवं अलापुर वितरण केन्द्रों के सहायक प्रबंधकों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए जाने के उपरांत उपमहाप्रबंधक, मुरैना (द्वितीय) के आदेश दिनांक 3.7.2015 द्वारा बागचीनी वितरण केन्द्र के सहायक प्रबंधक की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है तथा उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) संभाग सबलगढ़ के आदेश दिनांक 6.10.2015 द्वारा आलापुर वितरण केन्द्र के सहायक प्रबंधक की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। (3) जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ11-430/2015/तेरह, दिनांक :- 10.11.2015 विभागीय जानकारी के परीक्षणोंपरांत सचिवालय का पत्र क्रमांक 3896/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 11.02.2016 द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	प्रकरण में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, कृत कार्यवाही से समिति 03 माह की समयावधि में अवगत होना चाहेगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
312.	**714**	परि.अता.प्र.सं.38 (क्र.1208) दि.28.07.2015 (श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर)	खण्डवा जिले की मांधाता विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुदान योजना के तहत कृषकों को सिंचाई हेतु शीघ्र विद्युत कनेक्शन दिया जाना।	कार्यादेश की तिथि से यथासंभव 150 दिन में लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण कर प्रश्नाधीन शेष कनेक्शन दिये जाने के प्रयास किये जायेंगे।	खण्डवा जिले की मांधता विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कृषक अनुदान योजना के तहत 52 किसानों को सिंचाई पंप हेतु स्थाई विद्युत कनेक्शन दिया जाना शेष थे। जिनमें से 29 किसानों के स्थार्अ पम्प कनेक्शनों हेतु पम्प कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष 23 कार्यों में से 3 विद्युत पम्पों के कार्य खेतों में फसल खड़ी होने के कारण एवं 1 पम्प का कार्य प्राक्कलन पुनरीक्षण हेतु लंबित है तथा 19 स्थाई पम्पों के कार्यो हेतु दिनांक 31.03.2015 के पश्चात् औपचारिकताएँ पूर्ण की गई है। वर्तमान में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिनांक 31.03.2015 तक अनुदान योजना अंतर्गत पूर्ण की गई औपचारिकताओं के विरूद्ध पम्प कनेक्शनों के कार्य को प्राथमिकता के आधारा पर पूर्ण किया जा रहा है। अत: दिनांक 31.03.2015 तक लंबित उपरोक्त 3 पम्पों के कार्य फसल कटन एवं 1 पम्प का कार्य प्राक्कलन पुनरीक्षण के पश्चात प्राथमिकता के आधर पर पूर्ण कराया जायेगा। दिनांक 31.03.2015 के पश्चात पूर्ण की गई औपचारिकताओं के विरूद्ध उक्त 19 पम्पों के कार्य, स्पिल ओव्हर कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात् वरीहता क्रमानुसार प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जायेंगे। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ11-430/2015/तेरह, दिनांक 23.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
313.	**715**	परि.अता.प्र.सं.82 (क्र.1943) दि.28.07.2015 (श्री सुन्दर लाल तिवारी)	अमरकंटक ताप विद्युत गृह की इकाई क्र. - 02 एवं 04 का जीवनकाल पूर्ण होने तथा उपयोगी नहीं होने से इनके स्थान पर नई इकाई स्थापित किया जाना।	कॉस्ट बेनिफिट विश्लेषण प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक निर्णय लिया जावेगा।	(1) म. प्र.पा.ज.कं.लि. द्वारा अमरकंटक ता.वि.गृ. चचाई की 120 मेगावाट क्षमता की इकाई क्रमांक 03 एवं 04 को संचालित रखने अथवा सेवानिवृत्त करने बावत् तकनीकी एवं वाणिज्यिक आधार पर विश्लेषण कर अनुशंसायें प्राप्त हो चुकी हैं। (2) सलाहकार/विशेषज्ञ द्वारा कॉस्ट बेनिफिट विश्लेषण किये जाने हेतु मेसर्स एन.टी.पी.सी. को आदेश प्रसारित किया गया। मेसर्स एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रतिवेदन अनुसार इन इकाईयों को वाणिज्यिक दक्षता के साथ चलाया जाना संभव नहीं है। अत: इन्हें सेवानिवृत्त क्षमता के स्थान पर नई क्षमता की इकाईयों की स्थापना हेतु परीक्षण करने की अनुशंसा की गई। (3) म.प्र.पा.ज.क.लि. द्वारा गठित समिति का प्रतिवेदन एवं मेसर्स एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रतिवेदन की प्रति ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराई गई है। विस्तृत प्रस्ताव कंपनी के संचालक मण्डल से अनुमोदन उपरांत कंपनी द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। (4) राज्य शासन के निर्णय उपरांत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से उक्त इकाईयों की सेवानिवृत्त का अनुमोदन प्राप्त होने पर नई इकाईयों की स्थापना हेतु तकनीकी संभाव्यता अध्ययन अनुसार निर्णय लिया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ11-430/2015/तेरह, दिनांक 23.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
314.	**716**	परि.अता.प्र.सं.109 (क्र.2226) दि.28.07.2015 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	बालाघाट जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का ठेकेदार/कंपनी द्वारा छोड़ा गया अधूरा कार्य विभागीय स्तर से शीघ्र पूरा किया जाना।	शेष बचे कार्यो को विभागीय स्तर पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तदुपरांत भी जो कार्य शेष रहेंगे, उन्हें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में किया जावेगा।	बालाघाट जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ठेकेदार एजेंसी द्वारा बालाघाट जिले के 309 ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्य में से 28 ग्रामों का कार्य पूर्ण किया गया है। शेष 281 ग्रामों में लगभग 437 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, लगभग 318 कि.मी. एल.टी.लाईन तथा 510 वितरण ट्रांसफार्मरों का कार्य पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभागीय स्तर पर किया जा रहा है, जिसे दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण किया जाना अनुमानित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ11-430/2015/तेरह, दिनांक 26.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
315.	**717**	परि.अता.प्र.सं.125 (क्र.2428) दि.28.07.2015 (श्री जयवर्द्धन सिंह)	गुना जिले के विकासखण्ड राघौगढ़ में विद्युत सब स्टेशनों को फीडर विभक्तिकरण ठेकेदार/कम्पनी द्वारा छोड़े गये अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	गुना जिले में फीडर विभक्तिकरण योजनान्तर्गत शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु निविदा कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 06.10.2015 को मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मुंबई को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ11-430/2015/तेरह, दिनांक 23.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
316.	**718**	अता.प्र.सं.72 (क्र.1983) दि.28.07.2015 (कुंवर हजारीलाल दांगी)	राजगढ़ जिले में फीडर विभक्तिकरण योजना के अपूर्ण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	शेष कार्य हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	राजगढ़ जिले में फीडर विभक्तिकरण योजनान्तर्गत शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निविदा कार्यवाही शीर्घ पूर्ण होना संभावित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ11-430/2015/तेरह, दिनांक 23.11.2015 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत सचिवालय का पत्र क्रमांक 3896/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 11.02.2016 द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण में निविदा कार्यवाही पूर्ण किये जाने की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	प्रक्रियाधीन निविदा की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाकर फीडर विभक्तीकरण योजना के अपूर्ण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाये। इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
317.	**719**	अता.प्र.सं.74 (क्र.2004) दि.28.07.2015 (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय)	(1) जिला रतलाम की जावरा तहसील के अंतर्गत ग्राम पिपलौदी में कृषक अनुदान योजना के अंतर्गत 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र का अपूर्ण कार्य निश्चित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना। (2) पिपलौदा तहसील में 33/11 के.व्ही.विद्युत उपकेन्द्र मामटखेड़ा का अपूर्ण कार्य निश्चित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना। (3) ग्राम धामेडी में नवीन 33/11 के.व्ही.विद्युत उपकेन्द्र का कार्य निश्चित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना। (4) ग्राम हतनारा में विद्यमान 33/11 के.व्ही.उप केन्द्र में अतिरिक्त 05 एम.व्ही.ए. क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना की जाना।	(1) कार्य प्रगति पर है एवं जून 2016 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। (2) कार्य प्रगति पर है एवं जून 2016 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। (3) कार्य प्रगति पर है एवं मई 2016 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। (4) केन्द्र शासन से योजना स्वीकृति उपरांत वित्तीय उपलब्धता अनुसार किये जा सकेंगे।	(1) ग्राम पिपलौदी में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र हेतु कन्ट्रोलरूम, 11 के.व्ही. एवं 33 के.व्ही. ग्रेन्ट्री स्ट्रेक्चर सी.टी. पी.टी. एवं व्ही.सी.बी. का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जम्परिंग का कार्य भी पूर्ण है, मात्र आइसोलेटर, पेनल, केबल एवं पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य शेष है, जिसे माह दिसम्बर 2015 के अंत तक पूर्ण किया जाना संभावित है। (2) ग्राम मामटखेड़ा में ठेकेदार एजेंसी मेंसर्स भारत इलेक्ट्रीकल कंट्रेक्टर्स एण्ड मैन्युफेक्चरर्स प्रायवेट लिमिटेड, सांगली महाराष्ट्र को उक्त कार्य एडीबी-तृतीय योजना के अंतर्गत आदेश क्रमांक एमडी/डब्ल्यूझेड/06/पीयूआर/एडीबी-3/पीपीआर-41/14/700, दिनांक 13.01.2014 (सप्लाय पोरशन) एवं एमडी/डब्ल्यूझेड/06/पीयूआर/एडीबी-3/पीपीआर-41/14/700, दिनांक 13/01/2014 (सप्लाय पोरशन) एवं एमडी/ डब्ल्यूझेड/06/पीयूआर/एडीबी-3/पीपीआर-41/14/701, दिनांक 13.01.2014 (इरेक्शन पोरशन) से आवंटित किया गया है। उक्त कार्य निविदा की शर्तो के अनुसार 17.06.2016 तक पूर्ण किया जाना है। वर्तमान में उपकेन्द्र हेतु भूमि का आवंटन हो चुका है एवं कार्य प्रगति पर है। कार्य माह जून- 2016 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। (3) ग्राम धामेड़ी में ठेकेदार एजेंसी मेसर्स श्रीराम स्वीच गियर्स प्रायवेट लिमिटेड, रतलाम को उक्त कार्य एसएसटीडी द्वितीय योजना के अंतर्गतआदेश क्रं. एमडी/डब्ल्यूझेड/06/कार्य/ एसएसटीडी/ पैकेज-789ओआरटी-27/18921, दिनांक 3.11.2014 (सप्लाय पोरशन) एवं एमडी/डब्ल्यूझेड/06/कार्य/एसएसटीडी/पैकेज-789/ओआरडी-28/18922 दिनांक 3.11.2014 (इरेक्शन पोरशन) से आवंटित किया गया है। वर्तमान में उपकेन्द्र हेतु भूमि का आवंटन हो चुका है एवं कार्य प्रगति पर है । कार्य माह मई, 2016 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। ग्राम हतनारा में अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में केन्द्र शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					कार्यादेश एस.टी.सी. संभाग रतलाम को जारी किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है जिसे माह जनवरी, 2016 के अंत तक पूर्ण किया जाना संभावित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ11-430/2015/तेरह, दिनांक 23.11.2015	
318.	**720**	अता.प्र.सं.132 (क्र.2747) दि.28.07.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	रायसेन जिले में कृषक अनुदान योजना अंतर्गत विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित कर सिंचाई हेतु कृषकों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना।	कार्य भी प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे है।	रायसेन जिले में दिनांक 15.07.2015 की स्थिति में लंबित 828 प्रकरणों में से 799 के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष 29 प्रकरण पहुंच मार्ग (आर.ओ.डब्ल्यू) उपलब्ध नहीं होने धान एवं सोयाबीन की फसल खड़ी होने के कारण कृषकों द्वारा स्वयं मना करने, स्थानीय विवाद/ परिस्थिति निर्मित होने आदि कारणों से पूर्ण नहीं किये जा सके हैं। उक्त शेष कार्य प्रगति पर है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ11-430/2015/तेरह, दिनांक 23.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
319.	603	अता.प्र.सं.145 (क्र.3134) दि.16.03.2015 (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिला अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग के लिए आवंटित भूमि पर उद्योग स्थापित न कर नियमानुसार उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर भूमि पर आधिपत्य प्राप्त किया जाना।	विभाग द्वारा आधिपत्य प्राप्त करने हेतु नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
320.	810	अता.प्र.सं.33 (क्र.1532) दि.30.07.2015 (श्री मुकेश नायक)	वर्ष 2015 में अमेरिका दौरे के समय फ्रेंडस ऑफ मध्यप्रदेश सम्मेलन के दौरान म.प्र.मूल के विदेशों में बसे व्यक्तियों ने मध्यप्रदेश में परियोजना स्थापित करने हेतु उनसे प्राप्त प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिए भूमि उपलब्ध कराया जाना।	03 प्रस्तावों पर भूमि चिन्हित/आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है।	निम्न निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की गई है-: (1) कौल ग्रुप ,यू.एस.ए .आई.टी .पार्क (रू 281 .करोड़)- 25एकड़ भूमि आई.टी .पार्क बिडबई ,भोपाल में आवंटित। (2) श्री संजय पुरी यू.एस.ए .आई.टी .पार्क (रू 132 . करोड़) -आई.टी .पार्क बिडबई ,भोपाल में 10 एकड़ भूमि हेतु आशय पत्र जारी। (3) मेसर्स टेनासिटी ग्लोबल प्रा.लि. यू.एस.ए. मेडिसिटी, सांची, जिला रायसेन में स्मार्ट मेडिकल सिटी की स्थापना हेतु भूमि आवंटन आदेश 23.11.2015 को उद्योग आयुक्त द्वारा जारी किए गए। (रू 3600 .करोड़) केबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन द्वारा दिनांक 22.09.2015को निवेश प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति व प्रथम चरण के लिए 50एकड़ भूमि हेतु स्वीकृति। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ12-83/2015/बी-ग्यारह, दिनांक 18.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
खनिज साधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
321.	**525**	परि.अता.प्र.स. 3 (क्र.33) दिनांक 21.07.2015 (श्री कुंवर सौरभ सिंह)	फर्म स्वेल माइन्स कटनी पर बकाया रायल्टी आदि के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 11.04.2015 के संदर्भ में गठित जांच दल के प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	जांच दल का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	**उत्तर प्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
322.	**595**	ता.प्र.सं.54 (क्र.1281) दि.22.03.2015 (श्री आर.डी.प्रजापति)	छतरपुर जिले की चन्दला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नियम विरूद्ध संचालित क्रेशर प्लांट के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना ।	06 शिकायतें प्राप्त हुई, इनमें से 03 शिकायतों की जांच पूर्ण हो चुकी है तथा शेष में कार्यवाही प्रचलन में है।	कलेक्टर, जिला छतरपुर के पत्र दिनांक 24.01.2015 अनुसार शेष 03 शिकायतों की जांच पूर्ण हो चुकी है। वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:- **(1) प्रकाश बम्हौरी के खसरा नम्बर 901 रकवा 0.600 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत उत्खनि पट्टा में पट्टेदार श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा नियमों का उल्लघन में अवैध रूप से विस्फोटक का उपयोग कर हानि पहुचांने बावत्‌।** शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र शुक्ला तनय स्व. श्री शिवनाथ शुक्ला, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत प्रकाश बम्हौरी की शिकायत की जांच प्रभारी खनि निरीक्षक छतरपुर से कराई गई। पट्टेदार श्री नरेन्द्र सिंह को ग्राम प्रकाश बम्हौरी के खसरा नम्बर 901 रकवा 0.600 हें. क्षेत्र पर स्वीकृत उत्खनि पट्टा क्रेशर आधारित गिट्टी निर्माण हेतु स्वीकृत है। श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा मे. ओरियंटल स्ट्रक्चर्स प्रा.लि. को वोल्डर विक्रय करने की अनुमति प्राप्त कर एक वर्ष पूर्व वोल्डर विक्रय किये हैं। एक वर्ष से उक्त खदान में उत्खन्न कार्य बंद है। 6 इंच ब्लास्टिंग की शिकायत असत्य पाई गई। पट्टेदार द्वारा बताया गया कि आपसी बुराई के कारण यह झूठी शिकायत की गई है। स्थल का पंचनामा एवं पट्टेदार के कथन लिये गये। सहायक खनि अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी, शिकायत शाखा, कलेक्ट्रेट छतरपुर को पत्र दिनांक 17.11.2015 प्रेषित कर शिकायत नस्तीबद्ध किये जाने	कोई टिप्पणी नहीं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					हेतु लेख किया है। **(2) खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन व भण्डारण से संबंधित शिकायत क्रकांक 76614 दिनांक 26. 07.2014।** शिकायतकर्ता श्री संतराम चतुर्वेदी निवासी बदौराकला की शिकायत की जांच प्रभारी खनि निरीक्षक छतरपुर से कराई गई। ग्राम बदौराकला के खसरा नम्बर 946 रकवा 4,000 हे. जे.बी.आर. मिनरल्स को क्रेशर आधारित गिट्टी निर्माण हेतु स्वीकृत एवं अनुबंधित है। स्थल जांच में पाया गया कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा खसरा नम्बर 946 में रास्ता निर्माण हेतु पहाड़ पर एक ब्लास्ट किया गया था। जिसमें ग्राम बदौराकला के निवासियों द्वारा आपत्ति की थी, जिसे मानकर पुन: कोई ब्लास्ट नहीं किया गया। उक्त ब्लास्ट से किसी की जन-धन हानि नहीं हुई। स्थल पर पंचनाम तैयार किया गया तथा संतराम चतुर्वेदी के कथन लिये गये, बताया गया कि मैंने कोई शिकायत नहीं की है। किसी ने मेरे नाम से फर्जी शिकायत की है। सहायक खनि अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी, शिकायत शाखा, कलेक्ट्रेट छतरपुर को पत्र दिनांक 23.11.2015 प्रेषित कर शिकायत नस्तीबद्ध किये जाने हेतु लेख किया है। **(3) ग्राम पंचायत प्रकाश बम्हौरी के अंतर्गत आने वाली कंडाहरी पुरवा में प्राथमिक शाला के निर्माण में खनिज शाखा छतरपुर द्वारा रोक लगाये जाने के संबंध में।** समस्त ग्रामवासी कंडाहरी पुरवा (प्रकाश बम्हौरी) की शिकायत की जांच प्रभारी खनि निरीक्षक छतरपुर से कराई गई। जिसमें प्रभारी खनि निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.05.2012 को ग्राम प्रकाश बम्हौरी स्थित पत्थर क्रेशर आधारित खदान खसरा नम्बर 1348 रकवा 2.000 हे0 एवं 4.000 हे0 का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के समय पटवारी हल्का प्रकाश बम्हौरी एवं राजस्व निरीक्षण मण्डल जुझारनगर साथ में उपस्थित रहे तथा आवेदक जयवंत सिंह तनय श्री रंजीत सिंह निवासी पहरा की और से अमर सिंह उपस्थित रहे तथा ग्राम के अन्य पंचान भी रहे। विवादित स्थल जहाँ पर स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है, स्वीकृत पत्थर खदान से 170	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					मीटर की दूरी पर है तथा नीलामी पत्थर मुरूम खदान इस वर्ष नीलाम नहीं हुई है, 60 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसका खसरा नम्बर 1772 है। स्कूल का निर्माण 1797 खसरा नम्बर में कराया जा रहा है। स्कूल के पिलर के गढडे खुदे हुए पाये गये तथा स्थल पर गिट्टी लोहा की सरिया एवं बालू पड़ी हुई पाई गई। उपरोक्तानुसार स्थल जहां विद्यालय (स्कूल) का निर्माण कराया जा रहा है, खदान से प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर से बाहर 170 मीटर अवश्य है किन्तु पत्थर खदान पर यदि विस्फोट उपयोग किया गया तो विद्यालय निर्माण होने पर कभी भी कोई घटना घटित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। अभी विद्यालय निर्माण का कार्य प्रारम्भिक स्तर पर है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1441/खनिज/2012 दिनांक 30.08.2012 से जिला परियोजना समन्वयक रजीव गांधी शिक्षा मिशन छतरपुर (म0प्र0) को स्कूल निर्माण का स्थल किसी सुरक्षित स्थल पर परिवर्तन कर निर्माण कराये हेतु कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किय गया है। सहायक खनि अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी, शिकायत शाखा, कलेक्ट्रेट छतरपुर को पत्र दिनांक 16.11.2015 प्रेषित कर शिकायत नस्तीबद्ध किये जाने हेतु लेख किया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 297/2805/2015/12-1, दिनांक 29.01.2016	

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
323.	**737**	परि.अता.प्र.सं.67 (क्र.1729) दि.28.07.2015 (श्री अंचल सोनकर)	जबलपुर शहर के बाल गंगाधर तिलक वार्ड अंतर्गत आबकारी विभाग के पूर्व भाण्डागार स्थल की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाना।	भूमि के जिस आंशिक भाग पर अवैध कब्जा है, उसे कब्जाधारियों से मुक्त करने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।	वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र दिनांक 19.11.2015 द्वारा आश्वासन का स्वरूप राजस्व विभाग से संबंधित होने के कारण राजस्व विभाग/कलेक्टर से जानकारी चाही गई है। तहसीलदार अनुभाग ओमती, जबलपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 655/प्रवा.तह.ओ./2015, से कब्जाधारी श्री कुलदीप चौधरी को लिखा गया है कि उनके द्वारा बालगंगाधर तिलक वार्ड भरतीपुर स्थित पुराना मद्य भाण्डागार की बाउट्रीबाल का हिस्सा तोड़कर 10X10 की तीन अवैध दुकानें बनाई गई हैं, उक्त अवैध दुकानों को दिनांक 17.12.2015 तक स्वत: हटा लेवें, अन्यथा हटाने की कार्यवाही प्रशासन एवं नगर निगम, जबलपुर द्वारा की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-15-48/2015/2/पांच, दिनांक 23.12.2015 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 2814/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 04.02.2016 द्वारा निम्नलिखित अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***प्रकरण में अतिक्रमण हटाये जाने की अद्यतन जानकारी।*** ***<u>अद्यतन जानकारी</u> :-*** **कलेक्टर जिला जबलपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार** :- बालगंगाधर तिलक वार्ड भरतीपुर स्थित पुराना मद्य भाण्डागार जबलपुर नजूल ब्लाक नम्बर 93, शासकीय भूमि, प्लाट नम्बर-01 में से रकबा 300 वर्गफुट जो कि शासकीय नजूल भूमि पर अतिक्रमण श्री कुलदीप चौधरी पिता श्री विजय कुमार चौधरी, निवासी-470,	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					भरतीपुर, जबलपुर को दिनांक 01.03.2016 को प्रात: 11.30 बजे जिला प्रशासन एवं नगर निगम, जबलपुर के अतिक्रमण दल द्वारा अवैध कब्जा हटा दिया गया है। इस प्रकार भरतीपुर स्थित पुराने पद्य भाण्डागार, जबलपुर की भूमि के जिस भाग पर अवैध कब्जा था, उसे कब्जाधारियों से मुक्त करा दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-15-48/2015/2/पांच, दिनांक 05.04.2016	

जुलाई, 2015 सत्र
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
324.	765	परि.अता.प्र.सं.26 (क्र.1338) दि.29.07.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	संयुक्त संचालक उद्यान जबलपुर द्वारा अवकाश अवधि में स्पष्टीकरण कर शासकीय राशि का नियम विरूद्ध आहरण किये जाने की शिकायत पर जांच निष्कर्ष के आधार पर निश्चित समय-सीमा में विधिसम्मत् कार्यवाही की जाना।	उत्तर प्राप्त होने के कारण स्पष्टीकरण परीक्षणाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

नर्मदा घाटी विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
325.	726	परि.अता.प्र.सं.79 (क्र.1924) दि.28.07.2015 (श्रीमती नीना विक्रम वर्मा)	ओंकारेश्वर परियोजना की शेष नहर निर्माण कार्य चतुर्थ चरण अंतर्गत निश्चित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना।	चतुर्थ चरण अंतर्गत उपरोक्त लक्ष्य हेतु वितरण शाखाओं का 20 प्रतिशत कार्य शेष है, जो माह नवम्बर 2015 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।	ओंकारेश्वर नहर परियोजना के अंतर्गत चतुर्थ चरण का कमाण्ड क्षेत्र में कम वर्षा होने के फलस्वरूप एवं स्थानीय कृषकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए माह सितम्बर 2015 से नहर में पानी छोड़ा गया, जो आज भी निरंतर है ताकि कृषकों की सूखी कृषि भूमि को आवश्यक मात्रा में जल उपलब्ध हो सके। नहर में जल छोड़ने के कारण चतुर्थ चरण के प्रथम समूह के नहर कार्य को पूर्ण करने का पुनरीक्षित लक्ष्य मार्च 2016 निर्धारित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 20-53/2015/27-1, दिनांक 21.12.2015	समिति कार्यपूर्णता की जानकारी से अवगत होना चाहेगी।

जुलाई, 2015 सत्र
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
326.	**534**	ता.प्र.स. 05 (क्र.783) दिनांक 21.07.2015 (श्री रामनिवास रावत)	वर्ष 2007 से व्यापम द्वारा आयोजित शासकीय भर्तियों एवं प्रवेश के लिए चयन की जांच एवं पीएमटी परीक्षा 2012 तथा प्री-पीजी परीक्षा वर्ष 2012 की जांच की जाना।	अभी अनुसंधान एवं जांच कार्य शेष है। पीएमटी परीक्षा 2012 तथा प्री-पीजी परीक्षा वर्ष 2012 के संबंध में अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है।	एसटीएफ द्वारा पीएमटी परीक्षा वर्ष 2012 तथा प्री-पीजी परीक्षा वर्ष 2012 से संबंधित प्रकरणों की विवेचना की जा रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र0-372/15 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2015 के परिपालन में उक्त प्रकरण विवेचना हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को हस्तांतरित कर दिये गये है। वर्तमान में इन प्रकरणों की विवेचना केन्द्रीय अन्वेषण द्वारा की जा रही है। शासन स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30/44/2015/बयालीस/1, दिनांक 03.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
327.	**600**	ता.प्र.सं.137 (क्र-2973) दि.19.03.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पोहरी के SC/ST एवं OBC वर्ग के छात्र/छात्राओं को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदाय न किये जाने की जांच एवं पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदाय किया जाना।	(1) जी हां. जांच की जा रही है। (2) शीघ्र ही पात्र प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय की जा सकेगी।	(1) प्रवेश सत्र 2013 एवं 2014 में प्रवेशित समस्त 11 एस.सी. के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। (2) प्रवेश सत्र 2013 एवं 2014 में प्रवेशित समस्त 42 ओ.बी.सी. के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2096/1733/2015/बयालीस/2, दिनांक 18.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
328.	**601**	अता.प्र.सं.233 (क्र.4497) दि.19.03.2015 (श्री प्रदीप अग्रवाल)	दतिया जिले के सेवढ़ा वि.स. क्षेत्र में आई.टी.आई. खोला जाना।	संशोधित कौशल विकास नीति अनुसार आईटीआई खोलने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।	दतिया जिले के सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र में आई.टी.आई. संचालित नहीं है। दतिया जिले में वर्तमान में दो शासकीय आई.टी.आई. दतिया, भांडेर संचालित है तथा दो प्रायवेट आई.टी.आई. भारतीय एवं विक्रमादित्य संचालित है। अतएव सेवढा विकास खंड अनसर्विस्ट ब्लॉक में आता है। शासन की नीति अनुसार शासकीय/पीपी मोड के अंतर्गत आई.टी.आई. खोलने के लिये कार्यवाही की जा रही है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-12-16/2015/बयालीस/2, दिनांक 26.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
329.	**602**	अता.प्र.सं.259 (क्र.4845) दि.19.03.2015 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा सागर जिले में क्षेत्रिय एवं नोडल कार्यालय शुरू किये जाना।	प्रस्ताव विचाराधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
330.	**729**	परि.अता.प्र.सं.86 (क्र.1978) दि.28.07.2015 (कुंवर हजारीलाल दांगी)	राजगढ़ जिले की तहसील मुख्यालय जीरापुर में पी.पी.पी. मोड के अंतर्गत आई.टी.आई. की स्थापना शीघ्र की जाना।	पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत आईटीआई की स्थापना के लिये नीति के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।	जीरापुर सर्विस्ट विकास खण्ड की सूची में आने से शासन की नीति अनुसार संस्था प्रारंभ की जाना प्रस्तावित नहीं है। दिनांक-25.08.2015 से प्रगति प्रायवेट आई.टी.आई. संचालित की गई है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के तीन यूनिट एन.सी.वी.टी. से स्वीकृत है, जिसमें 33 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-12-32/2015/बयालीस/2, दिनांक 27.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
331.	**730**	परि.अता.प्र.सं.137 (क्र.2709) दि.28.07.2015 (श्री माधो सिंह डावर)	जिला अलीराजपुर के विकासखण्ड चंद्रशेखर आजाद नगर(भाबरा) कट्ठीवाड़ा तथा उदयगढ़ में पी.पी.पी. मोड के अंतर्गत आई.टी.आई. की स्थापना शीघ्र की जाना।	भाबरा, कट्ठीवाड़ा तथा उदयगढ़ विकासखण्ड में पीपीपी मोड में आईटीआई की कार्यवाही प्रचलन में है।	(1) सत्र अगस्त 2015 से जिला अलिराजपुर के विकास खंड चन्द्रशेखर आजाद नगर (भावरा) में आई.टी.आई. प्रारंभ की जा चुकी है। (2) विकास खंड कट्ठीवाडा तथा उदयगढ में आई.टी.आई. संचालन किये जाने बावत् 62 अनसर्विस्ड विकासखण्डों की सूची में सम्मिलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-12-29/2015/बयालीस/2, दिनांक 29.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
332.	**731**	अता.प्र.सं.148 (क्र.2882) दि.28.07.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	उज्जैन जिले के महिदपुर कॉलेज एवं आई.टी.आई. में स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र किया जाना।	चयन संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।	महिदपुर आईटीआई में उप प्राचार्य का पद भरने की प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रशिक्षण अधिकारी के पद पूर्ति हेतु व्यापम को मांग पत्र भेजा गया है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर 02 पद भरे जा सकेंगे। सहायक ग्रेड-3 के पदों की पूर्ति की जा चुकी है। चतुर्थ श्रेणी के पदों को शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। महिदपुर कालेज में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों का मांग पत्र लोक सेवा आयोग, इन्दौर को भेजा गया है। चयन सूची प्राप्त होने पर पद भरे जा सकेंगे। **विभागीय पत्र क्रं. :-** एफ-12-24/2015/42-2, दिनांक 17.03.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
परिवहन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
333.	**701**	अता.प्र.सं.142 (क्र.2319) दि.27.07.2015 (श्री विश्वास सारंग)	प्रदेश में म.प्र. सड़क परिवहन निगम की किराये पर दी गई संपत्तियों के किराये में वृद्धि की जाना।	अनुबंध नवीनीकरण हेतु नीति बनाने हेतु प्रस्ताव संचालक मंडल के समक्ष विचाराधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

जुलाई, 2015 सत्र
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
334.	**655**	ता.प्र.सं.19 (क्र.1097) दि.24.07.2015 (श्री तरूण भनोत)	जबलपुर जिले में संचालित समस्त अशासकीय इंजीनियरिंग कालेजों में छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत एवं वितरित करने में की गई आर्थिक अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रकरण में जांच प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
335.	**656**	परि.अता.प्र.सं.98 (क्र.1542) दि.24.07.2015 (श्री आरिफ अकील)	वर्ष 2010 से 2014 तक की अवधि में म.प्र.वक्फ बोर्ड की बेशकीमती संपत्तियों की अवैध किरायेदारी और संक्रामण के प्रकरणों में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना।	(1) दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्ताव भेजे गये। (2) शासन स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
336.	**860**	परि.अता.प्र.सं.142 (क्र.2925) दि.31.07.2015 (श्री जितेन्द्र गेहलोत)	प्रदेश के समस्त जिलों में नियमानुसार 15 सूत्रीय कार्यक्रम अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाना।	कुछ जिलों में समितियों के पुनर्गठन की कार्यवाही जारी है।	अभी तक प्रदेश के 24 जिलों में क्रमशः कटनी, आगर—मालवा, नरसिंहपुर, विदिशा, डिण्डोरी, बुरहानपुर, सीहोर, रीवा, अनूपपुर, खण्डवा, होशंगाबाद, सिंगरोली, भोपाल, दतिया, सीधी, देवास, दमोह, शिवपुरी, गुना, रायसेन, सतना, शहडोल, छिन्दवाड़ा, आति में पुनर्गठन किया गया, शेष जिलों में पुनर्गठन की कार्यवाही जारी है। जिला स्तरीय समितियों के पुनर्गठन हेतु संबंधित जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ10-16/2015/54-2, दिनांक 13.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।
337.	**861**	अता.प्र.सं.107 (क्र.2728) दि.31.07.2015 (श्री वेलसिंह भूरिया)	धार जिले की विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर में निवासरत् मारू कुमावत जाति वर्ग के उम्मीदवारों को पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाना।	मामला विचाराधीन है।	शासन द्वारा कलेक्टर धार को सरदारपुर तहसील के मारू को कुमावत की उपजाति होने एवं मारू लिखने वालों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी आदेश क्र. एफ-6-11/2013/54-1, दिनांक 20.01.16 द्वारा जारी कर दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 712/385/2016/54-1, दिनांक 06.07.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
जेल विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
338.	**578**	परि.अता.प्र.सं.28 (क्र.472) दि.22.07.2015 (श्री राजेश सोनकर)	उज्जैन रोड़ पर अधूरे जेल भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	आलोच्य जेल के निर्माण हेतु पी.आई.यू. इंदौर से प्राप्त प्राक्कलन पर कार्यवाही प्रचलन में है । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुरूप शीघ्र कार्यवाही की जा सकेगी।	उज्जैन रोड पर इंदौर में अधूरे केन्द्रीय जेल भवन के निर्माण हेतु पी.आई.यू. इंदौर से राशि रूपये 120,00 करोड़ के प्राक्कलन प्राप्त हो चुके हैं, किन्तु प्रकरण में राज्य योजना आयोग द्वारा कुछ अतिरिक्त जानकारी चाही गई जानकारी विभाग के यू.ओ. दिनांक 11.08.2015 द्वारा राज्य योजना आयोग को प्रेषित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1916/1983/2015/तीन/जेल, दिनांक 28.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
339.	**579**	अता.प्र.सं.17 (क्र.287) दि.22.07.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया)	उज्जैन-इंदौर संभाग में नये कारागृह बनाये जाने के संबंध में भारत सरकार से स्वीकृत हेतु कार्यवाही की जाना ।	भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कार्यवाही संभव हो सकेगी ।	भारत सरकार को पर्सपेक्टिव प्लान के द्वितीय चरण में प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.06.2015 द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुए हैं, कि धन राशि की व्यवस्था राज्य को स्त्रोतों से कराई जावे। भारत सरकार के निर्देशों के पालन में प्रकरण में धनराशि की व्यवस्था होने पर उज्जैन-इन्दौर संभाग में नई जेलों के निर्माण पर प्राथमिकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से विचार संभव हो सकेगा, के लिए प्रस्तावानुसार धनराशि की व्यवस्था कराने हेतु राज्य योजना आयोग को प्रकरण विभाग के यू.ओ. दिनांक 22.07.2015 द्वारा प्रेषित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1916/1983/2015/तीन/जेल, दिनांक 28.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
340.	**767**	परि.अता.प्र.सं.90 (क्र.2292) दि.29.07.2015 (श्री शैलेन्द्र जैन)	(1) जेल विभाग के उत्पादित सामग्रियें के विक्रय हेतु स्थान आरक्षित किया जाना । (2) प्रदेश के केन्द्रीय जेलों में सजायाफ्ता बंदियों को कौशल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाना ।	(1) जेल विभाग के उत्पादित सामग्रियों के विक्रय हेतु स्थान आरक्षित किये जाने की पहल की जा रही है । (2) कौशल विकास के अंतर्गत एनजीओ के माध्यम से विभिन्न ट्रेड कारपेन्ट्री, हेन्डलूम, पावरलूम, प्रिटिंग, स्क्रीन प्रिटिंग, कुकिंग, साफ्ट टॉय मेकिंग, लेदर बैग एवं फैब्रीकेशन के प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है ।	(1) केन्द्रीय जेल सागर एवं भोपाल में विधायक निधि से प्राप्त राशि से स्थान आरक्षित कर विक्रय स्थल (आउट-लेट) बनाया गया है। (2) सिंहस्थ, 2016 के दौरान जेल में निर्मित सामग्री विक्रय हेतु स्टॉल बनाने के लिए केन्द्रीय जेल उज्जैन को रूपये 2,20,000/- की स्वीकृति दिनांक 06.08.2015 को दी गई है, जिससे विक्रय केन्द्र की निर्माण कार्य किया जा रहा है। विभिन्न जेलों में कारपेन्ट्री, हेन्डलूम, पावरलूम, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, कुकिंग, साफ्ट टॉय मेकिंग, लेदर बैग एवं फैब्रीकेशन का प्रशिक्षण जेल उद्योगों के माध्यम से दिया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2293/2535/2015/तीन/जेल, दिनांक 02.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं ।

जुलाई, 2015 सत्र
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
341.	**593**	परि.अता.प्र.सं.108 (क्र.2441) दि.16.03.2015 (डॉ.मोहन यादव)	उज्जैन जिले की तहसील उज्जैन, घट्टिया, तराना, महिदपुर, बड़नगर, नागदा एवं खाचरोद में पुजारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाना।	रिक्त पदों पर कार्यवाही प्रचलित है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
342.	**594**	अता.प्र.सं.52 (क्र.1249) दि.16.03.2015 (डॉ.मोहन यादव)	महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम में संशोधन किये जाने एवं मंदिर प्रबंध समिति में सांसद एवं विधायकों को सम्मिलित किये जाने के संबंध में म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर उज्जैन को पत्र क्र. दिनांक 21.08.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों का यथाशीघ्र पालन किया जाना।	(1) जी हां। (2) कार्यवाही विचाराधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
343.	**622**	ता.प्र.सं.24 (क्र.1014) दि.23.07.2015 (डॉ.मोहन यादव)	महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम में संशोधन किया जाना एवं मंदिर प्रबंध समिति में सांसद एवं विधायक को सम्मिलित किये जाने के संबंध में बजट सत्र 2015 में प्रश्नकर्ता सदस्य को मा.मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति की दिशा में शीघ्र कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही विचाराधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
344.	**623**	परि.अता.प्र.सं.84 (क्र.1344) दि.23.07.2015 (श्री इन्दर सिंह परमार)	शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील अंतर्गत पुजारियों को वर्ष 2015 का मानदेय प्रदाय नहीं करने वाले संबंधित जिम्मेदार तहसीलदार, नायब नाजीर के विरूद्ध कारण बताओं सूचना पत्र का प्रति उत्तर प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	तहसीलदार श्री प्रकाश दुबे (डी.डी.ओ.) एवं नायब नाजीर श्री काशीराम माली इसके लिये जवाबदार है। इन दोनों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

जुलाई, 2015 सत्र
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
345.	**596**	अता.प्र.सं.79 (क्र.1937) दि.25.02.2015 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	अनूपपुर जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं में हितग्राहियों के लंबित प्रकरण का समय-सीमा में निराकरण किया जाना।	बैंको में सम्पर्क कर लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
346.	**857**	परि.अता.प्र.सं.11 (क्र.413) दि.31.07.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, भिण्ड द्वारा माह जनवरी 2013 से 30 जून 2015 तक अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में नियम विरूद्ध कराये गये विकास/निर्माण कार्यो की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	भिण्ड जिले में अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम 2014 के प्रावधानों का पालन करने के संबंध में जांच कराई जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
347.	**858**	अता.प्र.सं.39 (क्र.1758) दि.31.07.2015 (श्री गोपाल सिंह चौहान)	जिला अशोक नगर विकासखण्ड ईसागढ़ के ग्राम कदवाया में अम्बेडकर मांगलिक भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना।	भूमि चयन की कार्यवाही प्रचलन में है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

जुलाई, 2015 सत्र
खेल एवं युवक कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
348.	629	अता.प्र.सं.24 (क्र.584) दि.23.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिले के बड़ौदा में मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जाना।	स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

जुलाई, 2015 सत्र
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
349.	735	परि.अता.प्र.सं.55 (क्र.1477) दि.28.07.2015 (श्रीमती ममता मीना)	(1) जिला गुना की ग्राम पंचायत नागनखेड़ी (नादनखेड़ी) में जनभागीदारी योजनान्तर्गत वर्ष 2005 से 2013 तक स्वीकृत समस्त निर्माण कार्यो की जांच हेतु गठित कमेटी द्वारा जांच शीघ्र कराया जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना। (2) ग्राम केदारपुरा में रेनबसेरा भवन एवं ग्राम पंचायत नागनखेड़ी में स्वीकृत समस्त निर्माण कार्य की जांच हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा की गई शिकायतों की जांच कराया जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जांच प्रचलित है । जांच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही निर्भर है। (2) जांच दल द्वारा जांच की जा रही है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
350.	736	परि.अता.प्र.सं.85 (क्र.1973) दि.28.07.2015 (श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर)	उज्जैन जिले की जनपद पंचायत घट्टिया के ग्राम-बनड़ा से कलेसर के बीच मार्ग निर्माण की राशि आहरण किये जाने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ न किया जाना एवं कार्य का मूल्यांकन नहीं किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	राशि के आहरण उपरांत भी कार्य प्रारंभ न कराये जाने तथा कार्य का मूल्यांकन नहीं आने की जांच हेतु एक समिति गठित की गई है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही निर्भर है।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**
351.	739	ता.प्र.सं.03 (क्र.965) दि.28.07.2015 (डॉ.रामकिेशोर दोगने)	हरदा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014-15 की स्वीकृत जनसंपर्क निधि हितग्राहियों के खाते में शीघ्र जमा कराई जाना।	पूरक बजट से राशि प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित हितग्राहियों के खाते में राशि जमा कराई जावेगी।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

जुलाई, 2015 सत्र
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
352.	**576**	परि.अता.प्र.सं.87 (क्र.1609) दि.22.07.2015 (श्री मोती कश्यप)	कटनी जिले में मछुआ आवास एवं किश्तों का आवंटन किया जाना।	प्रगति (मूल्यांकन) प्राप्त होते ही आवंटन किया जावेगा।	कटनी जिले में वर्ष 2013-14 में 40 हितग्राहियों को मछुआ आवास एवं वर्ष 2014-15 में 10 हितग्राहियों को मछुआ आवास योजना से लाभंवित करने हेतु चयनित किया गया था। वर्तमान में वर्ष 2013-14 के 40 हितग्राहियों के खाते मे संपूर्ण राशि रू. 20.00 लाख एवं वर्ष 2014-15 के 10 हितग्राहियों के खातों मे सम्पूर्ण राशि रू. 7.50 लाख जमा की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रंमाक:-** एफ 18-17/2015/छत्तीस, दिनांक 18.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
353.	**766**	परि.अता.प्र.सं.39 (क्र.1619) दि.29.07.2015 (श्री मोती कश्यप)	कटनी जिले में मत्स्यपालन नीति 2008 के विरूद्ध पंचायत विभाग के अधिकारियों द्वारा पट्टा आवंटन में की गई अनियमितताओं की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग की कार्यवाही की जाना।	जी हां।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी ने अपने पत्र क्रमांक 280 दिनांक 11.02.2016 से अवगत कराया है कि कटनी जिले के जनपद पंचायत कटनी स्वामित्व के पिपरौध सिंचाई जलाशय को दस वर्षीय पट्टे पर देने हेतु विज्ञप्ति सूचना क्रमांक 366 दिनांक 21.05.2015 से जारी कर दिनांक 05.06.2015 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों को जनपद पंचायत कटनी ने प्राथमिकता क्रम निर्धारण हेतु सहायक संचालक मत्स्योद्योग कटनी को पत्र क्रमांक 1191 दिनांक 12.08.2015 से भेजा गया। जिसका परीक्षण कर सहायक संचालक मत्स्योद्योग कटनी ने पत्र क्रमांक 1235 दिनांक 07.09.2015 से प्राथमिकता निर्धारित कर प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटनी को अनुशंसा कर भेजा गया। जनपद पंचायत कटनी द्वारा कृषि स्थाई समिति की बैठक दिनांक 24.09.2015 के प्रस्ताव क्रमांक 09 में पारित प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर कटनी के आदेश क्रमांक 1567 दिनांक 20.10.2015 से पिपरौध जलाशय की दस वर्षीय पट्टा अनुमति जारी कराकर अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। इस प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटनी द्वारा मत्स्य पालन नीति 2008 के अनुसार सहायक संचालक मत्स्योद्योग कटनी से अभिमत लिया गया है। अत: मत्स्य पालन नीति 2008 का पालन कर लिये जाने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही उचित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रंमाक:-** एफ 18-30/2015/36, दिनांक 18.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
पर्यटन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
354.	**738**	अता.प्र.सं.16 (क्र.951) दि.28.07.2015 (श्री संजय पाठक)	जिला पन्ना की तहसील अजयगढ़ अंतर्गत धूनी आश्रम खोरा को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्र के संदर्भ में शीघ्र कार्यवाही की जाना।	जी हां। कार्यवाही प्रचलन में है।	प्रस्ताव का परीक्षण कराया गया। अजयगढ़ जिला पन्ना में स्थित धूनी आश्रम, खोरा तहसील अजयगढ़ के कार्यो को विभाग में सीमित बजट होने के कारण कराया जाना संभव नहीं है। तदनुसार पत्र पर कार्यवाही पूर्ण की गई है। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** एफ13-53/2015/तैंसीस, दिनांक 20.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
विधि एवं विधायी कार्य विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
355.	**577**	अता.प्र.सं.98 (क्र.1229) दि.22.07.2015 (श्री अमर सिंह यादव)	राजगढ़ जिले में नोटरी एवं शपथ आयुक्त के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	नियुक्ति की प्रक्रिया शासन के विचाराधीन है।	दिनांक 22.08.2015 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला राजगढ़ को नोटरी के नियुक्तियों के संबंध में पत्र लिखा गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 83/वि.स./21-ब(दो), दिनांक 02.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
356.	**763**	परि.अता.प्र.सं.59 (क्र.1892) दि.29.07.2015 (श्री ठाकुरदास नागवंशी)	होशंगाबाद जिले की तहसील पिपरिया में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों की नियुक्ति की जाना।	नियुक्ति से संबंधित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	राज्य शासन द्वारा होशंगाबाद जिले की पिपरिया तहसील में दिनांक 14.09.2015 को श्री सुनील चौधरी को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त कर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 94/वि.स./21-ब(दो), दिनांक 24.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
357.	**764**	अता.प्र.सं.84 (क्र.2213) दि.29.07.2015 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय लांजी में सिविल कोर्ट मा.उच्च न्यायालय की अनुशंसा अनुसार शीघ्र प्रारंभ किया जाना।	न्यायालय भवन, आवासगृह एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नवीन न्यायालय स्थापना हेतु निर्धारित नीति/मापदण्ड/दिशानिर्देशों के अंतर्गत लांजी जिला बालाघाट में सिविल कोर्ट की स्थापना के प्रस्ताव के संबंध में उनके पत्र दिनांक 12.11.2009 द्वारा न्यायालय भवन, न्यायाधीश एवं स्टाफ के पदों की स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने जाने के निर्देश के साथ अनुशंसा कर दी है। तद्नुसार आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत न्यायालय भवन, न्यायाधीश एवं कर्मचारियों हेतु आवासगृह तथा न्यायाधीश एवं अमले के पद उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही में समय लगने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 119/वि.स./21-ब(दो), दिनांक 01.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
358.	**530**	अता.प्र.स. 65 (क्र.833) दिनांक 21.07.2015 (श्री संजय शर्मा)	रायसेन जिले के बेगमगंज विकासखण्ड के अविद्युतीकृत ग्राम चौका बैरागी एवं सिलवानी विकासखण्ड में ग्राम रामगढ़ को विद्युतीकृत किया जाना।	वन बाधित होने के कारण नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा इन ग्रामों को सौर ऊर्जा विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है।	ग्राम चौका बैरागी के विद्युतीकरण हेतु रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल में स्वीकृति अपेक्षित है। ग्राम रामगढ का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है एवं डी.पी.आर. रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को स्वीकृति हेतु भेजी जा रही है। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** 1040/आर-889/2015/साठ, दिनांक 30.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
359.	**740**	अता.प्र.सं.122 (क्र.2618) दि.28.07.2015 (पं.रमेश दुबे)	छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड जामई में अविद्युतीकृत वन ग्राम टेकापार को अपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से शीघ्र विद्युतीकृत किया जाना।	विद्युतीकरण करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को प्रेषित किया गया है तथा स्वीकृति उपरांत उक्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु कार्यवाही की जायेगी।	संबंधित वनग्राम टेकापार को सोलर पॉवर प्लांट के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं सयंत्रों की स्थापना हेतु निविदा का कार्य प्रक्रिया में है। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** 1032/आर-749/2015/साठ, दिनांक 28.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
360.	**614**	अता.प्र.सं.06 (क्र.1382) दि.12.12.2014 (डॉ.गोविन्द सिंह)	गैस राहत एवं पुर्नवास विभाग की अधीनस्थ इकाई में अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण, क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं समयमान का लाभ दिया जाना।	सामान्य प्रशासन/वित्त विभाग के नियम एवं निर्देशों के अनुरूप लाभ दिया जावेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

जुलाई, 2015 सत्र
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
361.	**570**	परि.अता.प्र.सं.19 (क्र.240) दि.22.07.2015 (श्री मेंव राजकुमार)	खरगोन जिले में कुटीर एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना।	स्वीकृति पश्चात् आगामी कार्यवाही की जावेगी।	खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्फूर्ति योजनान्तर्गत 865 बुनकर/कत्तिनों का कलस्टर विकसित करने हेतु राशि रू. 3,11,62,470/- की परियोजना तैयार कर खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भोपाल को स्वीकृति हेतु दिनांक 01.07.15 को प्रेषित की गई थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कुछ बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी। वांछित जानकारी बोर्ड के पत्र क्रं./5538, दिनांक 14.09.2015 से खादी और ग्रामोद्योग आयोग को भेजी गई है। भारत शासन से प्रस्ताव पर स्वीकृति तथा राशि प्राप्त होने पर परियोजना क्रियान्वित की जाएगी। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** एफ 5-16/2015/52-2, दिनांक 31.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं।
362.	**571**	अता.प्र.सं.31 (क्र.606) दि.22.07.2015 (श्री कुंवरजी कोठार)	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा फरवरी-मार्च 2015 के अता.प्रश्न क्रमांक 2456 के उत्तर दिनांक 02.03.2015 के परिप्रेक्ष्य में दोषी प्रदायकर्ता संस्था के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना।	प्रदायकर्ता संस्था के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को दिए गए।	प्रदायकर्ता संस्था मेसर्स इनायतपुर उद्योग भोपाल के सचिव धर्मेन्द्र परमार व अन्य के विरूद्ध थाना कोलार रोड भोपाल में भा.द.सं. की धारा 420 एवं 34 के तहत दिनांक 07.12.2015 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** एफ 5-17/2015/52-2, दिनांक 06.01.2016	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
363.	**572**	अता.प्र.सं.32 (क्र.607) दि.22.07.2015 (श्री कुंवरजी कोठार)	उज्जैन जिले के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एम्पोरियम में की गई अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	बोर्ड द्वारा पुलिस थाना माधवनगर उज्जैन को एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु लिखा है। बोर्ड के तत्कालीन उप संचालक (विपणन) के विरूद्ध आदेश दि.07.11.2014 से विभागीय जांच संस्थित की गई है। अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्ताव सक्षम विभाग को भेजा गया है।	खादी तथा ग्रामोद्योग एम्पोरियम उज्जैन के अनुबंधकर्ता श्री प्रफुल्ल कुमार शिन्दे आत्मज श्री चन्द्रसेन शिन्दे, शिन्दे की गोथ, छत्री बाजार ग्वालियर के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहित की धारा 420 के अंतर्गत पुलिस थाना माधवनगर उज्जैन में दिनांक 06.12.15 को एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। बोर्ड के तत्कालीन उपसंचालक (विपणन) के विरूद्ध बोर्ड के आदेश दिनांक 07.11.2014 से विभागीय जांच संस्थित की गई है। शासन स्तर की कार्यवाही का प्रस्ताव प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) को दिनांक 15.07.2015 एवं 03.02.2016 को प्रेषित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** एफ 5-18/2015/52-2, दिनांक 09.02.2016 विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत सचिवालय के पत्र क्रमांक 20554/वि.स./आश्वा./2016, दिनांक 21.07.2016 द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई :- ***बोर्ड के तत्कालीन उपसंचालक (विपणन) के विरूद्ध दिनांक 07.11.2014 को संस्थित विभागीय जांच सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार 01 वर्ष की निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण नहीं करने के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए जांच निष्कर्ष के आधार पर की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अद्यतन जानकारी अप्राप्त।	म.प्र. शासन, सा.प्र.वि. के निर्देशानुसार प्रकरण में विभागीय जांच की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण नहीं किये जाने के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषी दण्डित हो . इस निर्देश के साथ समिति कृत कार्यवाही से अवगत होना चाहेगी।
364.	**768**	परि.अता.प्र.सं.120 (क्र.2611) दि.29.07.2015 (पं.रमेश दुबे)	(1) छिन्दवाड़ा जिले के विकाखण्ड बिछुआ में चित्रांचल, बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के विरूद्ध थाना सौंसर में पंजीबद्ध अपराध की विवेचना उपरांत कार्यवाही की जाना। (2) संस्था के साथ मिलीभगत करके हितग्राहियों की राशि में अनियमितता करने वाले विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध निश्चित समय-सीमा में कार्यवाही की जाना।	(1) प्रकरण में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। विवेचनोपरान्त आगामी कार्यवाही की जावेगी। (2) विभागीय अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।	प्रकरण में अपचारी कर्मचारी श्री अजय पवार तत्कालीन सहायक संचालक, हाथकरघा सेवानिवृत्त के विरूद्ध आयुक्त, जबलपुर संभाग द्वारा पत्र क्र. 1211/वि.जा./आदि.विकास/ 2015 जबलपुर दिनांक 25.7.15 से श्री पवार को आरोप पत्र जारी किए गये है। इस संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग को संचालनालय द्वारा अर्द्ध शास. पत्र से अनुरोध कर स्थिति से अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया है। **विभागीय पत्र क्रंमाक :-** एफ 5-29/2015/52-2, दिनांक 10.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई, 2015 सत्र
संसदीय कार्य विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
365.	**863**	अता.प्र.सं.114 (क्र.2797) दि.31.07.2015 (श्री रामपाल सिंह)	प्रदेश के मा.विधायकगणों को उनके विधान सभा क्षेत्र एवं जिला मुख्यालयों में शासकीय आवास गृह की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।	माननीय सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों के वेतन-भत्तों के पुनरीक्षण के संबंध में गठित समिति ने अपने प्रतिवेदन में तत्संबंधी अनुशंसा की है, जिस पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा।	**उत्तर अप्राप्त**	**परिशिष्ट ''अ'' अनुसार**

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 27 जुलाई, 2016

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति,
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट-''अ'' ::

विशेष टिप्पणी/अनुशंसा

जुलाई, 2015 सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के मा.मंत्रियों द्वारा 365 आश्वासन दिये गये, जिनमें से 223 आश्वासनों पर विभागीय उत्तर प्राप्त हुए एवं 142 आश्वासनों की जानकारी अप्राप्त है। आश्वासनों के त्वरित निराकरण के संदर्भ में विभागीय अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य भी लिये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विभाग का नाम	साक्ष्य दिनांक
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	23.11.2015 एवं 23.06.2016
2.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	09.10.2015 एवं 08.07.2016
3.	राजस्व	28.09.2015
4.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	28.09.2015
5.	लोक निर्माण	23.11.2015
6.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	23.11.2015 एवं 23.06.2016

उपरोक्त प्रयासों के बाद आश्वासनों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में प्राप्त/अप्राप्त स्थिति की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विभाग का नाम	प्राप्त आश्वासन की जानकारी	अप्राप्त आश्वासन की जानकारी	योग
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	19	09	28
2.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	13	15	28
3.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10	25	35
4.	स्कूल शिक्षा	27	00	27
5.	राजस्व	07	11	18
6.	लोक निर्माण	20	02	22
7.	सहकारिता	07	09	16
8.	जल संसाधन	03	00	03
9.	गृह(पुलिस)	22	01	23
10.	आदिम जाति कल्याण	02	13	15
11.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	02	19	21
12.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	16	00	16
13.	वन	04	03	07
14.	उच्च शिक्षा	09	03	12
15.	महिला एवं बाल विकास	05	04	09
16.	सामान्य प्रशासन	06	03	09
17.	चिकित्सा शिक्षा	04	01	05
18.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	09	04	13
19.	ऊर्जा	11	00	11
20.	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	01	01	02
21.	खनिज साधन	01	01	02
22.	वाणिज्यिक कर	01	00	01
23.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	00	01	01
24.	नर्मदा घाटी विकास	01	00	01
25.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	06	01	07
26.	परिवहन	00	01	01
27.	पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	02	02	04
28.	जेल	03	00	03
29.	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	00	04	04

30.	अनुसूचित जाति कल्याण	00	03	03
31.	खेल एवं युवक कल्याण	00	01	01
32.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	00	03	03
33.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	02	00	02
34.	पर्यटन	01	00	01
35.	विधि एवं विधायी कार्य	03	00	03
36.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	02	00	02
37.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	00	01	01
38.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	04	00	04
39.	संसदीय कार्य	00	01	01
	कुल योग	**223**	**142**	**365**

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 142 आश्वासनों की जानकारी प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने तक अप्राप्त रही।

समिति यहां यह उल्लेख करना आवश्यक समझती है कि सदन में मा.मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों पर कार्यवाही से लोकतंत्रीय व्यवस्था मजबूत होती है और व्यवस्था के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती है । इसके ठीक विपरीत यदि सदन में दिये गये आश्वासनों पर कार्यवाही नहीं होती तो न केवल जनहित के कार्य प्रभावित होते हैं वरन् आश्वासनों की पवित्रता(Sanctity) नहीं रहती और इससे शासन तंत्र की विश्वसनीयता पर आघात होता है । समिति का स्पष्ट मत है कि यदि जनता की सबसे बड़ी पंचायत में विभाग के नीति निर्धारक द्वारा दिये गये आश्वासन भी पूर्ण नहीं हो पाते, तो जनता के पास अपना काम कराने का सामान्यत: कोई विकल्प नहीं बचता और इस स्थिति के कारण क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की साख और उसकी क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसे स्वस्थ लोकतंत्र का पर्याय नहीं माना जा सकता ।

समिति विभागीय अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों की आभारी है जिन्होंने मामलों पर अपेक्षित संवेदना बरती, किन्तु इसके बावजूद समिति यह अपेक्षा करती है कि विभागों में लंबित आश्वासनों के त्वरित निराकरण की दिशा में और तत्परता तथा संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता है ।

समिति अनुशंसा करती है कि –

1. विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव आश्वासनों की पवित्रता और गंभीरता को समझकर उसकी पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां करें एवं संसदीय कार्य नियमावली के तहत हर माह आश्वासन पंजी का अवलोकन करें, उसकी समीक्षा करें और आश्वासनों की पूर्ति हेतु संबंधितों को आवश्यक निर्देश दें, वे हर 15 दिन में पंजी का अवलोकन कर लंबित मामलों की भी समीक्षा करें, पंजी पर हस्ताक्षर करें और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दें ।
2. विधान सभा सचिवालय ने आश्वासन ऑन-लाईन कर दिये हैं और मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासन ऑन-लाईन विभागों को भेज दिये जाते है, फिर भी विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश हों कि वे सदन की अधिकारी दीर्घा में बैठकर आश्वासनों को नोट करें और पत्राचार का इंतजार न कर उस पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें क्योंकि विभागों द्वारा कई आश्वासन प्रश्नोत्तर सूची में लिखित भी दिए जाते है ।
3. कई सामान्य से मामलों की जानकारी न आ पाना चिंतनीय स्थिति है, अत: विचाराधीन सत्र के लंबित आश्वासनों की जानकारी समय पर न आने के मामलों की जांच हो, विलंब के दोषी दंडित हो और समस्त विभागीय लंबित आश्वासनों के संबंध में विभाग एक अभियान चलाकर आश्वासनों की पूर्ति कराए और यथा संभव यह कार्यवाही 03 माह में पूर्ण कराई गई कार्रवाई से जाकर इससे समिति को अवगत कराया जाये ।

:: परिशिष्ट-''ब'' ::

अनिर्णीत प्रकरण

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	**518,** 519, 611
2.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	617, **792**, 804
3.	स्कूल शिक्षा	635, 637, 812, 821, 824, 825, 828
4.	सहकारिता	590,
5.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	536, 542, 755
6.	उच्च शिक्षा	706, 707, 711, 712,
7.	चिकित्सा शिक्षा	**604**
8.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	674,
9.	ऊर्जा	526, 529, 718
10.	नर्मदा घाटी विकास	726
11.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	572,